खण्ड–506, अंक–2
बुधवार, 28 अग्रहायण, शक संवत् 1940
(19 दिसम्बर, 2018 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

**–: 0 :–**

**(अधिकृत विवरण)**

(सत्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2018)

(खण्ड 506 में 04 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | 1-7 |
| नियम-311 की सूचना को पहले लिये जाने की मांग (जारी) ... ... | 9 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 10-105 |
| वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ... | 106 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2018) (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 106 |
| उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2018) (सदन के पटल पर रखा गया) ... | 106 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1760/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(132)-2018, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... | 106 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... ... ... | 106 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1826/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(134)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 107 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1827/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(135)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 107 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1828/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(136)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 107 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1829/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(137)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 107 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1879/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(138)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 108 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1880/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(139)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 108 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1883/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(142)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 108 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1884/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(143)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 108 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1895/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(144)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 108 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1897/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(145)-2018, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 109 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1944/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(146)-2018, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 109 |
| उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम-2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... ... ... | 109 |
| संस्थागत वित्त कर और निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(150)-2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ... | 109 |
| उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 (01-04-2015 से 31-03-2016) (सदन के पटल पर रखा गया) ... .... | 110 |
| उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017 (01-04-2016 से 31-03-2017) (सदन के पटल पर रखा गया) ... .... | 110 |
| स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 (सदन के पटल पर रखा गया) ... .... | 110 |
| स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017 (सदन के पटल पर रखा गया) ... .... | 110 |
| लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2007 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ... | 110 |
| किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 111 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 111 |
| उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... ... | 111 |
| श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 111 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 112 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 112 |
| उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 112 |
| उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 112 |
| उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 113 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 113 |
| उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 113 |
| उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... | 113 |
| उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 114 |
| डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 114 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का अनुपूरक) विधेयक, 2018 (राज्याल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 114 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद् वाराणसी विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 114 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता, संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 114 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... ... | 115 |
| उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास, लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... | 115 |
| उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 115 |
| उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 115 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 116 |
| उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 116 |
| उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... | 116 |
| उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 116 |
| डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 (राज्यपाल के अनुमति की सूचना) ... ... ... | 116 |
| उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 117 |
| उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 117 |
| उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 117 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... ... | 117 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (जारी) ... ... ... ... | 118 |
| नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (जारी) ... ... | 118 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 118-122 |
| नियम-311 की सूचना को सुने जाने की पुनः मांग (जारी) ... ... | 122-123 |
| उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ... | 123-124 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 124 |
| नियम-311 की सूचना पुनः सुने जाने का अनुरोध (जारी) ... ... | 124-125 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 126-127 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी) ... ... ... | 127 |
| नियम-311 की सूचना लिये जाने की मांग ... ... ... | 127-128 |
| नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 128-129 |
| जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क से फतेहगंज पश्चिमी हाई-वे मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 129 |
| जनपद चित्रकूट की कतिपय निर्माणाधीन पुलियों के निर्माण के दौरान उखाड़े गये हैण्डपम्प को पुनः स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 130 |
| जनपद सहारनपुर स्थित बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 130 |
| जनपद आगरा महानगर के अन्तर्गत सिकन्दरा की श्री राधा कृष्ण धाम स्थित जर्जर सड़कों व नालियों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 130 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद जौनपुर की ग्राम सभा वेलावा में पेयजल की निराकरण कराये जाने हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 131 |
| जनपद बरेली के कतिपय स्थानों पर पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 131 |
| जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 132 |
| जनपद बुलन्दशहर के कतिपय क्षेत्रों में लगने वाले जाम एवं उसमें उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ... ... | 132 |
| जनपद अलीगढ़ स्थित क्षतिग्रस्त सपेरा भानपुर मार्ग का मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 132 |
| जनपद अम्बेडकरनगर के एन0टी0पी0सी0 टाण्डा में विस्तारीकरण के अन्तर्गत कतिपय ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 133 |
| जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 133-134 |
| जनपद लखनऊ में लक्ष्मण टीला-हरदोई के बन्धा मार्ग के अवशेष हिस्से के निर्माण में आ रहे गतिरोध को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 134 |
| जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... ... | 134-135 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेद्याखेडी से गांव बागोंवाली के मध्य रजवाहे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 135 |
| जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 135 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में जंगली जानवर एवं आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 136 |
| जनपद अमरोहा के खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 136 |
| जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ को जोड़ने वाले कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 136-137 |
| जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज को नगर पालिका/परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 137 |
| जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में नीम नदी के क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... | 137-138 |
| नत्थियां ... ... ... | 139-164 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

**उपस्थित सदस्य-367**

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
31. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
32. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
37. असलम अली, श्री — हापुड़
38. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
39. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
40. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
41. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
42. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
45. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

46. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
47. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
50. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
52. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
53. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओमकुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
57. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
58. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
59. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
60. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
61. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
62. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
63. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
64. काली प्रसाद, श्री देवरिया
65. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
66. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केसर सिंह, श्री बरेली
70. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
71. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
72. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
73. गंगा, श्री कुशीनगर
74. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
77. गौरी शंकर, श्री जालौन
78. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
79. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
80. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
81. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
82. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
83. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
87. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
88. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
89. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
90. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
91. जयमंगल, श्री महाराजगंज
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
94. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
95. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
96. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
97. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
98. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
99. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
100. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
101. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
102. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
103. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
104. दल बहादुर, श्री रायबरेली
105. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
106. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
107. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर

108. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
109. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
112. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
115. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
116. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
117. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
118. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
119. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
120. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
121. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
122. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
123. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
124. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
125. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
126. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
127. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
128. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
129. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
130. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
131. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
137. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
140. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
141. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
142. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
143. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
144. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
145. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
146. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
147. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
148. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
149. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
150. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
151. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
152. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
153. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
154. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
155. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
156. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
157. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
158. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
159. फागू चौहान, श्री मऊ
160. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
161. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
162. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
163. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
164. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
165. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
166. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत

167. बावन सिंह, श्री गोण्डा
168. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
169. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
170. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
171. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
174. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
175. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
176. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
177. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
178. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
179. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
180. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
181. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
182. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
183. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
184. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
185. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
186. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
187. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
188. महबूब अली, श्री अमरोहा
189. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
190. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
191. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
192. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
193. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
194. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
195. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
196. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
197. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
198. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
199. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
200. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
201. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
202. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
203. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
204. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
205. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
206. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
207. योगेश धामा, श्री बागपत
208. योगेश वर्मा, श्री खीरी
209. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
210. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
211. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
212. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
213. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
214. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
215. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
216. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
217. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
218. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
219. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
220. रवि शर्मा, श्री झांसी
221. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
222. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
223. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
224. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
225. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
226. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
227. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर

228. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
229. राज करन कबीर, श्री बांदा
230. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
231. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
232. राजबाला, श्रीमती रामपुर
233. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
234. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
235. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
236. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
237. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
238. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
239. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
240. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
241. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
242. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
243. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
244. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
245. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
246. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
247. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
248. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
249. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
250. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
251. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
252. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
253. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
254. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
255. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
256. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
257. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
258. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
259. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
260. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
262. लाखन सिंह, श्री औरैया
263. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
264. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
265. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
266. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
267. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
268. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
269. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
270. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
271. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
272. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
273. विजय मिश्र, श्री भदोही
274. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
275. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
276. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
277. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
278. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
279. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
280. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
281. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
282. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
283. वीरेन्द्र, श्री एटा
284. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
285. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
286. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
287. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
288. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली

289. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
290. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
291. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
292. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
293. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
294. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
295. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
296. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
297. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
298. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
299. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
300. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
301. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
302. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
303. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
304. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
305. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
306. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
307. संजय, श्री बुलन्दशहर
308. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
309. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
310. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
311. संजय यादव, श्री बलिया
312. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
313. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
314. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
315. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
316. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
317. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
318. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
319. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
320. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
321. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
322. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
323. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
324. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
325. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
326. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
327. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
328. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
329. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
330. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
331. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
332. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
333. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
334. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
335. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
336. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
337. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
338. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
339. सुरेश कुमार, श्री शामली
340. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
341. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
342. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
343. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
344. सुरेश राही, श्री सीतापुर
345. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
346. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
347. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
348. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
349. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
350. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया

351. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
352. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
353. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
354. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
355. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
356. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
357. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
358. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
359. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
360. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
361. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
362. हरीराम, श्री सोनभद्र
363. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
364. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
365. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
366. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
367. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतन्त्र देव सिंह), पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

## [11:00] नियम–311 की सूचना को पहले लिये जाने की मांग

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय सदस्य बैठ जायें, प्रश्न होने दीजिए, सभी की बात सुनी जायेगी। प्रश्नोत्तर काल विपक्ष का है।

**श्री इकबाल महमूद-**

अध्यक्ष जी, हमारी नियम-311 में एक बहुत आवश्यक सूचना है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का लगातार प्रयास करते रहने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

पहले आप कृपा करके बैठ जायें, प्रश्न होने दें, आप सब वरिष्ठ जन हैं। जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो बैठ जाया जाता है। हमसे आप वरिष्ठ हैं, हम यहां आकर बैठ गये तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़े वरिष्ठ हो गये। जब अध्यक्ष किसी कारण खड़े होते हैं तो कृपा पूर्वक बैठ जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर काल है, प्रश्नोत्तर काल के बाद आप जो-जो विषय उठाना चाहेंगे, हम सबको सुन लेंगे, ऐसी कृपा हम आपसे चाहते हैं।

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर ''किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी'', [xxx] ''भाजपा तेरे जमाने में, पुलिस पिट रही थाने में'' आदि नारे लिखे हुए बैनर दिखाने लगे)

**श्री अध्यक्ष-**

यह बहुत आपत्तिजनक है, यह लेकर आप आये हैं, इसका मतलब आप विधान सभा की अवमानना कर रहे हैं, सदन की अवमानना कर रहे हैं। यह घर से लेकर आना बहुत आपत्तिजनक है।

(विपक्ष के सदस्य ''कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त हैं'', [xxx] आदि नारे लगाते हुए वेल में आने लगे)

**श्री अध्यक्ष-**

यह नहीं चलेगा, आप सदन की बहस नहीं चाहते हैं। मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 02 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 32 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12:20 तक बढ़ा दिया है।)

---

नोटः--[ xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

# प्रश्नोत्तर

## नत्थी-(क)

### तारांकित प्रश्न

### प्रदेश में सत्र 2017-18 को चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की जानकारी

***01-श्री अजय कुमार लल्लू तथा श्री नाहिद हसन-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेराई सत्र 2017-18 में चीनी मिलों द्वारा कुल कितने लाख टन गन्ने की पेराई की गयी और उसके सापेक्ष गन्ना किसानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा कितना गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष रह गया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)-**

पेराई-सत्र 2017-18 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 1,111.90 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है तथा दिनांक 14-12-2018 की स्थिति के अनुसार गन्ना किसानों के देय गन्ना मूल्य रु0 35,463.68 करोड़ के सापेक्ष रु0 33,017.82 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय का 93.10 प्रतिशत है। वर्तमान में रु0 2445.86 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है।

राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश के महानगरों/नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं की योजना

***02-श्री संजय गर्ग-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए प्रदेश के महानगरों के अतिरिक्त उनसे छोटी नगर पालिका परिषद् के क्षेत्रों में तथा छोटे शहरों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

प्रदेश के महानगरों/नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अमृत योजना 60 नगरों में तथा स्वच्छ भारत मिशन सभी निकायों में संचालित है। इसके अतिरिक्त राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना तथा आदर्श नगर योजना, पेयजल योजना, जल निकासी योजना, सीवरेज योजना, सड़क सुधार योजना, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय

नोट :--उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

सौर पुंज योजना, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना अवस्थापना मद तथा चौदहवें वित्त आयोग से सभी निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में रेल फाटकों के ऊपर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की जानकारी**

***03-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने रेल फाटक हैं जिन पर सेतु निगम द्वारा या अन्य किसी संस्था द्वारा उपरिगामी सेतु का निर्माण हो रहा है तथा शहरी क्षेत्र में कितने रेल क्रासिंग बचे हैं जिन पर उपरिगामी सेतु का कार्य शुरू नहीं हुआ है ? क्या सरकार की शहरी क्षेत्रों को रेल फाटक से मुक्त करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**लोक निर्माण विभाग (उप मुख्य मंत्री) (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-**

उत्तर प्रदेश में कुल 105 रेल फाटक हैं जिन पर सेतु निगम व अन्य संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018-19 में रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में स्वीकृत 33 रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में नयी चीनी मिलों की स्थापना की कार्य योजना**

***04-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 व 2017-2018 में चीनी मिलों की स्थापना हेतु नये उद्यमियों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं ? यदि नहीं, तो नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, पिपराइच (जिला-गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (जिला-बस्ती) में 5000 टी0सी0डी0 क्षमता की चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं। दोनों चीनी मिलों में 27 मेगावाट कोजन प्लान्ट की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही पिपराइच चीनी मिल में आसवनी प्लान्ट भी स्थापित किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र की रमाला चीनी मिल, जिला-बागपत का विस्तारीकरण करते हुए इसकी क्षमता 2750 टी0सी0डी0 से बढ़ा कर 5000 टी0सी0डी0 की जा रही है तथा 27 मेगावाट का कोजन संयन्त्र भी लगाया जा रहा है।

नई चीनी मिलों की स्थापना वित्तीय संसाधनों पर आधारित है।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ से बचाने के लिये सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को व्यवस्थित एवं परिपक्व कर गुणवत्ता सुधारने विषयक**

***05-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचाने के लिये सरकार की कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं ? क्या यह सही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण में प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर धांधली के कारण सही पात्र तक राहत सामग्री बहुत कम मात्रा में पहुंचती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचाने हेतु कटाव निरोधक, उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पुनरोद्धार एवं तटबन्धों के निर्माण की योजनाएं संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कानपुर में स्वर्ण जयन्ती पार्ट-1, एच0आई0जी0 द्वितीय योजना को नगर निगम, कानुपर द्वारा कराये जाने का विवरण**

***06-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्ण जयन्ती विस्तार पार्ट-1, एच0आई0जी0 द्वितीय योजना कानपुर नगर का हस्तान्तरण कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम कानपुर को करते हुए उक्त क्षेत्र के अवस्थापना कार्यों हेतु रुपया 13,15,33,000.00 की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा मोतीझील, कानपुर की चेक सं0-883835 दिनांक 09-06-2014 द्वारा समस्त सड़कें, फुटपाथ, नाला/नालियां, पार्क के निर्माण एवं विकास कार्यों के रख-रखाव हेतु दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विकास कार्य करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

प्रश्नगत धनराशि से प्रश्नगत क्षेत्र का विकास कार्य करा दिया गया है।

प्रश्नगत क्षेत्र में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित विवरण/सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

## प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने की कार्य योजना

***07-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' तथा श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशेषकर पूर्वी जनपदों में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री दारा सिंह चौहान)-**

पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औद्योगिक नगरों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव एक्शन प्लान फॉर रेड्यूसिंग एअर पॉल्यूशन इन एन0सी0आर0 (यू0पी0) तैयार किया गया है तथा उक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर उक्त कार्य योजना के अनुपालन का अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस प्लान में कुल 17 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु वायु प्रदूषण के स्तरों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण हेतु 34 कार्यवाही के बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। इसी भांति कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर हेतु भी वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। कार्य योजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया है। सम्बन्धित विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही कराये जाने एवं उसको पोर्टल पर अपलोड किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर रायबरेली, सोनभद्र (अनपरा) एवं प्रयागराज में भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है एवं इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 28-10-2015 को वायु अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट के जलाने को प्रतिबन्धित किया गया है। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करायी गयी है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित एवं संचालित नहीं पाया जाता है, के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वाहनों में उपलब्धता के आधार पर (सी0एन0जी0) का प्रयोग प्रोत्साहित किया गया है तथा 10/15 साल से अधिक आयु सीमा के डीजल/पेट्रोल चालित वाहनों को एन0सी0आर0 क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने हेतु कम्बाइन्ड हार्वेस्टिंग मशीन, स्ट्रा रिपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रा रिपर का उपयोग अनिवार्य किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10-02-2017 जारी किया गया है। कृषि अपशिष्ट से तैयार बायो ब्रिकेट के प्रयोग को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने हेतु उद्योगों/भट्ठों के संचालन हेतु निर्गत की जाने वाली सहमति में कम से कम 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है।

सरकार द्वारा सी0एन0जी0 तथा बैटरी चालित वाहनों एवं सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा वर्तमान में बी0एस0-4 मानक प्राप्त करने वाले वाहनों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण विभाग द्वारा बड़ी परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय सौर ऊर्जा के प्रयोग किये जाने की विशेष शर्त अधिरोपित की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा पराली को जलाये जाने से रोकने हेतु कृषकों को यंत्र वितरण हेतु भारत सरकार से योजना स्वीकृत करायी गयी है तथा इस हेतु आवश्यक विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में नहरों, माइनरों एवं रजवहा की सफाई कराये जाने की जानकारी**

***08-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत एक वर्ष में प्रदेश की कितनी नहरों, माइनर, रजबहा की सफाई कराई गई है एवं उस पर कितना व्यय किया गया है और कितनी नहरें, माइनर, रजबहा में सफाई नहीं हो पायी है ? क्या सरकार शेष नहरों की सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-**

विगत वर्ष (2017-18) में 1425 फसली खरीफ एवं 1425 फसली रबी दोनों में प्रदेश की 5649 नहरों की 27496.11 कि0मी0 लम्बाई में (1425 खरीफ फसली में 243 रजवहों में 3809.28 कि0मी0 तथा 974 माइनरों में 3561.31 कि0मी0 एवं 1425 रबी फसली में 887 अदद् रजवहों में 9967.48 कि0मी0 एवं 3545 माइनरों में 10158.04 कि0मी0) सिल्ट सफाई करायी गयी है जिस पर रु0 9954.55 लाख की धनराशि व्यय हुई है। गत वर्ष (2017-18) में 4297 नहरों (4030 माइनरों एवं 267 राजवहों) की सिल्ट सफाई नहीं हो पायी है।

जी हां।

इस वर्ष 2018-19 रबी फसली 1426 में गत वर्ष की अवशेष उपरोक्त 4297 नहरों (माइनरों/राजवाहों) की सिल्ट सफाई प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्धता अनुसार करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में शराब जनित सामाजिक अपराधों के दृष्टिगत प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी की मांग**

***09-श्री मो0 फईम इरफान तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार शराब पीने की आदत को समाज में विभिन्न अपराधों, अराजकता व अस्वस्थता आदि कई बुराइयों का प्रमुख कारक मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-**

जी नहीं।

समाज में होने वाले विभिन्न अपराध, अराजकता व अस्वस्थता आदि का प्रमुख कारण शराब नहीं है। अपराध, अराजकता व अस्वस्थता कई कारणों से घटित होते हैं, जिनके लिए शराब को पूर्णतः दोष दिया जाना उचित नहीं है।

प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू किये जाने की कोई नीति सरकार के विधाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आबकारी विभाग प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए राजस्व अर्जित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है। मद्य निषेध राज्य की नीति है, किन्तु मदिरा सेवियों को मानक गुणवत्ता मदिरा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-08 के अन्तर्गत प्राप्त मदिरा के उत्पादन, विनिर्माण, सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या-08 के अन्तर्गत प्राप्त मदिरा के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय तथा विक्रय के नियन्त्रण के अधिकार के तहत इस अधिकार को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित करती है। इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग राज्य की विकास योजनओं को संचालित किये जाने में किया जाता है। शराब पूर्ण रूप से बन्द कर दिये जाने से मदिरा सेवियों को मानक गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध नहीं हो पायेगी और वह अन्य स्रोतों से अवैध/तस्करी कर लाई गई मदिरा का सेवन करेंगे, जिससे जनहानि की सम्भावना बलवती होगी तथा राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ेगा। राजस्व प्राप्त न होने से राज्य की विकास योजनायें प्रभावित हो सकती हैं।

**प्रदेश के नगर पालिका परिषदों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी एवं अन्य विसंगतियों को दूर करने की जानकारी**

***10-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर पालिका परिषदों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी एवं अन्य विसंगतियों को सरकार दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के अन्तर्गत लेवल-1 के मूल वेतन रु0 18000.00 के साथ मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता दिया जा रहा है। संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में रु0 15740.00 दिया जा रहा है।

**प्रदेश में मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में बाहर से खाद्य सामग्री को अन्दर ले जाने की जानकारी**

***11-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों स्वामियों/संचालकों को किसी अधिनियम तथा उनके द्वारा प्रस्तावित नियमावली के द्वारा कोई ऐसा अधिकार प्राप्त है जिसके द्वारा दर्शकों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में वाहर की खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करने की मनाही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियमावली को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

कोई अधिकार प्रदान नहीं किया है, जिसके द्वारा दर्शकों को मल्टीप्लेक्स सिनेमा परिसर में बाहर की खाद्य वस्तुओं का प्रयोग करने की मनाही हो, परन्तु उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951

के परिशिष्ट द्वारा विहित प्रारूप में जारी लाइसेंस की शर्त संख्या-20 में प्राविधान है कि प्रेक्षागृह के अन्दर किसी चाय, काफी, दूध, शीतल पेयों या किन्ही खाद्य सामग्रियों, जो मुहर बन्द पैकेट में न हो, का विक्रय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि इस सम्बन्ध में संज्ञान में लाया जायेगा कि सन्दर्भित मल्टीप्लेक्स/सिनेमा में मुहर बन्द पैकेट में खाद्य सामग्री लाने से मना किया जा रहा है तो सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा-8 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

**प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए सभी विधायकों को 25 कि0मी0 सड़क उनकी संस्तुति पर दिये जाने की मांग**

***12-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं क्षेत्रीय सन्तुलन के दृष्टिगत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 25 किलोमीटर सड़क विधायकों की संस्तुति पर सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस हेतु प्रस्ताव मांगे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने की जानकारी**

***13-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले अवस्थापना सम्बन्धी निर्माण कार्यों की लागत बढ़ जाने के कारण उक्त कार्यों हेतु जिला स्तर पर दी जाने वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार इस मद में जीएसटी हेतु अलग से बजट प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल विकास निधि अनुदान संख्या-56 में रु0 200.00 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 में रु0 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि जिलांश में एवं 50 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के अन्तर्गत है। अतः प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों की स्वीकृति दी जाती है।

नये कार्यों हेतु परियोजना की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है तथा पुराने कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-1614/23-10-2017-12(सामान्य)/2017, दिनांक 09-11-2017 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

**उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे के अन्तर्गत गन्दा पानी गंगा में गिरने से रोके जाने की जानकारी**

***14-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत किन-किन शहरों में कितने गंदे नालों को गंगा में गिरने से रोकने हेतु सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां। नमामि गंगा तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा वाराणसी नगरों से गंगा नदी में गिरने वाले 84 नालों को टैप किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राष्टीय स्वच्छ मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद, कन्नौज, नरौरा, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, वाराणसी, कानपुर, बिठूर, शुक्लागंज उन्नाव, रामनगर, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, चुनार और झूंसी नगरों में कुल 27 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं।

कुम्भ मेला के दृष्टिगत 15 दिसम्बर, 2018 से गंगा नदी में गिरने वाले 107 नालों के शोधन का कार्य कराया जा रहा है।

जी हां। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु एन0जी0आर0 बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बनायी गयी योजनाओं तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत टैप किये जाने वाले नालों का विस्तृत विवरण[†] संलग्न-I, II एवं III पर अवलोकनीय है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में भाषा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिन्दी में प्राशासनिक शब्दकोष मुद्रित कराये जाने की जानकारी**

***15-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाषा विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा हिन्दी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिन्दी, के प्रशासनिक शब्दकोष मुद्रित कराये जाते हैं ? यदि हां, तो वह कब मुद्रित कराये गये थे ? क्या सरकार शब्द कोषों की उपयोगिता को दृष्टिगत पुनः कब-कब प्रशासनिक शब्दकोष मुद्रित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां। भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा अंग्रेजी-हिन्दी के प्रशासनिक शब्दकोष मुद्रित कराये गये हैं, हिन्दी-अंग्रेजी के नहीं।

अन्तिम प्रकाशित संस्करण वर्ष 1998 में मुद्रित हुआ था।

जी हां, प्रशासनिक शब्दकोष (अंग्रेजी-हिन्दी) को संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण के रूप में प्रकाशन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

**प्रदेश में आबकारी विभाग के अन्तर्गत देशी शराब, अंग्रेजी शराब तथा बियर, भांग आदि की दुकानों का आवंटन दिये जाने की नीति की जानकारी**

***16-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आबकारी विभाग के अन्तर्गत देशी शराब, अग्रेजी शराब, बियर तथा भांग की बिक्री हेतु लाइसेंस आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित

---

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-139-149 पर)

जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को संविधान के अनुसार आरक्षण देने की कोई नीति सरकार लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री जय प्रताप सिंह-**

जी नहीं।

वर्ष 2018-19 में लागू आबकारी नीति में आबकारी दुकानों के आवंटन में ई-लाटरी प्रक्रिया लागू की गई है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर की उपलब्धता है। जो कोई भी चाहे ई-लॉटरी में सम्मिलित होकर दुकान प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। अतः प्रदेश में आबकारी विभाग के अन्तर्गत देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बियर तथा भांग की बिक्री हेतु लाइसेंस आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

**प्रदेश में टाउन एरिया/नगर पालिकाओं में विभिन्न मदों द्वारा सी0सी0 सड़कें या पेवर ब्लाक सड़क/नाली के निर्माण में हुए धन के दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी**

***17-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की टाउन एरिया/नगर पालिकाओं में विभिन्न मदों द्वारा सी0सी0 सड़कें या पेवर ब्लाक सड़क/नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के पश्चात् उन्हीं सड़कों पर पुनः नई सी0सी0 सड़क/पेवर ब्लाक कार्य कितने समय पश्चात् पुनः कराया जा सकता है ? क्या प्रदेश की कतिपय टाउन एरिया/नगर पालिकाओं की सड़क की समय-सीमा पूर्ण होने से पहले इस तरह का कार्य कराकर धन का दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु संचालित ''नगरीय सड़क सुधार योजना'' के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-715/नौ-5-2018-120बजट/2013, दिनांक 17-03-2018 के अन्तर्गत नयी/क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण कार्य स्थलीय व कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत सीमेंट, कंक्रीट (सी0सी0) से कराये जाने तथा योजनान्तर्गत निर्मित सड़क मार्गों के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की तय की गयी है। निर्मित सड़क पर पुनः कार्य कराये जाने हेतु कोई समय-सीमा नियत नहीं की गयी है, यह मौके की आवश्यकता के अनुसार सक्षम स्तर से तय किया जाता है। इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

**प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों को आरक्षण की पूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी**

***18-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों के आरक्षण की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद एवं राज्य स्तर पर किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है ? यदि हां, तो दिव्यांगजन को आरक्षण सुलभ न होने की दशा में कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा क्या उन्हें चिन्हित कर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी0एल0सी0) घटक मांग आधारित होने के कारण प्राप्त आवेदन-पत्रों के अनुसार भारत सरकार से डी0पी0आर0 स्वीकृत कराकर लाभार्थी द्वारा स्वयं आवासों का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशिका में मांग आधारित होने के कारण आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। जितने भी पात्र लाभार्थी दिव्यांगजन हैं। समस्त को नियमानुसार लाभ प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 11-07-2018 के अनुसार दिव्यांगजनों को आवास आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में वरीयता नीति की व्यवस्था प्राविधानित है। भवन आवंटन में प्राविधानित उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1132/आठ-1-18-106 विविध/18 के प्रस्तर-5.7 में जिला स्तर पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न

### जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गन्ना समिति ऐरा द्वारा बेती सहदेव तथा रंजीतगंज आदि गोदामों को पुनर्जीवित कराये जाने की जानकारी

**1-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गन्ना समिति ऐरा द्वारा बेती सहदेव तथा रंजीतगंज आदि के बंद गोदामों को पुनर्जीवित कर किसानों को खाद बीज सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

गन्ना समितियां स्ववित्तपोषित सहकारी संस्थायें हैं, जिसमें व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा लिया जाता है, जहां तक ग्राम बेती सहदेव में गन्ना समिति ऐरा का खाद गोदाम बना है, जिसका भवन मरम्मत योग्य था, जिसकी मरम्मत करायी जा रही है, साथ ही गन्ना पर्यवेक्षक से लाइसेंस बनवाने हेतु आधार कार्ड व फोटो प्राप्त कर कृषि विभाग से लाइसेन्स बनवाने की प्रक्रिया अग्रेसित की गयी है। इसके पश्चात् हैण्डहेल्ड मशीन कृषि विभाग से प्राप्त कर शीघ्र ही बेती सहदेव उप खाद गोदाम पर खाद वितरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

गन्ना समिति ऐरा के अन्तर्गत उप खाद गोदाम, रंजीतगंज का भवन बहुत पुराना एवं जर्जर था। स्थानीय निवासियों द्वारा पुरानी बिल्डिंग का मलवा तक उठा लिया गया है, जिस कारण से खाद वितरण कराना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

गन्ना समितियां स्ववित्तपोषित संस्थायें हैं, जिसके बजट, व्यय एवं व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय प्रबन्ध कमेटी एवं साधारण सभा द्वारा आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

**उ0प्र0 जल निगम के कतिपय आशुलिपिकों को कार्यमुक्त किये जाने का प्रकरण**

**2-श्री सन्त प्रसाद-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक सं0-3584/मु0अ0/(ल0क्षे0) अधि0-7/193, दिनांक 23-7-2018 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम को कतिपय आशुलिपिक को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त निर्देशों का अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, उन्नाव द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो निर्देशों की अवहेलना करने के दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद गोरखपुर, तहसील खजनी में घाघरा नदी के तटबन्ध बनाये जाने, भूमि का मुआवजा दिये जाने की जानकारी**

**3-श्री सन्त प्रसाद-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की खजनी तहसील में घाघरा नदी के तटबन्ध के लिये ली गयी भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों को मुआवजा बढ़े हुये दर के अनुसार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जी हां, तटबन्ध के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के अवशेष भू-प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु वर्तमान सर्किल दरों के आधार पर गणना चक्र तैयार किया गया है।

आवश्यक धनराशि की व्यवस्था होने पर अवशेष भू-प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**पत्र सं0-ख-6 नं0-370410, दिनांक 31-05-2018 पर कार्रवाई किये जाने की जानकारी**

**श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0-ख-6 नं0-370410, दिनांक 31-05-2018 द्वारा अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड उत्तर के अन्तर्गत कार्यरत अवर अभियन्ता

श्री हरीचन्द्र की कर्तव्यों में शिथिलता बरतने की शिकायत आपसे की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

राजकीय नलकूप संख्या-11बी0बी0 पर वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में नवीन पम्प सेट का आवंटन नहीं किया गया है तथा खराब हुए पम्प सेट को ठीक कराकर नलकूप दोषमुक्त कराते हुए सिंचाईरत् करा दिया गया है। उक्त आशय की सूचना अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, उत्तर बुलन्दशहर ने अपने पत्रांक-413/नखउबु/शिकायत, दिनांक 10-07-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि श्री हरीशचन्द अवर अभियन्ता दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद में एक आडीटोरियम तथा कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण कराये जाने की योजना**

**5-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु एक आडीटोरियम तथा कम्यूनिटी सेंटर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

नगरीय स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्रान्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता के कार्यों हेतु उनकी मांग पर ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत करने हेतु शासन स्तर पर वर्ष 2000-2001 में रिवाल्विंग फण्ड का गठन किया गया था, जो वर्तमान में पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के नाम से प्रचलित है।

उक्त योजनान्तर्गत, प्रश्नगत कार्यों हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका परिषद् में श्री इरफान त्यागी की अवैध नियुक्ति पर कार्रवाई किये जाने की जानकारी**

**6-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद्-सिकन्द्राबाद, में कार्यरत लिपिक श्री इरफान त्यागी की नियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा की गयी जांच में अवैध पायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अवैध नियुक्ति के सम्बन्ध में अब तक कोई अग्रेतर कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के पत्रांक-830/अध्यक्ष/2018-19, दिनांक 26-10-2018 द्वारा श्री इरफान त्यागी, लिपिक की अवैध नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद की बसावटें/गांवों को डामर रोडों से जोड़े जाने की जानकारी**

**7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद की कुल कितनी बसावटें/गांवों को डामर रोडों से जोड़ा जाना शेष है ? क्या सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करके उक्त क्षेत्र में डामर रोडों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत बसावटों/ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के राजस्व ग्राम 08 तथा 250 से अधिक आबादी की 10 बसावटें, जो कि 2-लेन मार्ग से 5 कि0मी0 परिधि के अन्तर्गत हैं, को डामर रोड से जोड़ा जाना शेष है।

प्रश्नगत अवशेष राजस्व ग्रामों/बसावटों को जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा स्थित ग्राम पुलन्दर से जरसेन के लिए पक्के मार्ग की मांग**

**8-श्री विनोद कुमार कटियार-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा स्थित ग्राम-पुलन्दर से जरसेन के लिए पक्का मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं। ग्राम पुलन्दर एवं जरसेन पूर्व से अलग-अलग लेपित सम्पर्क मार्गों से जुड़े हुए हैं। ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद कानपुर के ग्राम गदाई खेड़ा, ब्लाक अमरौंधा, तहसील भोगनीपुर में स्वीकृत सिंचाई हेतु नलकूप के लिए बजट आवंटन की जानकारी**

**9-श्री विनोद कुमार कटियार-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ग्राम गदाई खेड़ा, ब्लाक अमरौंधा, तहसील भोगनीपुर में सिंचाई हेतु स्वीकृत नलकूप के लिए बजट का प्राविधान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जनपद-कानपुर देहात के ग्राम-गदाई खेड़ा, ब्लाक-अमरौंधा, तहसील-भोगनीपुर में सिंचाई हेतु स्वीकृत नलकूप के लिए वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन कर दिया गया है।

उक्त स्वीकृति शासनादेश सं0-91/2018/3491/सत्ताइस-10-18-20बजट/18, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 द्वारा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के नगर निगम के अन्तर्गत भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का प्रकरण**

**10-श्री राकेश प्रताप सिंह तथा श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत रिक्त भवन संख्या-1/180 से लेकर भवन संख्या-1/184 तक सेक्टर 1, विकास नगर, लखनऊ स्थित भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां अनियमित रूप से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी नहीं, अपितु भवन संख्या-1/182 एवं भवन संख्या-1/184 में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

उक्त भवनों का आवासीय या अनावसीय प्रयोग किए जाने पर कार्रवाई विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद् के कार्यक्षेत्र में आता है। अतः आवास विकास परिषद् की कालोनी होने के कारण कार्यवाई आवास विकास परिषद् द्वारा की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के मण्डलों में चीनी निगम एवं गन्ना विकास समितियों के अभियन्ताओं के प्रतिनियुक्ति की योजना**

**11-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी चीनी निगम एवं गन्ना विकास समितियां हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि गन्ना विकास समितियों एवं चीनी निगमों में कुल कितने अभियन्ता कार्यरत हैं और उनमें से कितने अभियन्ता अन्य विभागों में

प्रतिनियुक्ति पर गये हैं ? क्या सरकार जनहित में प्रतिनियुक्ति पर गये अभियन्ताओं को मूल विभाग में वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

उत्तर प्रदेश में एक चीनी निगम ''उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ'' एवं 169 सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं।

जी हां।

''सहकारी गन्ना विकास समितियों में कोई भी अभियन्ता कार्यरत नहीं है।''

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 में वर्तमान में 10 अभियन्ता कार्यरत हैं जिनमें से 02 अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना में कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 में कार्य की आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अभियन्ताओं को वापस बुलाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**12-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-**

[01ले गुरुवार के अता0प्र0सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद शाहजहांपुर के प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभागीय अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्षों में रेंजवार लगाये गये पौधे एवं व्यय धनराशि का विवरण**

**13-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभागीय अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में 15 अगस्त, 2018 तक कितने पेड़ जनपद में कहां-कहां लगाये गये तथा पेड़ लगवाने में ईंट तथा मजदूरों हेतु कितनी-कितनी धनराशि उन्हें प्राप्त हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्षों में जनपद के सभी विभागीय रेन्ज में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब कहां व्यय की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

शाहजहांपुर जनपद में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में 15 अगस्त, 2018 तक रेंजवार लगाये गये पौधों एवं व्यय धनराशि का वर्षवार व स्थलवार विवरण संलग्न है तथा रेंजों में वर्षवार व्यय की गयी कुल धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

| क्र0 सं0 | रेंज का नाम | वर्षवार व्यय धनराशि (लाख में) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | |
| | | प्राप्त धन0 | व्यय धन0 | प्राप्त धन0 | व्यय धन0 | प्राप्त धन0 | व्यय धन0 | प्राप्त धन0 | व्यय धन0 |
| 1 | शाहजहांपुर | 40.85 | 40.85 | 350.60 | 350.60 | 211.92 | 211.92 | 19.12 | 14.38 |
| 2 | तिलहर | 2.64 | 2.64 | 129.36 | 129.36 | 75.13 | 75.13 | 2.80 | 1.73 |
| 3 | जलालाबाद | 35.12 | 35.12 | 203.92 | 203.92 | 155.64 | 155.64 | 50.72 | 13.60 |
| 4 | खुटार | 114.65 | 114.65 | 430.95 | 430.95 | 363.06 | 363.06 | 176.40 | 160.70 |
| 5 | सिधौली | 7.52 | 7.52 | 106.13 | 106.13 | 48.85 | 48.85 | 5.23 | 2.89 |
| | योग- | 200.78 | 200.78 | 1220.96 | 1220.96 | 854.60 | 854.60 | 254.27 | 193.30 |

रेंजवार ईंट तथा मजदूरों हेतु प्राप्त एवं व्यय धनराशि का वर्षवार विवरण-

| क्र0 सं0 | रेंज का नाम | वर्षवार व्यय धनराशि (लाख में) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | |
| | | ईंट हेतु प्राप्ति/ व्यय | श्रमिकों हेतु प्राप्ति/ व्यय | ईंट हेतु प्राप्ति/ व्यय | श्रमिकों हेतु प्राप्ति/ व्यय | ईंट हेतु प्राप्ति/ व्यय | श्रमिकों हेतु प्राप्ति/ व्यय | ईंट हेतु प्राप्ति/ व्यय | श्रमिकों हेतु | |
| | | | | | | | | | प्राप्ति | व्यय |
| 1 | शाहजहांपुर | 3.60 | 27.58 | 88.68 | 134.94 | 32.76 | 117.28 | - | 15.30 | 11.51 |
| 2 | तिलहर | 0.72 | 1.89 | 43.91 | 32.06 | 20.76 | 26.98 | - | 2.24 | 1.39 |
| 3 | जलालाबाद | 2.40 | 24.69 | 45.60 | 88.74 | 24.55 | 85.34 | - | 40.60 | 10.88 |
| 4 | खुटार | 4.61 | 85.19 | 70.75 | 227.83 | 15.36 | 265.94 | - | 141.12 | 128.56 |
| 5 | सिधौली | 2.64 | 2.27 | 32.88 | 31.08 | 14.16 | 16.49 | - | 4.19 | 2.31 |
| | योग- | 13.97 | 141.62 | 281.82 | 514.65 | 107.59 | 512.03 | - | 203.45 | 154.65 |

**राष्टीय जल प्रबन्ध योजना शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 1-4-18 से 30-8-18 तक प्राप्त धनराशि की जानकारी**

**14-प्रिन्स वीर विक्रम सिंह-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 01-04-2018 से 30-08-2018 तक कितनी धनराशि बाढ़ राहत कोष में शासन से प्राप्त हुई तथा उपरोक्त धनराशि कब-कब, कहां-कहां व्यय की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

सीतापुर के अधीनस्थ राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर के अन्तर्गत बाढ़ का कार्य क्षेत्र नहीं आता है। दिनांक 01-04-2018 से 30-08-2018 तक बाढ़ राहत कोष में शासन से कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

**प्रदेश में प्रत्येक नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिये जाने की जानकारी**

**15-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के विकास भवन के मुख्य द्वार पर बने मूत्रालय के साफ सफाई या दूसरी जगह स्थापित किये जाने की जानकारी**

**16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विकास भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नगर पालिका बस्ती के द्वारा निर्मित किये गये मूत्रालय की नियमित रूप से सफाई नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस्ती विकास भवन के गेट पर निर्मित मूत्रालय के साफ-सफाई की व्यवस्था अथवा मूत्रालय को कहीं अन्यत्र स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी नहीं, जनपद बस्ती में विकास भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नगर पालिका बस्ती के द्वारा निर्मित किये गये मूत्रालय की नियमित रूप से साफ-सफाई करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बस्ती के नगर पंचायत रूधौली में कर्मचारी को नगद वेतन भुगतान किये जाने की जानकारी**

**17-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के नगर पंचायत रूधौली में अप्रैल, 2018 का वेतन नकद भुगतान किया गया जबकि पूर्व में कर्मचारियों का वेतन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाता रहा है। यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नकद रूप में भुगतान किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नकद वेतन भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

जनपद बस्ती की नगर पंचायत रूधौली में आउटसोर्सिंग श्रमिकों का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जाता रहा है। माह अप्रैल का वेतन नया सर्विस प्रोवाईडर का चयन न होने के कारण श्रमिकों के हित एवं बोर्ड की सहमति से नगद किया गया था। शासनादेश संख्या-464/नौ-9-18-19ज/18, दिनांक 16-04-2018 द्वारा नगर निकायों में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग से तैनात कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

**जनपद बस्ती में कतिपय मिलों द्वारा गन्ना किसानों व कर्मचारियों का बकाया भुगतान कराये जाने की जानकारी**

**18-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की फेनिल ग्रुप शुगर इकाई, वाल्टर गंज तथा जनपद बलरामपुर की हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड, उतरौला सह इकाई है ?

यदि हां, तो क्या सरकार फेमिल ग्रुप शुगर इकाई वाल्टर गंज पर किसानों का रुपया 42 करोड़ का गन्ना बकाया भुगतान व कर्मचारियों का लगभग रुपया 3 करोड़ बकाया वेतन भुगतान हिन्दुस्तान शुगर लि0 उतरौला, जनपद बलरामपुर से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

वर्तमान में जनपद बस्ती में स्थित फेनिल ग्रुप की चीनी मिल वाल्टरगंज तथा जनपद बलरामपुर में स्थित बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उतरौला पृथक-पृथक समूह की इकाई हैं।

फेनिल ग्रुप की शुगर इकाई, वाल्टरगंज, जनपद बस्ती पर दिनांक 14-12-2018 की स्थिति के अनुसार पेराई-सत्र 2016-17 का रु0 22.58 करोड़ तथा पेराई-सत्र 2017-18 का रु0 19.66 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। अवशेष गन्ना मूल्य का समयान्तर्गत भुगतान न करने के कारण चीनी मिल वाल्टरगंज के विरुद्ध गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से दिनांक 07-02-2018 को पेराई-सत्र 2016-17 अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है तथा पेराई-सत्र 2017-18 की अवशेष धनराशि की वसूली हेतु दिनांक 14-12-2018 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। अग्रेतर पेराई-सत्र 2018-19 में चीनी मिल संचालित नहीं हुई है।

कर्मचारियों के वेतन भुगतान का प्रकरण श्रम विभाग से सम्बन्धित होने के कारण कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में पृथक से, श्रम विभाग से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली में सरजू नहर खण्ड-3 द्वारा कतिपय नहरों में पानी छोड़े जाने की जानकारी**

**19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रुधौली में सरजू नहर खण्ड-3 द्वारा अनदेऊरा से बाघाडीहा होते हुये परसा तिवारी के रेरुआ नदी तक जाने वाली नहर में विभाग द्वारा पानी नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा हेतु उक्त नहर में पानी छोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

पानी चलाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद एटा एवं अमापुर तहसील मुख्यालय सहावर को जोड़ने वाली सड़क के अवशेष भाग को समय से कराये जाने की मांग**

**20-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा एवं अमापुर तहसील मुख्यालय सहावर को जोड़ने वाली सड़क का जनपद कासगंज की सीमा में लगभग 20 किमी0 की रोड जो तहसील मुख्यालय सहावर को जोड़ती है का अवशेष भाग 8 माह पूर्व टेण्डर होने के बाद भी निर्मित

नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण समयबद्ध सीमा में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कासगंज के जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाली कासगंज से अमापुर सिड़पुर की सड़क के मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**21-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाली कासगंज से अमापुर सिड़पुर, जनपद कासगंज तक जाने वाली रोड जर्जर अवस्था में है, जिसका टेण्डर केन्द्रीय सड़क निधि से 8 माह पूर्व लगा था लेकिन निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां। प्रश्नगत कार्य का आगणन केन्द्रीय सड़क निधि 2017-18 के अन्तर्गत द्वितीय चरण के प्रस्तावों में भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य की निविदा माह 02/2018 में आमन्त्रित की गई थी किन्तु प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं हो सकी, जिसके कारण माह 04/2018 में उक्त निविदा निरस्त कर दी गई। मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य दिया गया है तथा वर्तमान में आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। उक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**आबकारी निरीक्षक परीक्षा 1990 के चयन एवं नियुक्ति में सतर्कता अधिष्ठान की पुलिस उप अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25-8-2003 को आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित-पत्र पर कार्रवाई की जानकारी**

**22-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा, 1990 के चयन एवं नियुक्ति में सतर्कता अधिष्ठान की पुलिस उप अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25-08-2003 को आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन को जांच में तत्कालीन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 एवं तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 सी0डी0 (1) डी0 सपठित 13 (2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री जय प्रताप सिंह-**

जी हां। उप आबकारी निरीक्षक परीक्षा 1990 के चयन एवं नियुक्ति में सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस उप अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 25-08-2003 को आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन को जांच में तत्कालीन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 एवं तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक एवं

अधिष्ठान), उ0प्र0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 (1) डी सपठित 13 (2) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की संस्तुति की गयी है।

उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा प्रश्नगत खुली जांच पूर्ण कर अन्तिम आख्या शासन के सतर्कता विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। अन्तिम निर्णय प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक म्याऊ में वन विभाग की भूमि पर रहने वाले वन्य जन्तुओं के पीने हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**23-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक म्याऊ में वन विभाग की भूमि पर रहने वाले वन्य जन्तुओं, काले हिरन की सुरक्षा हेतु पीने के पानी व छाया हेतु सरकार वृक्ष लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी नहीं, काले हिरन के सुरक्षा हेतु समुचित प्राकृतवास उपलब्ध होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

जनपद बदांचू के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक म्याऊ में वन विभाग की भूमि में रहने वाले वन्य जन्तु, काले हिरन हेतु पीने के पानी का प्रबन्ध दो वन खण्डों में वाटर होल्स का निर्माण कर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। इसके अतिरिक्त वन खण्ड के बाहर मौजूद प्राकृतिक जल स्रोतों में भी पानी की उपलब्धता बनी रहती है।

प्रश्नगत क्षेत्र में सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बदायूं के कुल 13 वन खण्ड स्थित है जिनका क्षेत्रफल 914.22 हे0 है। वन खण्डों का अधिकांश क्षेत्र ऊसर है तथा इनमें विगत वर्षों में ऊसर क्षेत्र हेतु उपयुक्त प्रजातियों का रोपण किया गया है। वर्षाकाल 2018 में भी कुल 54.00 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। काला हिरन मुख्य रूप से खुले घास-वाले मैदानी क्षेत्रों में वासित होने वाला वन्य प्राणी है, इसके लिये सघन वृक्षाच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। म्याऊ ब्लाक के क्षेत्र में अवस्थित वन खण्डों एवं समीपवर्ती कृषि क्षेत्रों में काले हिरन उन्मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं तथा उन्हें छाया हेतु यत्र-तत्र प्रचुर मात्रा में छायेदार वृक्ष उपलब्ध है। अतएव काला हिरन के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु समुचित प्राकृतवार उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में राम गंगा पर स्थित बेलाडांडी पुल से तिलहर जाने वाले रोड के मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**24-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा पर स्थित बेलाडांडी पुल से तिलहर जाने वाला रोड जो एन0एच0-24 से जुड़ता है पूर्णतया

क्षतिग्रस्त एवं अत्यन्त संकरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं, मार्ग की दशा संतोषजनक है। जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में दातागंज से बेलाडांडी पुल तक का भाग वर्तमान में दो लेन (7.00 मी0 चौड़ा) में लेपित मार्ग है। बेलाडांडी से जनपद बरेली, शाहजहांपुर होते हुये तिलहर (रा0मा0-24) पर मार्ग की लम्बाई 14.50 कि0मी0 है। मार्ग के इस भाग की चौड़ाई 3.00 मी0 से 3.75 मी0 तक है।

बेलाडांडी से जनपद बरेली, शाहजहांपुर होते हुये तिलहर (रा0मा0-24) मार्ग को 7.00 मी0 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आगणन गठित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में जिले से जिले को फोर लेन अथवा 10 मीटर चौड़ी रोड बनाये जाने की मांग**

**25-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्जिला मार्गों को जिले से जिले को फोर लेन अथवा 10 मीटर चौड़ी रोड बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में 250 व 500 के ऊपर आबादी को मुख्य मार्ग से जोड़ने की जानकारी**

**26-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत 250 तथा 500 की आबादी से ऊपर के किस-किस ग्राम व मजरे की सड़क मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृत है तथा कब तक उक्त काम पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

विधान सभा क्षेत्र, तहसील धौरहरा के अन्तर्गत 250 से 500 तक आबादी के ऊपर के कुल 25 ग्रामों व मजरों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी सूची संलग्न है। इनमें से 06 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा शेष 19 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति में है। इन मार्गों को मार्च, 2019 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले पितोबास माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने की जानकारी**

**27–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले पितोबास माइनर में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह–**

जी हां।

एक सप्ताह में।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के नगर पंचायत ककोड़ की सीमा वृद्धि कराये जाने का प्रकरण**

**28–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगर पंचायत ककोड़ की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत ककोड़ की सीमा वृद्धि करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

जी हां।

शासनादेश संख्या–409/9–1–15–426सा/14, दिनांक 31–01–2015 द्वारा नगर पंचायतों की सीमा विस्तार हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में शासन के पत्र दिनांक 05–12–2018 द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कराते हुए शासनादेश दिनांक 31–01–2015 में निर्धारित मानक के अनुसार नगर पंचायत ककोड़ के सीमा विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

**प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मण्डी परिषद् आदि विभागों द्वारा निर्मित सड़कों को पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बनवाये जाने की जानकारी**

**29–श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मण्डी परिषद् आदि विभागों द्वारा निर्मित सड़कों को पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा अधिग्रहित करके बनवाये जाने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार विगत वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में 30 जून, 2018 तक कितने मार्गों को अधिग्रहित कर निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य–**

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

अन्य विभागों के पूर्व निर्मित मार्गों को अधिग्रहित कर अनुरक्षण करने की कोई नीति नहीं है। उ0प्र0 शासन की नीति के अनुसार विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरुप पूर्व निर्मित मार्गों को विभागों की पारस्परिक सहमति से हस्तान्तरण/अनापत्ति के आधार पर अनुरक्षण का कार्य कराया जाता है।

**जनपद श्रावस्ती के गांव लक्ष्मननगर के पास निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने पर उक्त पुल के निर्माण, लागत एवं कार्यदायी संस्था के सम्पूर्ण विवरण के साथ टी0ए0सी0 की जांच रिपोर्ट का प्रकरण**

**30-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के लक्ष्मननगर के पास वर्ष 2016 में निर्मित पुल अगस्त, 2017 में ही टूट कर क्षतिग्रस्त होने की टी0ए0सी0 से जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच कमेटी में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी थे तथा उक्त पुल के निर्माण लागत एवं कार्यदायी संस्था का सम्पूर्ण विवरण के साथ टी0ए0सी0 की जांच रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में टी0ए0सी0 जांच नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण की लागत रु0 312.53 लाख थी तथा कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 है।

उपर्युक्तानुसार।

**जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् सेक्टर-आई, पायनियर स्कूल के पीछे कालोनी में सड़क, सीवर की मरम्मत एवं नाली निर्माण, सीवर लाइन बिछाये जाने की जानकारी**

**31-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित जानकीपुरम् सेक्टर-आई, पायनियर स्कूल के पीछे की कालोनी जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 15 वर्ष पूर्व विकसित किया गया था, इसका रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालोनी के भवन संख्या एम0आई0जी0 1/15 से 1/30 तक, एम0आई0जी0 1/12 से 1/190 तक, एकता पार्क के चारों ओर तथा एम0आई0जी0 1/9 से 1/29 तक सड़क, सीवर व नाली के अभाव से कालोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कोई भी हादसा होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की सड़क, सीवर व नाली ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां। जानकीपुरम् सेक्टर-आई, पायनियर स्कूल के पीछे की कालोनी सन् 2008 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जल संस्थान को हस्तगत की गयी थी। उक्त कालोनी में लखनऊ

विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर लाइन डाली गयी है जिसका अनुरक्षण कार्य जल संस्थान (जलकल) द्वारा किया जाता है। सीवर लाइन चालू हालत में है।

प्रश्नगत कालोनी की अवस्थापना सुविधाओं में सुधार कार्य हेतु योजना प्रस्तावित है। उक्त कालोनी में वर्णित भवनों के मध्य सीवर सुचारू रूप से चल रही है तथा सीवर की कोई समस्या नहीं है।

उक्त कालोनी की सड़क व नाली को ठीक कराये जाने का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**32-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-**

[01ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**33-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-**

[01ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद लखनऊ-मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहाल गंज के साधन सहकारी समिति के भवन के प्लास्टर कराये जाने की मांग**

**34-श्रीमती जय देवी-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ-मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज के साधन सहकारी समिति के भवन का प्लास्टर कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-**

जी हां।

जनपद लखनऊ में वर्तमान में सहकारी समितियों के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवन के मरम्मत हेतु कोई योजना संचालित नहीं है और इस मद में कोई बजट भी आवंटित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी**

**35-श्रीमती जय देवी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ-मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में मुख्य सड़क से वाया साधन सहकारी समिति श्री चन्द्रिका रावत के मकान तक सड़क के दोनों तरफ नाली एवं सड़क के निर्माण हेतु श्री कौशल किशोर सांसद का पत्र माह जुलाई, 2018 में जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

प्रश्नगत निर्माण कार्य जनपद-लखनऊ के मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहाल गंज में मुख्य सड़क से वाया साधन सहकारी समिति श्री चंद्रिका रावत के मकान तक सड़क के दोनों तरफ नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसकी लम्बाई 195 मी0 व अनुमानित लागत रु0 14.89 लाख है। प्रश्नगत नाली व सड़क निर्माण हेतु जिला पंचायत की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव रखा जाएगा। जिला पंचायत की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निर्माण हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के बकुलाही नदी पर लुप्त नदी के पुराने लूप को पुनर्जीवित करने हेतु कवर डायवर्जन के निर्माण कराये जाने की योजना**

**36-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी पर भयहरणनाथ धाम पूरे तोरई पर लुप्त नदी के पुराने लूप को पुनर्जीवित करने हेतु डायवर्जन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो उक्त से सम्बन्धित 25 ग्राम सभाओं के भू-गर्भ जल को रिचार्ज करने व पेयजल संकट, सिंचाई के संकट से मुक्त करने वाली इस परियोजना (डायवर्जन निर्माण) का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में भयहरणनाथ धाम के पास पूरे तोराई में स्थित बकुलाही लूप चैनल को पुनर्जीवित करने हेतु बकुलाही ड्रेन के कि0मी0 43.000 पर डायवर्जन निर्माण की परियोजना रु0 257.30 लाख की तैयार की गयी है। उक्त परियोजना आगामी मुख्य अभियन्ता समिति एवं तकनीकी सलाहकार समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत होगी। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति से स्वीकृत होने के पश्चात् धनावंटन होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ में नहरों के टेल तक पानी पहुंचाये जाने का विवरण**

**37-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में कौन-कौन सी शाखा नहरें उनके रजवाहे और उनकी अल्पिकायें हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सभी नहरों की वर्ष 2013 से 2018 तक सिल्ट की सफाई हुयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

शारदा सहायक संगठन के नियंत्रणाधीन अधीक्षण अभियन्ता, षोडश मण्डल सिंचाई कार्य, प्रतापगढ़ तथा अधीक्षण अभियन्ता, अष्टदश मण्डल सिंचाई कार्य, प्रयागराज के अधीन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-प्रथम, प्रयागराज के कार्य क्षेत्र में संलग्न विवरण के अनुसार क्रमशः 41 नहरें व 05 नहरें, कुल 46 नहरें हैं।

जी हां।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के छावनी रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर रेलवे क्रासिंग फाटक के ऊपर से ओवर ब्रिज बनवाने की मांग**

**38-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुगम आवागमन के लिये छावनी रेलवे स्टेशन गोरखपुर के निकट रेलवे क्रासिंग फाटक पर ओवर ब्रिज सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजिबिल नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बुलन्दशहर के गुलावठी नगर के पास सिकन्द्राबाद मार्ग पर वायू प्रदूषण करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की जानकारी**

**39-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के गुलावठी नगर के पास गुलावठी सिकन्द्राबाद मार्ग पर लोहा पिघलाने का कार्य करने वाले उद्योग से वायु प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्योग के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-150-151 पर।

जनपद बुलन्दशहर के गुलावठी नगर के पास गुलावठी-सिकन्द्राबाद मार्ग पर मात्र एक उद्योग मै0 आयशा स्टील प्रा0 लि0, खसरा नं0-121, ग्राम-भामरा, गुलावटी, सिकन्द्राबाद रोड, जनपद-बुलन्दशहर स्थापित है। इस उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण फैलाने की समस्या नहीं पायी गयी है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 07-12-2018 को निरीक्षण किया गया। उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में आई0डी0 फैन, हुड, वैट स्क्रबिंग सिस्टम एवं भू-तल से 30.0 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। दिनांक 10-12-2018 को उद्योग की चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्यानुसार वायु प्रदूषण के प्रचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

**जनपद-बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में टायर जलाकर वायू प्रदूषण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग**

**40-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में पुराने टायर जलाकर तेल निकालने का कार्य करने वाले उद्योगों से क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने टायरों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पायरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा ऑयल एवं ब्लैक कार्बन बनाने वाले कुल-12 उद्योग स्थापित हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

मै0 श्री सोमेश्वर एलायज प्रा0 लि0, प्लाट सं0 सी-52, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

मै0 वेव मैक्स पायरो प्रा0 लि0, प्लाट सं0 ई-42/43, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

मै0 श्री मोहम्मद इस्लाम द्वारा संचालित औद्योगिक इकाई, प्लाट सं0 आर-31, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

मै0 रायजादा एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, प्लाट सं0 डी-06, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

मै0 ए0 एण्ड इण्टरप्राइजेज, एचसी-26, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

मै0 ए0एन0 इण्डस्ट्रीज, सी-32, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

मै0 श्रीमती ट्रेडर्स, ई-15, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

मै0 आर0वी0 इण्डस्ट्रीज, डी-41, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

मै0 के0आर0 इण्डस्ट्रीज, सी-26, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

मै0 इण्डियन इण्टरनेशल, एम-7, 8, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

मै0 आर0के0 पायरोलिस इण्डस्ट्रीज, बी-19ए, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

मै0 पायरोलियम प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, के-3, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

इन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं एवं उत्सर्जन की नियमित जांव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है। उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 04 पर उल्लिखित कुल-04 उद्योगों में उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 27-06-2018 को बंदी आदेश निर्गत किये गये थे तथा उत्पादन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया था। बन्द कराये गये उद्योगों में से क्रम सं0-01 एवं 02 पर उल्लिखित 02 उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिये जाने की अनुपालन सूचना बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त स्थलीय जांच के आधार पर क्रमशः दिनांक 27-08-2018 एवं दिनांक 04-09-2018 को उनके विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश सशर्त निक्षेपित किये गये हैं। वर्तमान में स्थापित 12 उद्योगों की अद्यतन जांच माह नवम्बर, 2018 व दिसम्बर, 2018 में विभिन्न तिथियों में हुई, जिसमें पाया गया कि उपरोक्त क्रम सं0-01 से 02 तथा 05 से 09 तक कुल-07 उद्योगों के उत्सर्ग मानकों के अनुरूप हैं। क्रम0 सं0-10 से 12 तक कुल 03 उद्योग स्वयं के कारणों से बंद है तथा क्रम सं0-03 एवं 04 में अंकित 02 उद्योग बोर्ड के बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाली मांट ब्रांच खण्ड गंग नहर के बड़ौदा तथा हसनपुर रजवाहे में नियमित रूप से पानी पहुंचाये जाने की मांग**

41-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाली मांट ब्रांच खण्ड गंग नहर के बड़ौदा तथा हसनपुर रजवाहे में नियमित रूप से टेल तक पानी पहुंचाने हेतु क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

ऊपरी मांट शाखा खण्ड गंग नहर, खुर्जा के अन्तर्गत सिकन्द्राबाद विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले बड़ौदा तथा हसनपुर राजवाहे में रोस्टर के अनुसार खरीफ 1425 फसली, रबी 1425 फसली, खरीफ 1426 फसली एवं वर्तमान में रबी 1426 फसली में पानी पहुंचा कर टेल फीड करा दी गयी है। भविष्य में भी बड़ौदा एवं हसनपुर राजवाहे को रोस्टर एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार चलाकर राजवाहों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाली मांट ब्रांच खण्ड गंग नहर पर बने पुल के मरम्मत कराने एवं कुछ दिन पहले हुये घटना में पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग**

**42-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, अन्तर्गत मांट ब्रांच खण्ड गंग नहर पर पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 7 माह पूर्व एक टैम्पो के नहर में गिरने के कारण एक बच्ची की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक न कराने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं। पुल 100 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण आंशिक क्षतिग्रस्त है। अनियंत्रित टैम्पो मांट ब्रांच गंग नहर पर पुल की पैरापिट को तोड़कर नहर में गिर गया था। यदि टैम्पो अनियंत्रित नहीं होता तो नहर में नहीं गिरता तथा बच्ची की मृत्यु नहीं होती। पुल पर अभी भी वाहनों का आवागमन हो रहा है।

नहर पर उक्त पुल 100 वर्ष से अधिक पुराना है। अनियंत्रित टैम्पो मांट ब्रांच गंग नहर पर पुल की पैरामिट को तोड़कर नहर में गिर गया था। नहर पर रेलिंग व दोनों ओर बेरीकेटिंग लगवा दी गयी, परन्तु भारी वाहनों द्वारा बार-बार रेलिंग तोड़ दी गयी। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु पुल निर्माण की परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष निविदा प्रक्रिया प्रगति में है। शीघ्र ही नवीन पुल का निर्माण करा दिया जायेगा। इस प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में मै0 गंग इन्डस्टीज द्वारा फैलाये जा रहे जल प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई की मांग**

**43-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर स्थित उद्योग मै0 गंग इण्डस्ट्रीज द्वारा फैलाये जा रहे जल प्रदूषण के दृष्टिगत उक्त इण्डस्ट्री के विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाइड प्रोडक्ट लि0, (पूर्वनाम मै0 सूरज वनस्पति लि0), प्लाट नं0-ए-26, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर द्वारा पूर्व में वनस्पति घी एवं रिफाइन्ड

आयल इत्यादि का उत्पादन कार्य किया जाता था। इस उद्योग की दिनांक 05-12-2018 को जांच कराई गयी, परन्तु वर्ष 2010 से उद्योग में उत्पादन कार्य स्वयं के कारणों से बन्द है।

**जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत समितियों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों का विवरण**

**44-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत कौन-कौन समितियां हैं तथा साधन सहकारी समितियों और एफ0एस0एस0 समितियों में किस-किस समिति में कितने कर्मचारी हैं तथा किस-किस समिति में कौन-कौन पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों की भर्ती पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुकुट बिहारी वर्मा-**

| नाम सहकारी समिति (फैक्स) | कार्यरत कर्मचारी की सं0 | रिक्त पदों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | आंकिक | सह0/चौ0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भल्लियाबुजुर्ग सा0सह0 समिति लि0 | 0 | 1 | 1 |
| निपनियां सा0स0स0लि0 | 3 | 0 | 0 |
| बिझौली सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| गनेशपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 0 |
| कैमहरा किसान से0सह0स0लि0 | 3 | 0 | 0 |
| हाथीपुरगणेशगंज किसान | 5 | 0 | 0 |
| कटिया कि0से0सह0स0लि0 | 1 | 0 | 0 |
| कालाआम कि0से0सह0स0लि0 | 3 | 0 | 0 |
| रूकनापुर सा0सह0 समिति लि0 | 1 | 1 | 0 |
| मैनहा कि0से0स0स0लि0 | 5 | 0 | 0 |
| फूलबेहड कि0से0स0स0लि0 | 7 | 0 | 0 |
| सैदापुर किसान से0स0स0लि0 | 5 | 0 | 0 |
| कंचनपुर कि0से0सह0लि0 | 4 | 0 | 1 |
| पिपरांवा सा0सह0 समिति लि0 | 7 | 0 | 0 |
| मौजमाबाद किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 0 |
| मुडियाखुर्द सा0सह0 स0लि0 | 4 | 0 | 0 |
| सर्वा किसान से0सह0स0लि0 | 3 | 1 | 0 |
| बसहा किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 1 |
| लखपेड़ागंज किसान से0सह0स0लि0 | 7 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| रंगीलानगर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| सेवढ़ा सा0सह0 समिति लि0 | 5 | 1 | 0 |
| रौलिया सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| बड़ागांव सा0सह0 समिति लि0 | 6 | 0 | 0 |
| बढईडीहा सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 1 | 0 |
| गौरिया किसान से0सह0स0 लि0 | 4 | 0 | 0 |
| पुर्वासांवल किसान से0सह0स0 लि0 | 7 | 0 | 0 |
| अछनिया किसान से0सह0स0 लि0 | 4 | 1 | 0 |
| भूलनपुर सा0सह0 समिति लि0 | 5 | 1 | 0 |
| भदूरीगोपालपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 0 |
| पैला सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| सिसांवाकला सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| मुगलीपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| नींमगांव सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| शंकरपुर सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| दाउदपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| गोंधिया सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| बस्तौली सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 1 |
| रमुआपुर सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 1 |
| भदेड सा0सह0 समिति लि0 | 1 | 1 | 0 |
| पडरियातुला सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| बिजुआ किसान से0सह0स0 लि0 | 4 | 0 | 0 |
| भानपुर किसान से0सह0स0 लि0 | 2 | 0 | 0 |
| भीरा किसान से0सह0स0 लि0 | 4 | 0 | 0 |
| ग्रन्ट नं0 10 किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 0 |
| मैलानी किसान से0सह0स0लि0 | 3 | 0 | 0 |
| कुकराटाउन किसान से0सह0स0लि0 | 7 | 0 | 0 |
| ग्रन्ट नं0 18 किसान से0सह0स0लि0 | 2 | 0 | 1 |
| जलालपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| रोशननगर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| अलीगंज किसान से0सह0 समिति लि0 | 5 | 1 | 0 |
| गोला सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| जडौरा सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| शहाबुद्दीनपुर सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| ममरी सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| अहमदनगर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 0 |
| सिकन्द्राबाद सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 1 |
| लन्दनपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 0 |
| मढिया सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 1 |
| अमीरनगर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| बस्तौली किसान से0सह0स0लि0 | 3 | 0 | 0 |
| राजापुरबेनी किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 1 |
| बौधीखुर्द सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| गुलौली सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| बगरेटी सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| शिवनगरा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| इटौवाकोरिगवां सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| गोकन सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| सिसौरा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| फरेंदा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| बडखर किसान से0सह0स0 लि0 | 3 | 1 | 0 |
| विचपरी सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| मूडागालिब किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 0 |
| औंरगाबाद सा0 सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| मैंगलगंज किसान से0सह0स0लि0 | 0 | 1 | 1 |
| खरगापुर सा0 सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 1 |
| पसगवा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| जसमढी सा0 सह0 समिति लि0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मठवालदेवता सा0 सह0 समिति लि0 | 1 | 0 | 0 |
| बिनिकागांव सा0 सह0 समिति लि0 | 1 | 1 | 0 |
| किरियारा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| हैरमखेड़ा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| मकसूदपुर सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| मोहिउद्दीनपुर कि0 | 2 | 1 | 1 |
| पैकीपुर सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| मितौली किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 1 |
| कलुआमोती सा0 सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 0 |
| कैमहराबाछिल सा0 सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| सलाहपुर सा0 सह0 समिति लि0 | 1 | 1 | 0 |
| बबौना सा0 सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 1 |
| सुतेहरा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| कस्ता सा0 सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 0 |
| अवर्गॉवा सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| मुरासा सा0 सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| संडिलवा सा0 सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 1 |
| ओदरहा सा0 सह0 समिति लि0 | 1 | 1 | 1 |
| भीषमपुर सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 1 |
| चुरईपुरवा सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| गढीइब्राहिमपुर सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| निघासन | 5 | 1 | 0 |
| खैरीगढ सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 1 |
| भेडौरी सा0सह0 समिति लि0 | 8 | 0 | 0 |
| जसनगर सा0सह0 समिति लि0 | 9 | 0 | 0 |
| नौरंगाबाद सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 1 | 1 |
| त्रिलोकपुर किसान से0सह0स0लि0 | 6 | 0 | 0 |
| ढाका किसान से0सह0स0लि0 | 2 | 1 | 1 |
| मरूआपश्चिम किसान से0सह0स0लि0 | 2 | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| सिंगाहीखुर्द किसान से0सह0स0लि0 | 3 | 2 | 1 |
| परसपुर किसान से0सह0स0लि0 | 3 | 1 | 0 |
| चन्दनचौकी लैम्पस | 5 | 1 | 0 |
| बनकटी लैम्पस | 5 | 0 | 0 |
| बेलापरसुआ लैम्पस | 3 | 0 | 0 |
| खमरीयापंडित किसान से0सह0स0लि0 | 2 | 1 | 0 |
| सिंगावर सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| फिरोजाबाद सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 1 | 0 |
| रूद्रपुर सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| हसनपुरकटौली सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 1 |
| चपकहा सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 1 |
| ईसानगर सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| कबिरहा सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| सुजानपुर किसान से0सह0स0लि0 | 4 | 0 | 0 |
| कफाराबाजार सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| लखाही किसान से0सह0स0लि0 | 2 | 1 | 0 |
| सुजईकुण्डा सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| रमियांबेहड किसान से0सह0स0लि0 | 2 | 0 | 0 |
| झिन्नापुरवा सा0सह0 समिति लि0 | 2 | 0 | 0 |
| कलुआकोट सा0सह0 समिति लि0 | 1 | 0 | 1 |
| धौरहरा किसान से0सह0स0लि0 | 5 | 0 | 0 |
| चकलाखीपुर सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| गुस्घुट्टा सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| हसनापुर सा0सह0 समिति लि0 | 4 | 0 | 0 |
| जंगलवाली साधन सह0स0लि0 | 5 | 0 | 0 |
| बम्हौरी सा0सह0 समिति लि0 | 3 | 0 | 0 |
| योग :-- | 411 | 53 | 32 |

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं नियुक्ति प्राधिकारी समिति प्रबन्ध कमेटी है।

**जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के नगर महमूदाबाद स्थित माता संकटा देवी मन्दिर के तालाब के गन्दे पानी की निकासी के सम्बन्ध में**

**45-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के नगर महमूदाबाद स्थित माता संकटा देवी मन्दिर के तालाब के गन्दे पानी की निकासी हेतु स्वीकृत नाला के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने हेतु सरकार बकाया धनराशि जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

जनपद सीतापुर के नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद के संकटा देवी मन्दिर के निकट नालों के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-14/2017/4008/नौ-5-16-156बजट/16, दिनांक 03-01-2017 द्वारा रु0 305.44 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 35.00 लाख अवमुक्त किया गया है। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण प्राप्त होने पर अगली किश्त/अवशेष धनराशि निर्गत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग पर बिना विभाग की स्वीकृति के अवैध स्पीड ब्रेकर बनवाने का प्रकरण**

**46-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बिना विभाग की स्वीकृति के लखनऊ, बाराबंकी व सीतापुर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सर्वाधिक दुर्घटना की सम्भावना वाले स्थानों पर यातायात सुरक्षा हेतु रम्बल स्ट्रीप एवं जेब्रा क्रासिंग व अन्य सुरक्षा के कार्य विभाग द्वारा कराये गये हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत शेखपुर बिलौली रोड से शमशाबाद से निकलने वाली रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी**

**47-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत शेखपुर बिलौली रोड से शमशाबाद से निकलने वाली सड़क लोन जिगनिया तक स्वीकृति शमशाबाद लोहिया आदर्श गांव किये जाने से हुयी थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि लगभग 21 माह पूर्व पत्थर डालकर उक्त सड़क का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया

गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

प्रश्नगत मार्गों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी।

वर्तमान में प्रश्नगत कार्य अर्पूण हैं।

जी हां।

शीघ्र ही निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर की समितियों पर कार्यरत कर्मचारियों के मरणोपरान्त उनके आश्रितों को नौकरी देने की जानकारी**

**48-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के मरणोपरान्त उनके आश्रितों को नौकरी देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कितने मृतक आश्रितों को नौकरी दी गई है और कितने आश्रितों को नौकरी दिया जाना है ? क्या सरकार शेष आश्रितों को नौकरी देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुकुट बिहारी वर्मा-**

जी हां।

श्री सर्वेश कुमार पुत्र स्व0 शिव सिंह की नियुक्ति किसान सेवा सहकारी समिति लि0, पकडिया हकीम वि0ख0 पुवायां में आंकिक पद पर एवं श्री मनोज कुमार पुत्र स्व0 मुरारी लाल की नियुक्ति साधन सहकारी समिति लि0 बिछौली, वि0ख0 निगोही में वर्ष 2016-17 में चौकीदार के पद पर मृतक आश्रित के रूप में की गयी। वर्तमान में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समिति के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी समिति का संचालन मण्डल होता है।

**जनपद मथुरा के राया में मथुरा से अलीगढ़ एवं हाथरस वाले रेलवे मार्ग के रेलवे फाटक पर उपरिगामी सेतु बनवाने की मांग**

**49-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के राया में मथुरा से अलीगढ़ एवं हाथरस रेलवे मार्ग के रेलवे फाटक पर रेलगाड़ी के आने-जाने के समय फाटक बन्द होने के कारण घण्टों जाम लगने से लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार फाटक पर उपरिगामी सेतु बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जनपद मथुरा में पीलीभीत-बरेली-मथुरा-भरतपुर मार्ग पर राया कस्बा स्थित है। यह मार्ग भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सं0-888, दिनांक 06-03-2018 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग सं0-530बी के रूप में परिवर्तित हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस मार्ग के डी0पी0आर0 गठन हेतु एन0एच0ए0आई0 को इनट्रस्टमेंट कर दिया गया है। अतः इस मार्ग पर स्थित राया आबादी भाग में उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

**कुम्भ 2019 के आयोजन हेतु उ0प्र0 के सरकार के बजट में स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में**

**50-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुम्भ-मेला 2019 के आयोजन हेतु प्रदेश सरकार के किस विभाग को किस कार्य हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृत कुल धनराशि में कितनी धनराशि निर्गत की गयी है और कितना अवशेष है ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

कुम्भ मेला 2019 के आयोजन हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा कुल 25 विभागों को रु0 2622.58 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं और रु0 1793.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है तथा निर्गत धनराशि से सम्बन्धित विभागों द्वारा कुम्भ मेला के दृष्टिगत 678 कार्य कराये जा रहे है।

**जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में सरजू नहर से निकलने वाली माइनर में पानी पहुंचाने की जानकारी**

**51-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में सरजू नहर खण्ड-4 से कड़कहना से पिपर पीता पचारी कला खम्भा अनदेऊरी होते हुये करमहिया तक जाने वाली माइनर तथा खुरहना खगरा, खगरी, सेहुडा, लखनपुरवा होते हुये नोनहासेमरा तक जाने वाली माइनर में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत रुधौली राजवाहा के कि0मी0 16.450 के दायें बैंक से लखनपुरवा माइनर निकली है, जिसकी लम्बाई 3.100 कि0मी0 है। करमहिया माइनर खलीलाबाद शाखा के कि0मी0 16.100 के बायें बैंक से निकलती है, जिसकी लम्बाई 4.200 कि0मी0 है। यह सरयू नहर परियोजना का हिस्सा है। वर्तमान में सरयू नहर परियोजना चलित परियोजना है, जिसमें सरयू नहर प्रणाली में कई गैप्स विद्यमान हैं एवं राप्ती नहर प्रणाली भी निर्माणाधीन है। क्षेत्र में पानी की कमी को देखते हुए जो नहरें जहां तक निर्मित हो चुकी हैं वहां तक उन्हें चलाया जा रहा है। अनेकों अर्द्धनिर्मित नहरों के कारण मुख्य नहरें एवं ब्रांच अपनी पूर्ण परिकल्पित क्षमता से नहीं चलायी जा पाती हैं, जिसके कारण कतिपय माइनरों का संचालन

प्रभावित होता है। सरयू नहर परियोजना को शीघ्र पूर्ण कर समस्त माइनरों को अपनी पूर्ण क्षमता से चलाते हुए कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती में कुआनो नदी को प्रदूषण मुक्त कराये जाने की जानकारी**

**52-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुआनों नदी को जल प्रदूषण से मुक्त करने हेतु सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी हां।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नामामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा एवं उसकी चयनित सहायक नदियों के किनारे स्थित नगरों की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुआनो नदी के इसमें शामिल होने पर इसकी भी परियोजना बनायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के मुख्य नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु ठोकर बनाये जाने की मांग**

**53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की सरजू नहर खण्ड 3 व 4 की मुख्य नहरों में अवरोधक/ठोकर न बनाये जाने से माइनरों के टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरजू नहर खण्ड 4 व 3 के माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाने के लिये मुख्य नहरों में अवरोधक/ठोकर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

जी नहीं। अवरोधक/ठोकर की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**54-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

[01ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश के जनपद इलाहाबाद में कुम्भ, 2019 के आयोजन में विभिन्न कार्यों के लिए सरकार द्वारा आवंटित टेण्डर एवं वर्क आर्डर एवं स्वीकृत बजट के सम्बन्ध में**

**55-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कुम्भ, 2019 के आयोजन में विभिन्न कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा कार्यों का आवंटन टेण्डर

प्रक्रिया से या वर्क आर्डर से हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कुल कितने बजट का कार्य टेण्डर प्रक्रिया से तथा कुल कितने बजट का कार्य वर्क आर्डर से कराये जा रहे हैं ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

कुम्भ मेला के दृष्टिगत सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्य कराये जा रहे है। लगभग रु0 1930.77 करोड़ के कार्य टेण्डर प्रक्रिया से व रु0 233.83 करोड़ के कार्य वर्क आर्डर से तथा कतिपय कार्य निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के तहत कराये जा रहे हैं।

**प्रदेश के जनपद इलाहाबाद में कुम्भ, 2019 के आयोजन में विभिन्न कार्यों के लिए सरकार द्वारा आवंटित टेण्डर एवं वर्क आर्डर एवं स्वीकृत बजट की जानकारी**

**56-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कुम्भ, 2019 के आयोजन में विभिन्न कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु कुल कितनी धनराशि का बजट स्वीकृत किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु स्वीकृत कुल धनराशि में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का कितना-कितना अंश है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

कुम्भ मेला, 2019 के आयोजन हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा रु0 2800.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। सरकार द्वारा कुल 25 विभागों को रु0 2622.58 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं और रु0 1793.00 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक धनराशि रु0 600.00 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है।

**प्रदेश के जनपद इलाहाबाद में कुम्भ, 2019 के आयोजन में विभिन्न कार्यों के लिए पूर्ण विवरण का बोर्ड मौके पर लगाये जाने की जानकारी**

**57-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कुम्भ-2019 की तैयारी हेतु कराये जा रहे विभिन्न कार्यों के पूर्ण विवरण का बोर्ड कार्य स्थल पर लगाया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

कुम्भ मेले के दृष्टिगत विभिन्न कार्यदायी विभागों द्वारा स्थायी कार्यों के विवरण का बोर्ड लगाया गया है और विभागों द्वारा बोर्ड सम्बन्धित कार्य स्थल पर लगाये गये हैं।

**जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में स्थित नलकूप सं0-55 बी0बी0 एवं 32 बी0बी0 को ठीक न कराने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी**

**58-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खराब होने वाले सरकारी नलकूपों को ठीक कराने हेतु सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार

बतायेगी कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में स्थित नलकूप सं0-55 बी0बी0 दो माह से तथा 32 बी0बी0 एक माह से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूपों को ठीक कराकर विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

प्रदेश में अस्थाई रूप से खराब होने वाले राजकीय नलकूपों को ठीक कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के स्थाई आदेश संख्या-1/2004-05 पत्रांक-7841/नलकूप, दिनांक 29-07-2004 द्वारा समय-सीमा निर्धारित है।

नलकूप संख्या-55 बी0बी0 विगत दो माह के दौरान रबी 1426 फसली में दिनांक 01-10-2018 से दिनांक 26-11-2018 तक सिंचाईरत् रहा है तथा दिनांक 27-11-2018 से पम्प दोष से बन्द होने के उपरान्त दिनांक 02-12-2018 को दोषमुक्त करते हुए सिंचाईरत् करा दिया गया है।

नलकूप संख्या-32 बी0बी0 से विगत दो माह के दौरान रबी 1426 फसली में 01-10-2018 से दिनांक 08-12-2018 तक बिना किसी बन्दी के लगातार कृषकों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

राजकीय नलकूपों का विद्युत एवं यांत्रिक दोष से बन्द होना एवं उसे ठीक कराकर चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त नलकूपों को ठीक कराकर चालू करा दिया गया है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थापित मै0 लिब्रा इण्टरप्राइजेज, मै0 सत्यम् शाकुन्तलम् द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण के विरुद्ध कार्रवाई की मांग**

**59-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थापित उद्योग मै0 लिब्रा इण्टरप्राइजेज, मै0 सत्यम् शाकुन्तलम् तथा मै0 सौभाग्य प्रोसेसर द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या व कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 लिब्रा इण्टरनेशनल लि0, (यूनिट-2) प्लाट नं0-ए-31, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर का दिनांक 01-12-2018 को किये गये निरीक्षण में उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

मै0 सत्यम् शाकुन्तलम् इन्जीनियरिंग प्रा0 लि0, प्लाट संख्या-आर-62, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर का दिनांक 01-12-2018 को किये गये निरीक्षण में उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

मै0 सौभाग्य प्रोसेसर्स, प्लाट संख्या-सी-23/1, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर का दिनांक 05-12-2018 को किये गये निरीक्षण में उद्योग से निकलने वाले उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या मानकों के अनुरूप पायी गयी है।

**जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद के धर्मपुर से पासिन पुरवा उमरापुर व गुलामपुर बनिगवां के सड़क निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**60-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के धर्मपुर से पासिन पुरवा उमरापुर व गुलामपुर बनिगवां की सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत धरपमुर से पासिनपुरवा तक 03 मार्ग सम्मिलित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

(क) धरमपुर से घरथरी चौराहा मार्ग की लम्बाई 0.900 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है तथा घरथरी चौराहा से चमारनपुरवा मार्ग का भाग है। उक्त मार्ग की स्वीकृति डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रदान की गयी है तथा कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है।

(ख) घरथरी चौराहा से हलीमनगर वाया रामसेरी पुरवा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 3.100 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसमें प्रश्नगत मार्ग का 1.00 कि0मी0 भाग सम्मिलित है। यह मार्ग पूर्व से निर्मित है तथा मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

(ग) घरथरी चौराहा से हलीमनगर वाया शमसेरी पुरवा सम्पर्क मार्ग से पासिनपुरवा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग की स्वीकृति डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत प्रदान की गयी है तथा कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है।

2-धरमपुर से उमरापुर सम्पर्क मार्ग व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है, कार्य प्रगति पर है।

3-धर्मपुर से गुलामपुर बनीगवां हेतु कोई मार्ग निर्मित नहीं है अपितु बिसवा सदरपुर गुड़ैचा (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-12 से बनीगवां होते हुए गुलामपुर तक मार्ग व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं कार्य प्रगति पर है।

कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के प्रकाशलोक कालोनी के सेक्टर-20 आवास संख्या 20/244ए, इन्दिरा नगर एवं समुद्दीनपुर गांव के पास निजी मकानों में अवैध दूध डेरियां संचालन के सम्बन्ध में**

**61-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के प्रकाशलोक कालोनी के सेक्टर-20, आवास संख्या-20/244 ए, इन्दिरानगर, लखनऊ एवं समुद्दीनपुर गांव के पास निजी मकानों में अवैध दूध डेरियों का संचालन किया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री द्वारा दिनांक 11-09-2017 को मण्डलायुक्त, लखनऊ को दूध डेरियों को चिन्हित स्थानों पर व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो आदेशों का अनुपालन न कराये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-7151 (एम0बी0)/2012-अध्यक्ष आल इण्डिया घोसी एसोसिएशन लखनऊ बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12-11-2013 को आल इण्डिया घोसी एसोसिएशन लखनऊ के पत्र दिनांक 08-05-2012 एवं शासनादेश दिनांक 24-06-1998 के अनुसार याची का प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश पारित किये गये हैं जिसके क्रम में आवास एवं विकास परिषद् तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दूध डेरी स्वामियों को भूखण्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही क्रियाशील है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भूखण्ड आवंटन के पश्चात् दूध डेरियों को विस्थापित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर से बेलवार तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग**

**62-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर से बेलवार तक की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण जन सामान्य को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं, प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 14.60 कि0मी0 है। प्रारम्भ के 7.00 कि0मी0 लम्बे आंशिक भाग में मार्ग स्थान-स्थान पर क्षतिग्रस्त है। शेष 7.60 कि0मी0 भाग में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

जी हां, उक्त 7.00 कि0मी0 लम्बे भाग के मरम्मत हेतु रु0 119.16 लाख स्वीकृत किया गया है। उक्त भाग का मरम्मत कार्य माह 03-2019 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**63-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

[01ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम परसिया से सेहुंडी मार्ग पर पुल निर्माण की जानकारी**

**64-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत ग्राम परसिया से सेहुंडी मार्ग पर रेरुआ नदी पर पुल निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल से अप स्ट्रीम में 1.000 कि0मी0 व डाउन स्ट्रीम में 4.000 कि0मी0 की दूरी पर पूर्व से पुल निर्मित है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में डी0बी0टी0 योजना के संचालन की जानकारी**

**65-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में भी डी0बी0टी0 योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रुधौली के किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपाल के जिनवा ग्राम में नलकूपों को रि-बोर कराये जाने की मांग**

**66-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपाल के जिनवा ग्राम में प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित 61 वी0 जी0 राजकीय नलकूप लगभग 10 वर्षों से

पानी नहीं दे रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम जिनवा में लगे नलकूप को रि-बोर करा कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम-जिन्वा में स्थापित राजकीय नलकूप संख्या-61 बी0जी0 (प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण वर्ष 10/1957) वर्ष 2007-08 में अपना जीवनकाल पूर्ण कर चुका है। प्रश्नगत राजकीय नलकूप फेल की श्रेणी में वर्गीकृत है। नलकूप संख्या-61 बी0जी0 के पुनर्निर्माण का कार्य ''1101 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना'' में सम्मिलित है।

उक्त परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त उक्त नलकूप के पुनर्निर्माण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**67-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

[01ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर के ग्राम सभा गोंधुआ सरोज बस्ती में शारदा सहायक नहर पर पुलिया न होने से ग्रामीणों को होने वाली परेशानी एवं पूर्व में कराये गये सर्वे के अनुसार पुलिया निर्माण कराये जाने की मांग**

**68-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर के ग्राम गोंधुआ सरोज बस्ती में शारदा सहायक नहर पर पुलिया न होने से ग्रामीणों को होने वाली परेशानी को देखते हुए पूर्व में कराये जा चुके सर्वे के आधार पर सरकार पुलिया निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर के ग्राम सभा गोंधुआ सरोज बस्ती में शारदा सहायक नहर पर पुलिया निर्माण की परियोजना तैयार कर ली गयी है। परियोजना स्वीकृत होने के उपरान्त धन की उपलब्धतानुसार पुलिया का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में ग्राम सभा दारुनपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**69-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खण्ड सुजानगंज में ग्राम सभा दारुनपुर सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 3 किमी0) लोक निर्माण विभाग (प्रा0ख0) के अधीन मार्ग अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सकरार उक्त सड़क का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं। मार्ग के कुछ स्थानों पर पैच थे। जिसका मरम्मत कार्य किया जा चुका है। मार्ग से होकर यातायात संतोषजनक रूप से संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में मुस्तफाबाद से ग्राम सभा तरसाव सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में**

**70-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के विकास खण्ड सुजानगंज में मुस्तफाबाद से ग्राम सभा तरसाव सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग (प्रा0ख0) की 3 किमी0 की सड़क जर्जर है जिससे आमजन को आवागमन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं। मार्ग के कुछ स्थानों पर पैच थे। जिसका मरम्मत कार्य किया जा चुका है। मार्ग से होकर यातायात सन्तोषजनक रूप से संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गुरसरांय के मुख्य नहर में पानी की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में**

**71-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के अन्तर्गत गुरसराय विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय मुख्य नहर में पानी की क्षमता वृद्धि हेतु सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गुरसरांय मुख्य नहर की क्षमता परिकल्पन के औचित्य के आधार पर निर्धारित है एवं जलाशयों में अतिरिक्त पानी भी नहीं है जिससे क्षमता बढ़ाई जा सके।

**जनपथ हाथरस के ब्लाक-मुरसान के अन्तर्गत गांव पिथा के पास शेर खां मार्ग से सैनपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**72-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-मुरसान के अन्तर्गत गांव पिथा के पास शेर खां मार्ग से सैनपुर तक मार्ग तथा गांव बगुली से कमालपुर तक मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गांव पिथा, ग्राम शेर खां, गांव सैनपुर, गांव बगुली तथा गांव कमालपुर सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत पूर्व से ही एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। एकल सम्पर्क मार्गों से संतृप्त ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण, लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत परसौरा से खौड़ा तक मार्ग निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**73-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत परसौरा से खौड़ा तक तथा रसगवा लाइन खरिया तक मार्ग का निर्माण सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परसौरा से खौड़ा मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी0 है। ग्राम परसौरा एवं ग्राम खौड़ा सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। रसगवां से लाइन खरिया तक ग्राम खरिया एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। एकल सम्पर्क मार्गों से संतृप्त ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण, लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के एम0एल0टी0डी0 बांध का पक्का निर्माण करने की जानकारी**

**74-श्री पल्टूराम-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत राप्ती नदी के एम0एल0टी0डी0 बांध का पक्का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0एल0टी0डी0 तटबन्ध पूर्व से ही मिट्टी का निर्मित है। पक्के तटबन्धों के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है।

**प्रदेश के उ0 प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (पैक्सफेड) में वर्ष 2017 व 2018 में अनुबन्ध के आधार पर सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं वर्तमान एम0 डी0 द्वारा सजातीय व्यक्तियों की नियुक्ति विषयक**

**75-श्री ओमकार सिंह-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (पैक्सफेड) में वर्ष 2017 व 2018 में सहायक अभियन्ताओं के कितने पदों पर अनुबन्ध के

आधार पर नियुक्तियां एम0डी0 द्वारा की गई हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान एम0डी0 द्वारा अपने सजातीय लोगों को ही अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त कर सहायक अभियन्ता के पदों पर जिलों में तैनात किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच शासन स्तर के उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुकुट बिहारी वर्मा-**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 73 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 99 सहायक अभियन्ता के पद पर अनुबन्ध किया गया है।

जी नहीं। अनुबन्ध पत्र में जाति का विवरण अंकित नहीं रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के रूधौली व राम नगर ब्लाक में सरयू नहर पर पैदल चलने वाले मार्ग के निर्माण कराये जाने की मांग**

**76-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली व रामनगर ब्लाक के ग्राम वेलभरिया, अनदेऊरी, असनहरा, कुतुबपुर खत, गावां से होकर गुजरने वाली सरजू नहर खण्ड 3 व 4 के दूसरी तरफ कृषि कार्य के लिये जाने वाले कृषकों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिये ग्रामों में नहरों पर पैदल मार्ग के लिये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

बस्ती शाखा के मांग स्थल के अपस्ट्रीम में 800 मी0 (किमी0 149.00) तथा डाउनस्ट्रीम में 550 मी0 की दूरी (किमी0 150.350) पर पुल निर्मित है, जिससे ग्रामवासियों का आवागमन हो रहा है। इसी प्रकार ग्राम असनहरा तथा कुतुबपुर खत, गावां बस्ती शाखा के किमी0 117.600 पर स्थित है। इस स्थल के अपस्ट्रीम में 600 मी0 (किमी0 117.00) तथा डाउनस्ट्रीम में 650 मी0 की दूरी (किमी0 118.250) पर पुल निर्मित है, जिससे उक्त गांव के कृषकों का आवागमन होता है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद कानपुर नगर निगम जोन-1 के थाना बादशाहीनाका, सब्जी मण्डी कुली बाजार गुलियाना, चेक संख्या-76 में अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों के सम्बन्ध में**

**77-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर निगम जोन-1 के थाना बादशाहीनाका, सब्जी मण्डी कुली बाजार गुलियाना, चेक संख्या-76 में अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों के जानवरों से आने-जाने वाले लोगों को जानमाल का खतरा एवं उक्त क्षेत्र में डेरियों से हो

रही गन्दगी से स्थानीय लोगों में बीमारियां बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से संचालित दूध डेरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

चेक सख्या-76 में स्थित अवैध डेरियों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई की गयी है।

जी हां।

दूध-डेरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास द्वारा नगर निगम सीमा के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में कैटिल कालोनी बनाया जाना प्रस्तावित है। कैटिल कालोनी विकसित होने के उपरान्त उक्त डेरियों को वहां से स्थानान्तरित करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री संजय गर्ग, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या-43 के उत्तर के क्रम की जानकारी**

**78-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री संजय गर्ग, स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उतरठिया, रक्षाखण्ड, रायबरेली रोड के लेक व्यू अपार्टमेन्ट से शिव पार्वती मन्दिर तक की प्रश्नगत सड़क को बनाये जाने में अनुमानित लागत रु0 9.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी नहीं।

उक्त कार्य को कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कानपुर रोड में सेक्टर-1 के मकान संख्या-एस0एस0 2 से 748 सी एवं एस0एस0 2 से 749 के सड़क पर अतिक्रमण को हटवाने की मांग**

**79-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना में सेक्टर डी-1 के मकान संख्या-एस0एस0-2 से 748 सी एवं एस0एस0-2 से 749 के उत्तर दिशा में स्थित सड़क जो पूरब से पश्चिम को जाती है की चौड़ाई 6 मीटर स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क के कतिपय निवासियों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर मोटर गैराज एवं चहारदीवारी बना रखी है जिससे आने-जाने वालों को परेशानियों का

सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को गिरवाकर स्वीकृत चौड़ाई की सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

प्रश्नगत अतिक्रमित भाग को चिन्हित कर सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता को नगर निगम के पत्र दिनांक 10-12-2018 द्वारा 15 दिन के अन्दर अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की जा चुकी है। यदि सम्बन्धित अतिक्रमणकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, तो नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर उक्त अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत नगर निगम के बाबुओं के स्थानान्तरण किये जाने की जानकारी**

**80-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निकायों में लिपिकों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के विपरीत फिरोजाबाद नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरण नीति के तहत अन्य जिलों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-11(6) में यह प्राविधान है कि समूह-ग के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन कर दिया जाय। तद्नुसार नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1629/नौ-4-18-18ज/2018 दिनांक 17-05-2018 द्वारा नगर निकायों में भी कार्मिकों/लिपिकों के पटल परिवर्तन करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र की पुरानी प्राइवेट कालोनियों को नियमित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग**

**81-श्री नन्द किशोर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र की पुरानी प्राइवेट कालोनियों को नियमित कर उसमें मूलभूत सुविधायें सरकार उपलब्ध करायेगी तथा नई बस रही अवैध कालोनियों पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

अवैध कालोनियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001, दिनांक 26-05-2001 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-5438/9-आ-3-2001, दिनांक 02-12-2003 एवं शासनादेश संख्या-3805/आठ-3-2008-194काम्प/2001, दिनांक 05-08-2008 द्वारा गाइड लाइन जारी की गयी है।

निर्गत गाइड लाइन्स में निहित प्राविधानों के अनुसार अनाधिकृत कालोनी के नियमितीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाती है तथा अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के उपरान्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

प्राधिकरणों द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम [1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन नियमानुसार कार्रवाई की जाती है] जिसके अन्तर्गत सीलिंग एवं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बदायूं के मुख्यालय को शाहजहांपुर जनपद से जोड़ने के लिए वाया दातागंज बेलाडांडी तिलहर से जोड़ने के सम्बन्ध में**

**82-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों को मार्ग से जोड़ने के लिये फोर लेन अथवा 10 मीटर चौड़ी रोड बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बदायूं मुख्यालय को शाहजहांपुर जनपद से वाया दातागंज बेलाडांडी तिलहर से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग उपर्युक्त योजना की पात्रता में नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के यमुना खादर सिंचाई के खाली पड़ी भूमि के सिंचाई के लिए नहरों, बम्बों के माध्यम से सिंचाई कराने के सम्बन्ध में**

**83-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के यमुना खादर की सिंचाई के संसाधन के अभाव में भूमि खाली पड़ी रहती है ? क्या सरकार को जानकारी है कि यमुना में बैराज बनाकर नहरों/बम्बों के माध्यम से सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख 6 नं0-086372 दिनांक 15-12-2017 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जी हां।

परियोजना की साध्यता निर्धारण हेतु जल की उपलब्धता, विस्तृत सर्वेक्षण एवं तकनीकी परीक्षण का कार्य प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

**84-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

[01ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बदायूं में विकास खण्ड दातागंज के अन्तर्गत ग्राम नगरिया खनू (धनी पट्टी) राम गंगा पर नये पुल का निर्माण कराने विषयक एवं प्रश्नकर्ता के पत्र 1814180196499 पर कार्रवाई की जानकारी**

**85-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में विकास खण्ड दातागंज के अन्तर्गत ग्राम नगरिया खनू (धनी पट्टी) रामगंगा पर नये पुल का निर्माण कराने विषयक एवं प्रश्नकर्ता के पत्र श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को आख्या सं0-18149180196499 द्वारा को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

जनपद बदायूं में स्थित ग्राम नगरिया खनू के निकट राम गंगा नदी पर सेतु निर्माण का आगणन गठित किया गया है। आगणन की अनुमानित लागत रु0 4795.12 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**86-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-**

[01ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद लखनऊ के निवासियों का परिवार रजिस्टर तैयार किये जाने की मांग**

**87-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर तैयार किये जाने वाले परिवार रजिस्टर की भांति लखनऊ के शहरी निवासियों का भी परिवार रजिस्टर नगर-निगम द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यहां के निवासियों की समस्याओं को देखते हुये परिवार रजिस्टर तैयार कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

नगर निगम के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद लखनऊ के माया नगर, पोस्ट-निराला नगर से मुंशीगंज तक जाने वाली सड़क पर लोगों द्वारा अवैध निर्माण की जानकारी

**88-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित मोहल्ला माया नगर (मेढ़ई का पुरवा) पोस्ट-निराला नगर, शंकर नगर चौराहे से मुंशीगंज तक जाने वाली सड़क पर लोगों द्वारा सड़क के दोनों ओर नाली के चैनलों (ईटों पर) पर दीवार बनाकर तीन-तीन फिट का छज्जा एवं चबूतरा आदि का अवैध रूप से निर्माण करा लेने के कारण फायर-बिग्रेड की गाड़ी पूर्व की भांति अन्दर नहीं जा पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहानि एवं सम्पत्ति के बचाव हेतु ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी नहीं।

प्रश्नगत गली के दोनों ओर घनी आबादी के भवन स्थित हैं। उक्त आबादी काफी पुरानी है तथा गलियां भी काफी सकरी हैं। गली के दोनों ओर नालियां स्थित हैं। आबादी में स्थित भवनों में जाने के लिए भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन के सामने नालियों पर रैम्प आदि बना रखे हैं। नालियों पर बने रैम्प को तोड़ने से घरों में आवागमन बाधित होगा। इस हेतु गलियां सकरी होने के कारण फायर-ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा पायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## मुख्य सचिव को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

**89-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में सिंचाई हेतु पम्प कैनाल/लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0 610147, दिनांक 02-02-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जनपद-झांसी के अन्तर्गत आने वाले गरौठा विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड-गुरसरांय में मा0 विधायक जी द्वारा वांछित ग्रामों में सिंचाई हेतु धसान नदी पर लहचूरा बांध के नीचे क्रमशः किमी0 6.200, किमी0 16.200 एवं किमी0 23.900 पर वियर बनाते हुए स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति द्वारा 03 परियोजनायें बनायी गयी हैं एवं बेतवा नदी पर परियोजना बनाने हेतु निर्माणाधीन एरच बांध, परियोजना के डाउन स्ट्रीम में जल उपलब्धता पर आधारित है। उक्त हेतु राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की से जलगणना करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में लिफ्ट कैनाल के माध्यम से नदी से पानी निकालने की मांग**

**90-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाले गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत धसान व बेतवा नदी में जल स्रोत/बड़े-बड़े कुण्ड से लिफ्ट कैनाल के माध्यम से सिंचाई हेतु पानी निकालने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जल स्रोत/बड़े-बड़े कुण्डों में उपलब्ध पानी विश्वसनीय न होने के कारण।

**जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के गुरसरांय नगर व गरौठा नगर में पेयजल उपलब्ध कराने विषयक**

**91-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के अन्तर्गत आने वाले गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय नगर व गरौठा नगर में पीने योग्य जल के भारी संकट के निराकरण की कोई कार्य योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

जनपद झांसी के अन्तर्गत आने वाले गरौठा विधान सभा क्षेत्र के गुरसराय नगर व गरौठा नगर में पेयजल हेतु गुरसराय एवं गरौठा नगर पुनर्गठन योजना का प्राक्कलन की स्वीकृति हो चुकी है। उक्त योजना में बेतवा नदी पर एरच बांध के पास प्रस्तावित इन्टेक वेल से पम्पिंग मेन के माध्यम से कच्चा जल लेकर गुरसराय में प्रस्तावित 10 एम0एल0डी0 के जल शोधन संयंत्र के माध्यम से जल शोधित कर स्वच्छ जल का वितरण गुरसराय नगर की समस्त जनसंख्या को किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गुरसराय में प्रस्तावित जल शोधन संयंत्र से ग्रेविटी मेन के माध्यम से गरौठा नगर की जनसंख्या को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अता0प्र0सं0 110 के सम्बन्ध में**

**92-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2018 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-110 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिका/नगर महापालिका में राज्य कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युटी नियमावली लागू कर कर्मियों की

सेवानिवृत्ति से एक दिन पूर्व दिवंगत होने की स्थिति में पूर्ण ग्रेच्युटी दिये जाने का प्राविधान सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश पालिका केन्दीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली-1981 नियम संख्या-5 एवं अकेन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली-1984 नियम संख्या-4 के अनुसार उपादान के भुगतान की व्यवस्था है। सेवानिवृत्ति के पूर्व दिवंगत होने की दशा में केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित कार्मिकों को उपरोक्त नियमावली के सन्दर्भित नियम के अनुसार उपादान का भुगतान सुनिश्चित कराया जाता है।

**जनपद लखीमपुर खीरी में ओ0टी0ए0सी0 परियोजनायें काफी समय से लम्बित है, को समयबद्ध कराये जाने की मांग**

**93-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

क्या बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में बाढ़ की विभीषिका से कटान से बचने की परियोजनायें ओ0टी0ए0सी0 से स्वीकृति प्राप्त कर स्थाई संचालन समिति में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की स्वीकृति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील धौरहरा के संवेदनशील क्षेत्रों की तीन परियोजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं।

**94-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

[01ले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद लखनऊ के मोहनलाल गंज क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नहरों पर टूटी पुलिया के पुनर्निर्माण की जानकारी**

**95-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलाल गंज क्षेत्र में सिंचाई विभाग खण्ड 1,2 की नहरों पर आवागमन के लिये बनाई गयी पुलिया टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों की टूटी पुलिया की जांच कराकर पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत मोहनलाल गंज क्षेत्र में कुल 16 अदद् पुलिया क्षतिग्रस्त है जिनके पुनर्निर्माण हेतु परियोजना/प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। परियोजना स्वीकृत होने एवं धन की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ में नगराम-गंगाराम-गंगागंज जर्जर मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**96-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहनलाल गंज विधान सभा क्षेत्र का नगराम गंगागंज मार्ग जर्जर एवं संकरा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त जर्जर मार्ग का चौड़ीकरण कर पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

गंगागंज से नगराम तक मार्ग की लम्बाई 15.00 किलोमीटर है तथा लेपित मार्ग की चौड़ाई 3.00 मीटर है। यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के किलोमीटर 1 से 12 तक का भाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन है, जो क्षतिग्रस्त है। शेष किलोमीटर 13 से 15 तक का भाग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिसकी दशा संतोषजनक है।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण का कार्य जांच कमेटी की जांच आख्या/संस्तुति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद में वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर स्व-मूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने एवं नजूल भू-खण्ड संख्या एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड, पी0डी0 टण्डन मार्ग को फ्री होल्ड कराने का प्रकरण**

**97-श्री विजय मिश्र-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल नीति के अनुसार वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर स्व-मूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराते हुये जनपद इलाहाबाद में नजूल भू-खण्ड संख्या-एक्स-एक्स सिविल स्टेशन, कानपुर रोड पी0डी0 टण्डन मार्ग को सरकार फ्री-होल्ड करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

क्योंकि जनपद इलाहाबाद में स्थित नजूल भू-खण्ड संख्या-एक्स-एक्स सिविल स्टेशन कानपुर रोडपी0डी0 टण्डन मार्ग, इलाहाबाद की लीज, डीड दिनांक 19-12-1958 को समाप्त हो चुकी है। इस सम्बन्ध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत फ्री-होल्ड प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-25124/2010 लाडली टण्डन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-05-2012 के अनुपालन में लाडली टण्डन द्वारा प्रस्तुत

प्रत्यावेदन दिनांक 24-11-2010 का निस्तारण आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-492/8-4-12-138एन/08, दिनांक 29-05-2012 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदनकर्ता का आवेदन निरस्त किया जा चुका है और वर्तमान में कोई भी फ्री-हौल्ड आवेदन-पत्र उक्त भू-खण्ड के सम्बन्ध में लम्बित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में 15 अगस्त 2018 तक किये गये कुल वृक्षारोपण का विवरण**

**98-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त में 01 से 15 अगस्त, 2018 तक जनपद फिरोजाबाद में विभागवार कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा विभागाध्यक्षों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कितने प्रतिशत वृक्षारोपण किया गया तथा किये गये वृक्षारोपण में से कितने वृक्ष जीवित है तथा कितने वृक्ष सूख गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

माह अगस्त, 01 से 15 अगस्त, 2018 तक जनपद फिरोजाबाद में विभागवार रोपित पौधों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र0 सं0 | विभाग का नाम | शासन द्वारा आवंटित लक्ष्य | रोपित पौधों की संख्या | लक्ष्य के सापेक्ष प्रतिशत | जीवित पौधों की संख्या | मृत/सूखे पौधों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | वन विभाग | 14,23,506 | 6,40,932 | 45.02 | 6,31,142 | 9,790 |
| 2 | कृषकों द्वारा निजी भूमि पर स्वयं के व्यय पर निम्न प्रकार वनीकरण किया गया | | | | | |
| | अ- वृक्ष भण्डारण योजना | | 7,64,489 | 53.70 | निजी क्षेत्र के पौधों की गणना नहीं की गयी। | |
| | ब- एक व्यक्ति एक वृक्ष योजना | | 48,048 | 3.38 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योग वन विभाग | 14,23,506 | 14,53,469 | 102.10 | | |
| **अन्य विभाग** | | | | | | |
| 1 | ग्राम्य विकास विभाग | 273248 | 319109 | 116.78 | 257612 | 61,497 |
| 2 | कृषि विभाग | 16060 | 73937 | 460.38 | 59818 | 14,119 |
| 3 | लोक निर्माण विभाग | 11357 | 30000 | 264.15 | 24298 | 5,702 |
| 4 | राजस्व विभाग | 75815 | 1500 | 1.98 | 1215 | 285 |
| 5 | पंचायती राज विभाग | 75815 | 10500 | 13.85 | 8483 | 2,070 |
| 6 | आवास विकास विभाग | 4680 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | औद्योगिक विकास | 7654 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | नगर विकास | 15050 | 3860 | 25.65 | 3125 | 735 |
| 9 | सिंचाई विभाग | 14320 | 11225 | 78.39 | 8991 | 2,234 |
| 10 | रेशम विभाग | 3654 | 3660 | 100.16 | 2964 | 696 |
| 11 | पशुपालन विभाग | 6320 | 6100 | 96.52 | 4920 | 1,180 |
| 12 | सहकारिता विभाग | 1880 | 1450 | 77.13 | 1160 | 290 |
| 13 | उद्योग विभाग | 5480 | 3000 | 54.74 | 2430 | 570 |
| 14 | विद्युत विभाग | 6320 | 791 | 12.52 | 639 | 152 |
| 15 | माध्यमिक शिक्षा | 8983 | 97624 | 1086.76 | 78949 | 18,675 |
| 16 | बेसिक शिक्षा | 10477 | 46982 | 448.43 | 37658 | 9,324 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | प्राविधिक शिक्षा | 8117 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | उच्च शिक्षा विभाग | 11623 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | श्रम विभाग | 1013 | 350 | 34.55 | 282 | 68 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | 8987 | 6816 | 75.84 | 5501 | 1,315 |
| 21 | परिवहन विभग | 680 | 700 | 102.94 | 567 | 133 |
| 22 | रेलवे विभाग | 6387 | 30000 | 429.37 | 24400 | 5,600 |
| 23 | उद्यान विभाग | 41023 | 23588 | 57.50 | 18968 | 4,620 |
| 24 | पुलिस विभाग | 4680 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | रक्षा विभाग | 4360 | 1000 | 22.94 | 809 | 191 |
| **योग अन्य विभाग** | | 6,24,583 | 6,72,192 | 107.62 | 5,42,789 | 1,29,403 |

विवरण उक्तानुसार प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के रुधौली मार्ग पर कोहरा चौराहे से मितेहरा होते हुए छतरिया तक मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 26-05-2017 को दिये गये पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी**

**99-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बस्ती रुधौली मार्ग पर कोहरा चौराहे से मितेहरा होते हुये छतरिया के आगे तक 10 कि0मी0 नहर पटरी मार्ग पर पिच रोड बनाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-5-2017 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

मार्ग की कुल लम्बाई 10.00 कि0मी0 के सापेक्ष 1.00 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग का लेपित मार्ग है, जिसकी दशा संतोषजनक है। शेष 9.00 कि0मी0 सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में बिजली की खराबी से बन्द पड़े नलकूपों के सम्बन्ध में**

**100-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत बिजली आपूर्ति में बाधा तथा यांत्रिक दोष से राजकीय नलकूप परसा शिवराज, असनहरा, छपिया, आदमपुर, तुसायल, सकतपुर, टढ़ौटी, चैसार, लपसी, औड़ जंगल, जिनवां, आभा आदि बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में स्थापित नलकूपों को दोष मुक्त कराकर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के अन्तर्गत दिनांक 06-12-2018 की बन्दी के अनुसार ग्राम-परसा शिवराज, असनअरा, छपिया, आदमपुर, तुसायल, लप्सी, औड़ जंगल में स्थापित राजकीय नलकूप चलित एवं सिंचाईरत है। ग्राम-टढ़ौटी, चैसार, जिनवा में स्थापित राजकीय नलकूप जीवन काल पूर्ण करने के उपरान्त फेल घोषित है तथा ग्राम आभा में स्थापित राजकीय नलकूप नहर कमाण्ड में होने के कारण परित्याग की श्रेणी में वर्गीकृत है। ग्राम-सकतपुर में कोई राजकीय नलकूप स्थापित नहीं है।

उक्तानुसार एक राजकीय नलकूप परित्याग की श्रेणी में तथा तीन राजकीय नलकूप असफल की श्रेणी में घोषित है। अवगत कराना है कि परित्याग हेतु प्रस्तावित राजकीय नलकूपों को ठीक नहीं कराया जाता है। असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण कराया जाता है। उक्त असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य ''1101 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना'' में सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री नितिश कुमार, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी**

**101-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं को फोर-लेन अथवा टू-लेन द्वारा सड़क के माध्यम से जनपद शाहजहांपुर को जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर श्री नितिश कुमार, विशेष सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा आख्या सं0-18149180180923 दिनांक 27 अगस्त, 2018 को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

जनपद बदायूं को जनपद शाहजहांपुर से जोड़ने वाला मार्ग जनपद बदायूं की सीमा में दातागंज से बेलाडांडी (राम गंगा नदी के पुल तक) लम्बाई 7.00 किमी0 टू-लेन मार्ग है। इसके आगे जनपद बरेली एवं शाहजहांपुर में पड़ने वाली लम्बाई 14.50 किमी0 सिंगल लेन मार्ग को 7.00 मीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु रु0 3226.71 लाख का आगणन गठित किया गया है। उक्त मार्ग को फोरलेन चौड़ीकृत किया जाना मानको के अनुरूप नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के पांच महानगरों में स्थित जल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के देयकों का भुगतान किये जाने की जानकारी**

**102-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 630 स्थानीय निकायों में से 625 स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य देयक राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाते हैं, किन्तु 5 महानगरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं आगरा में स्थित जल संस्थानों (नगर निगम) में कार्यरत कर्मचारियों के देयकों का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता हैं ? क्या सरकार उक्त 5 महानगरों में स्थित जल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 की धारा-100 (क) के अन्तर्गत निर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-380/नौ-2-2010-58मिस/2007, दिनांक 04-02-2010 द्वारा 05 कवाल जनपदों के जल संस्थानों का नगर निगम में विलय किया गया तथा उक्त जल संस्थानों के जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था में होने वाले व्यय एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान की व्यवस्था जलकल विभाग द्वारा अपने स्रोतों से अर्जित राजस्व से किये जाने का प्राविधान किया गया है।

**जनपद भदोही के ऐतिहासिक सीता समाहित स्थल पर जाने वाले मार्ग में गंगा नदी पर धनतुलसी डेगूपुर पर पक्का बन्धा बनाये जाने की मांग**

**103-श्री विजय मिश्र-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही स्थित ऐतिहासिक सीता समाहित स्थल पर पूरे प्रदेश से तीर्थ यात्री आते हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त स्थान हेतु जाने वाले मार्ग में गंगा नदी पर धनतुलसी डेगूपुर पर पक्का बन्धा नहीं होने से दर्शनार्थियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्का बन्धा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। ग्राम धनतुलसीपुर गंगा नदी के बायें तट पर तथा डेगूपुर दायें तट पर स्थित है। ग्रामों को आवागमन हेतु जोड़ने के लिए पक्के बांधों के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है।

**जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी पर रामदासपुरा भोला घाट प्रस्तावित पुल का निर्माण कराये जाने की मांग**

**104-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी पर रामदासपुरा भोला घाट सेतु के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग एवं सेतु निगम के सक्षम अधिकारियों की संयुक्त टीम की निरीक्षण आख्या दिनांक 25-05-2017 सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण आख्या के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त संख्या के आधार पर सेतु के निर्माण हेतु आगणन तैयार करने व बजट व्यवस्था कराने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

दिनांक 25-05-2017 को सक्षम अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। केवल उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रारम्भिक निरीक्षण के अनुसार प्रस्तावित कार्यस्थल से लगभग 4.00 किमी0 डाउन स्ट्रीम में एक सेतु पूर्व से निर्मित होने के कारण प्रश्नगत सेतु के निर्माण का औचित्य नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

**विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बेतवा नदी पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने की मांग**

**105-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेतवा नदी के खिरियाघाट पर बने रपटा के स्थान पर जनहित में पक्का पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग पर अवैध स्पीड ब्रेकर को हटाये जाने की जानकारी**

**106-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग पर तमाम स्पीड ब्रेकर बिना विभाग की स्वीकृति के लखनऊ, बाराबंकी व सीतापुर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग इन अवैध स्पीड ब्रेकरों को हटायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सर्वाधिक दुर्घटना की सम्भावना वाले स्थानों पर यातायात सुरक्षा हेतु रम्बल स्ट्रीप्स एवं जेब्रा क्रासिंग व अन्य सुरक्षा के कार्य विभाग द्वारा कराये गये हैं।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्ष 2008 से 2017 तक ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने का प्रकरण**

**107-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों से वर्ष 2008 से 2017 तक सेवानिवृत्त हो गये कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

प्रदेश में कुल 24 सहकारी चीनी मिलें संचालित हैं, जिसमें आर्थिक रूप से सुदृढ़ 13 मिलों द्वारा 2017 तक अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। शेष 11 सहकारी चीनी मिलों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरिष्ठता क्रम से भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के पैंतेपुर टाउन में बाईपास निर्माण सम्बन्धी**

**108-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पैंतेपुर टाउन एरिया में जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु पूर्व में बाईपास बनाये जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण करके किसानों को मुआवजा बांटा जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर बाईपास का निर्माण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

वर्तमान में बाईपास निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के साऊघाट ब्लाक में सरजू नहर खण्ड- 4 वी0आर0वी0 149 पुल के निर्माण एवं मरम्मत कराने का प्रकरण**

**109-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के साऊघाट ब्लाक में सरजू नहर खण्ड 4वी0 आर0वी0 149का पुल 16 अगस्त, 2017 को टूट गया था जिससे दर्जन भर गांवों के

लोगों का आवागमन बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरजू नहर खण्ड 4 वी0आर0वी0 149 का पुनः निर्माण करा कर स्कूली बच्चों तथा ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगर पालिका परिषद्, बाराबंकी में टैम्पो स्टैण्ड से ककरहिया मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने का प्रकरण**

**110-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् बाराबंकी, जनपद बाराबंकी मार्ग पर टैम्पो स्टैण्ड से ककरहियां नई बस्ती तक व पटेल महिला डिग्री कालेज/मकदूमपुर रोड से उमाशंकर के घर तक रोड कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है और उक्त कार्य कब कराये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त दोनों कार्य शहर क्षेत्र से बाहर नियमों के विरुद्ध खराब गुणवत्ता के साथ कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

फैजाबाद रोड के बाराबंकी मार्ग पर टैम्पो स्टैण्ड से ककरहियां नई बस्ती तक, जहां सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट स्थित है, रु0 93.14 लाख की स्वीकृत धनराशि से वर्ष 2014-15 में सीमा के बाहर सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है। उक्त कार्य स्थल वर्तमान में नगर पालिका के सीमान्तर्गत है।

पटेल महिला डिग्री कालेज मकदूमपुर रोड से उमाशंकर के घर तक सड़क निर्माण नगर पालिका परिषद् द्वारा नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

सरकारी धन का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बाराबंकी के नगर पालिका में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में निर्मित नाली, सड़क आदि का कार्य कराये जाने की जानकारी**

**111-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के नगर पालिका में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कितनी धनराशि डूडा विभाग द्वारा नाली, सड़क आदि के निर्माण कार्यों में

कहां-कहां खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि मलिन बस्तियों में कार्य को न कराकर अन्य बस्तियों में कार्य कराया गया है जिसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जनपद बाराबंकी में डूडा विभाग द्वारा नगर पालिका नवाबगंज में वर्ष 2017-18 में रु0 161.26 लाख एवं वर्ष 2018-19 में रु0 141.28 लाख की इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों एवं मलिन बस्तियों में कराया गया।

जी नहीं।

जनपद बाराबंकी की अल्प विकसित बस्तियों/अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्ती/मलिन बस्तियों में ही गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया गया है। कार्य में प्रयुक्त इण्टरलाकिंग की गुणवत्ता की जांच सरकारी संस्थान कमला नेहरु इण्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सुल्तानपुर से करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बिजनौर में विधान सभा क्षेत्र नगीना में सहकारी एवं व्यक्तिगत चीनी मिल स्थापित कराने के सम्बन्ध में**

**112-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में गन्ना उत्पादन के सापेक्ष स्थापित चीनी मिलों की पेराई क्षमता कम होने के कारण किसानों को अपना गन्ना छोटे क्रेशर कोल्हू आदि पर बेचना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना या बिजनौर में चीनी मिल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

जनपद-बिजनौर में कुल 9 चीनी मिलें कार्यरत हैं। जिनकी कुल पेराई क्षमता समेकित रूप से 68000 टी0सी0डी0 है। इन चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में कुल 1065.48 लाख कुन्तल की पेराई और 126.43 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया है। वर्तमान पेराई-सत्र 2018-19 में उक्त चीनी मिलें संचालित हैं।

चीनी मिलों द्वारा कृषकों से बाण्डेड गन्ने की खरीद की जाती है। बाण्डेड गन्ने की आपूर्ति पूर्ण होने के पश्चात् चीनी मिलों द्वारा फ्री खरीद की जाती है। कृषकों द्वारा अतिरिक्त गन्ने की आपूर्ति आवश्यकतानुसार स्वेच्छा से खाण्डसारी इकाइयों/कोल्हूओं पर बिक्री/आपूर्ति भी की जाती है।

सम्प्रति कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद झांसी में गरौठा से मोती कटरा सड़क को चौड़ीकरण किये जाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की मांग**

**113-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में गरौठा से मोती कटरा (एस0एच0-42) को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-5 नं0 600932 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

मा0 सदस्य के सन्दर्भित पत्र दिनांक 04-10-2017 में उल्लिखित तहसील मुख्यालय, गरौठा से जिला मुख्यालय, झांसी को चिरगांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क (लम्बाई 49.14 किमी0) पर विश्व बैंक परियोजना प्रथम चरण के अन्तर्गत जनवरी, 2018 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 14-01-2020 है।

पत्र में उल्लिखित गरौठा से मोती कटरा को जोड़ने वाली सड़क (लम्बाई 12 किमी0) राठ से गरौठा मार्ग का भाग है। राठ से गरौठा मार्ग (लम्बाई लगभग 36.82 किमी0) का निर्माण विश्व बैंक से वित्त पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित है, जिसकी अनुमानित लागत डी0आर0 के अनुसार रु0 245.56 करोड़ है। विश्व बैंक के साथ लोन निगोशिएशन की कार्यवाही निकट भविष्य में पूर्ण होना सम्भावित है। राठ से गरौठा मार्ग की डी0पी0आर0 की स्वीकृति विश्व बैंक के साथ ऋण की कार्रवाई पूर्ण होने एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के अन्तर्गत गरौठा मोती कटरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**114-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत गरौठा मोती कटरा मार्ग के किमी0-1 से 12 की विशेष मरम्मत के कार्य हेतु रु0 31626 लाख के प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बावजूद अभी तक अपेक्षित कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जनपद झांसी में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत गरौठा कटरा मार्ग के किमी0-1 से 12 की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासनादेश सं0-491 रासनि/23-1-17-75 रासनि/17 दिनांक 20-09-2017 द्वारा लागत रु0 316.26 लाख निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत मार्ग क्वेरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण एवं मार्ग पर भारी वाहनों का निरन्तर आवागमन होने के कारण एवं मार्ग अत्यन्त

क्षतिग्रस्त अवस्था में है। मार्ग की विशेष मरम्मत में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पर्याप्त क्रस्ट का प्राविधान किया जाना सम्भव नहीं था। पर्याप्त क्रस्ट प्राविधानित न किये जाने के कारण अल्प समय में ही मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण सम्भावना थी इसलिए मार्ग पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया एवं विशेष मरम्मत की स्वीकृत धनराशि रु0 316.26 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त रु0 158.13 लाख मात्र के धनावंटन को समर्पित कर दिया गया।

गरौठा-मोती कटरा मार्ग के चैनेज 6.850 से चैनेज 12.000 तक कुल लम्बाई 5.150 किमी0 के भाग में विश्व बैंक पोषित परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हमीरपुर-राठ-चिरगांव का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संरेखण में समाहित है। इसलिए प्रश्नगत मार्ग की उक्त लम्बाई को छोड़कर अवशेष चैनेज 0.000 से चैनेज 6.850 तक कुल लम्बाई 6.850 किमी0 की विशेष मरम्मत हेतु आगणन लागत रु0 233.22 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

## जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड अकराबाद की नगर पंचायत विजयगढ़ से गांव सिंहपुर पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने की जानकारी

**115-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड अकराबाद की नगर पंचायत विजयगढ़ से गांव सिंहपुर के मध्य गुजरने वाले रजवाहा/बम्बा पर आवागमन हेतु पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

परियोजना प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता समिति से अनुमोदन के उपरान्त एवं धन आवंटन प्राप्त होने पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद हाथरस में सिंचाई खण्ड हाथरस शाखा के अन्तर्गत टुकसान माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में

**116-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में सिंचाई खण्ड हाथरस शाखा के अन्तर्गत टुकसान माइनर में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

वर्तमान रबी 1426 फसली में टुकसान माइनर में जलापूर्ति संचालित कर टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के दर्शना माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में**

**117-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में सिंचाई खण्ड हाथरस शाखा के अन्तर्गत दर्शना माइनर में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

वर्तमान रबी 1426 फसली में दर्शना माइनर में टेल तक जलापूर्ति करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमनियां के अन्तर्गत केन्द्रीय मार्ग निधि में चयनित मार्ग नई बाजार से देवैथा एवं दिलदार नगर से ताड़ीघाट मार्ग को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक प्रकरण**

**118-श्रीमती सुनीता-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमनियॉं के अन्तर्गत केन्द्रीय मार्ग निधि में चयनित मार्ग नई बाजार से देवैथा एवं दिलदार नगर से ताड़ीघाट मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्गों पर राज्य योजनान्तर्गत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में गड्ढामुक्त अभियान के अन्तर्गत गड्ढामुक्त की गयी सड़कों के सम्बन्ध में**

**119-श्री चेतराम-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में कुल कितनी व कौन-कौन सी सड़कें गड्ढामुक्त अभियान के अन्तर्गत गड्ढामुक्त की गई व किन-किन सड़कों का नव-निर्माण कराया गया है ? उक्त कार्यों हेतु आवंटित धनराशि किस मद में कितनी उपयोग की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में गड्ढामुक्ति अभियान के अन्तर्गत 35 मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में निम्न योजनाओं से मार्गों का नव निर्माण कराया गया है :-

(1) आर0आई0डी0एफ0-23 योजना में स्वीकृत 4 मार्गों का नव निर्माण कराया गया है जिनमें से 3 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 01 कार्य प्रगति में है।

(2) अनजुड़ी बसावट योजना में स्वीकृत 23 मार्गों में से 18 मार्गों का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 05 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति में है। गड्ढामुक्त योजना के अन्तर्गत रु0 42.04 लाख एवं आर0आई0डी0एफ0-23 योजनान्तर्गत रु0 283.48 लाख व अनजुड़ी बसावटों के अन्तर्गत रु0 1215.05 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया है।

जी हां।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में स्थित सहकारी चीनी मिल की मशीनों की मरम्मत आदि का विवरण**

**120-श्री चेतराम-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में स्थित सहकारी चीनी मिल की मशीनों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है व उक्त स्वीकृत धनराशि द्वारा कौन-कौन सी सामग्री व कितनी मात्रा में क्रय की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में स्थित सहकारी चीनी मिल की मशीनरी की मरम्मत हेतु वर्ष 2017-18 में रु0 226.46 लाख का बजट स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत बजट के सापेक्ष चीनी मिल पुवायां द्वारा मशीनरी की मरम्मत एवं रख-रखाव पर रु0 224.37 लाख की धनराशि व्यय कर संलग्न† सूची में उल्लिखित सामग्री यथावश्यकता क्रय की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमनियां के अन्तर्गत ग्राम गहमर में ड्रेन के निर्माण कार्य में शेष राशि के आवंटन किये जाने की जानकारी**

**121-श्रीमती सुनीता-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमनियां अन्तर्गत ग्राम गहमर की जल निकासी हेतु पक्की ड्रेन के निर्माण कार्य की परियोजना लागत

---

† देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ-152-156 पर।

† देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-157-164 पर।

रु0 578.85 लाख है, के सापेक्ष वर्ष 2014 में 10 प्रतिशत की धनराशि ही कार्य हेतु पूर्वांचल विकास निधि से आवंटित हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष धनराशि अवमुक्त कराकर उक्त परियोजना को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

उक्त परियोजना हेतु पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-149/2015/231/23-14-15-45आ0/14, दिनांक 13-03-2015 द्वारा रु0 576.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रु0 57.683 लाख अवमुक्त की गयी थी।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बूढ़ी गण्डक नदी के किनारे अमवाखास पिपराघाट पर बंधा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर कार्रवाई की जानकारी**

**122-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बूढ़ी गण्डक नदी के किनारे अमवाखास पिपराघाट में बाढ़ बचाव हेतु बंधा निर्माण से सम्बन्धित कतिपय कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-191/नेता का0वी0म0द0, दिनांक 14-05-2018 है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

गण्डक उच्च स्तरीय स्थाई समिति की संस्तुति के अनुसार अमवाखास तटबन्ध पर कुल 11 अदद् परियोजना, अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध पर कुल 16 अदद् परियोजना, नरवाजोत पिपराघाट मार्ग पर कुल 1 अदद् परियोजना तैयार कर उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 194वीं बैठक दिनांक 05-11-2018 से अनुमोदित हो चुकी है इनमें से अमवाखास तटबंध की चार परियोजनाएं स्थायी संचालन समिति से भी स्वीकृत हो गयी है। एक परियोजना पर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है अन्य स्वीकृत परियोजनाओं पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अलीगढ़ की मांट ब्रान्च फीडर की क्षतिग्रस्त पटरी को पक्का कराये जाने की जानकारी**

**123-श्री दलवीर सिंह-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मथुरा को गंगाजल परियोजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले के पलड़ा झाल से आगरा मथुरा नहर के किनारे डाली गयी पाइप लाइन के कारण

जनपद अलीगढ़ की मांट ब्रांच फीडर की क्षतिग्रस्त पटरी को पक्का कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त को कब तक पक्का किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

उक्त क्षतिग्रस्त पटरी को पक्का कराने हेतु प्राक्कलन गठित कर सक्षम स्तर से स्वीकृत किया जा चुका है। कार्य के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रगति में है। उक्त कार्य शीत ऋतु की समाप्ति के उपरान्त प्रारम्भ कर इस वित्तीय वर्ष के अन्त मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद अलीगढ़ में रायपुर से नंगला छिद्दू क्षतिग्रस्त मार्ग की पुनः मरम्मत कराये जाने की मांग**

**124-श्री दलवीर सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में रायपुर मार्ग से नंगला छिद्दू मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

जनपद अलीगढ़ में रायपुर मार्ग से नगला छिद्दू मार्ग वर्तमान में गड्ढामुक्त है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद झांसी के गुरसरांय मुख्य नहर एवं उससे निकलने वाले राजबहे एवं मुख्य बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा से भुजौंद माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने व चौड़ीकरण कराये जाने की मांग**

**125-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गुरसरांय मुख्य नहर एवं उससे निकलने वाले राजबहों एवं मुख्य बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा से निकली भुजौंद माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने हेतु उनका चौड़ीकरण एवं अन्य कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-465055, दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

गुरसरांय मुख्य नहर का संचालन दिनांक 22-10-2018 से किया जा रहा है, जो वर्तमान में भी संचालित है। गुरसरांय मुख्य नहर से निकलने वाले राजवाहों सहित कुल 43 नहरों में से 30 नहरों

में टेल तक पानी उपलब्ध कराकर एवं अन्य नहरों में आंशिक लम्बाई में पानी पहुंचाकर कृषकों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है व बेतवा मुख्य नहर से उदगमित हमीरपुर शाखा से निकलने वाली भुजौंद माइनर में टेल तक पानी उपलब्ध कराकर कृषकों को समुचित सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। भुजौंद माइनर का अनुभाग परिकल्पन के औचित्य के आधार पर निर्धारित है। अतः इसका चौड़ीकरण परिलक्षित नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी**

**126-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील-बीघापुर, मजरा त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा के किसानों की जमीन की सिंचाई हेतु पुरवा ब्रांच में स्थायी कुलाबा दिये जाने विषयक श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 13 मार्च, 2018 पर कुलाबा स्वीकृत हेतु आदेश/पत्र सं0-वी0आई0पी0/217, दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

प्रश्न बिन्दु पर स्थायी कुलाबा दिया जाना तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है। उक्त स्थल पर फसली कुलाबा डाल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डासना देहात के गंगा पेपर मिल द्वारा निकलने वाले गन्दे पानी से होने वाली बिमारी से बचाव की जानकारी**

**127-श्री असलम अली-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में ग्राम डासना देहात जनपद गाजियाबाद के बम्बे पर गंगा पेपर मिल से निकलने वाले गन्दे पानी की वजह से आस-पास के क्षेत्र में लोग गम्भीर बीमारी जैसे कैंसर, बुखार, एलर्जी आदि का शिकार हो रहे हैं ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

प्रश्नगत उद्योग के सम्बन्धित आबादी क्षेत्र में प्रदूषण से फैलने वाली गम्भीर बीमारियों की जांच हेतु स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जी हां।

जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डासना देहात के गंगा पेपर मिल द्वारा अवैध गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जमीन के कब्जे का प्रकरण**

**128-श्री असलम अली-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के डासना देहात में बम्बे पर गंगा पेपर मिल द्वारा वर्ष 2002 से वर्ष 2005 तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद से स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष 10 गुणा ज्यादा जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र के एक्सक्लूसिव लेदर प्रोपराइटर तथा त्रिपस इण्टर प्राइजेज प्रा0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जनपद गाजियाबाद के डासना देहात में बम्बे पर गंगा पेपर मिल द्वारा स्थल पर किये गये अवैध निर्माण की स्वीकृति का साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण उक्त निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत दिनांक 29-11-2018 को नोटिस जारी कर वाद संख्या-55/अ0नि0/जोन-5/18 संस्थित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अधीन गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के डासना देहात में बम्बे पर एक्सक्लूसिव लेदर प्रोपराईटर द्वारा किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत दिनांक 30-11-2018 को नोटिस जारी कर वाद संख्या-57/अ0नि0/जोन-5/18 संस्थित किया गया है।

जनपद गाजियाबाद के डासना देहात में बम्बे पर त्रिपस इण्टर प्राइजेज प्रा0 लि0 द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत दिनांक 30-11-2018 को नोटिस जारी कर वाद संख्या-56/अ0नि0/जोन-5/18 संस्थित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात के एक्सक्लूसिव लेदर प्रोपराइटर चमड़ा फैक्ट्री द्वारा निकलने वाली कैमिकल युक्त गन्दे पानी से क्षेत्र में हो रही बीमारियों की जांच व कार्रवाई**

**129-श्री असलम अली-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम डासना देहात में बम्बे पर एक्सक्लूसिव लेदर प्रोपराइटर चमड़ा फैक्ट्री से निकलने वाला गन्दा पानी आबादी क्षेत्र में जाकर

लोगों को गम्भीर बीमारी की चपेट में ले लेता है जिससे कई स्थानीय लोगों की भी मौत हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चमड़ा फैक्ट्री के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

प्रश्नगत उद्योग के सम्बन्धित आबादी क्षेत्र में प्रदूषण से फैलने वाली गम्भीर बीमारियों की जांच हेतु स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जी हां।

जांच में दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मथुरा के राया नगर क्षेत्र में जाम से निदान पाने के लिए बाईपास का निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**130-श्री पूरन प्रकाश-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में राया नगर क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट रोड 33 मथुरा हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद आदि 30 जनपदों का मुख्य मार्ग है जिस पर एक तरफ रेलवे लाइन और दूसरी तरफ पूरा राया कस्बा बसा हुआ है, पर रोजाना 4-5 घण्टे जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जाम से निजात के लिये राया नगर के बाहर से बाईपास बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

राया कस्बा (राया नगर पालिका) की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 18032 है। वर्तमान में एक लाख से कम आबादी के शहरों के बाईपास का निर्माण किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

वर्तमान में भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सं0-888 दिनांक-06-03-2018 द्वारा यह पीलीभीत-बरेली-मथुरा-भरतपुर मार्ग राष्ट्रीय मार्ग सं0-530बी के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मार्ग पर राया आबादी भाग के बाईपास मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद मथुरा के राया ब्लाक व बल्देव ब्लाक मथुरा के ग्रामीण अंचल में पेयजल की समस्या से निदान पाने के सम्बन्ध में**

**131-श्री पूरन प्रकाश-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल के निदान हेतु गंगाजल परियोजना जो कि मथुरा से होकर आगरा के लिये प्रस्तावित है जनपद मथुरा के ब्लाक राया व बल्देव में पेयजल

का अभाव है व जमीन के अन्दर खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार राया ब्लाक व बल्देव ब्लाक में गंगा जल परियोजना से पेयजल की सुविधा प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

आगरा एवं मथुरा नगर हेतु गंगा जल की आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से गंगा जल परियोजना निर्माणाधीन है।

गंगा जल परियोजना के अन्तर्गत आगरा एवं मथुरा नगर हेतु गंगा जल आपूर्ति का प्राविधान किया गया है। इसी स्वरूप में योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है एवं तद्नुरूप योजना का वित्त पोषण जायका द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस योजना से किसी अन्य क्षेत्र हेतु जलापूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद रायबरेली के ग्राम चन्दापुर के राजकीय नलकूप सं0-48 की बोरिंग को दुबारा कराये जाने की मांग**

**132-श्री राकेश प्रताप सिंह, डॉ0 सोमेन्द्र तोमर तथा श्री लाल जी वर्मा-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के ग्राम-चन्दापुर, पोस्ट-गूढ़ा, विकास खण्ड-शिवगढ़ में सिंचाई हेतु स्थापित किये गये राजकीय नलकूप सं0-48 की बोरिंग पूर्णतः खराब हो जाने के कारण उसे असफल घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सिंचाई समस्या को देखते हुये दूसरी बोरिंग कराकर उक्त नलकूप को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

राजकीय नलकूप सं0-48 एम0जी0 ग्राम-चन्दापुर, पोस्ट-गूढ़ा, विकास खण्ड-शिवगढ़, जनपद रायबरेली माह, 2010 में सिंचाईरत हुआ था। इसका निकास अत्यन्त कम हो जाने के कारण नलकूप को सिंचाईरत किये जाने हेतु नलकूप के पुनर्विकसन की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत करसौरा-रोड स्मारक से नगला फत्ता तक मार्ग के मरम्मत कराये जाने की मांग**

**133-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत करसौरा रोड स्मारक से नगला फत्ता तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम जटोई से अड्डा तक का मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग**

**134-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम जटोई से अड्डा तक मार्ग का निर्माण सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जटोई बल्देव मई खन्दौली मार्ग पर स्थित है तथा ग्राम अड्डा, तसींगा मई मिढावली मार्ग पर स्थित है। उक्त दोनों ग्राम सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत, एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। एकल सम्पर्क मार्गों से संतृप्त ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण, लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद हाथरस के खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत सैमरा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने विषयक**

**135-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत सैमरा माइनर में सरकार द्वारा टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

सैमरा माइनर में पानी रोस्टर के अनुसार दिनांक 15-12-2018 से चलाया जाना प्रस्तावित है। माइनर के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम के सम्बन्ध में**

**136-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या मद्यनिषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री जय प्रताप सिंह-**

जी हां।

प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु मद्यनिषेध विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों यथाः शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षात्मक, ज्ञानवर्द्धक व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शन कक्षों, गोष्ठियों का आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन, प्रभातफेरी/रैलियों, वालपेन्टिंग्स, होर्डिंग्स, ट्री गार्ड्स व बस पैनल्स पर सुवाक्यों के माध्यम से संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रचार साहित्य का वितरण कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया जाता है। प्रदेश में सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं, में नशे से ग्रसित व्यसनियों को उपचार कराने के लिये भर्ती होने हेतु प्रेरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत रैय्या पक्की रोड से दलईपुर से चांद पुर खास तक बने मार्ग के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में**

**137-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत रैय्या पक्की रोड से दलईपुर होते हुये चांदपुर खास से होते हुये बलई मऊ सीमा तक मार्ग लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग को पक्का कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड सोरावं के जंगलपुर पक्की सड़क से मनकापुर चौराहे तक निर्मित मार्ग के मरम्मत कराये जाने की मांग**

**138-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत जंगलपुर, विकास खण्ड सोरांव के जंगलपुर पक्की सड़क से सुखई का पुरा होते हुये मनिकापुरा चौराहा तक मार्ग की लम्बाई 3 कि0मी0 क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत/पुनःनिर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा चांदपुर सराय में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

**139-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा चांदपुर सराय भारत, मजरा मत्तन का पुरा में सिंचाई हेतु कोई साधन न होने से फसले सूख जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

विधान सभा क्षेत्र-सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा-चांदपुर सराय भारत, मजरा-मत्तन का पुरा विकास खण्ड-होलागढ़, जनपद-प्रयागराज में सिंचाई यांत्रिक विभाग का कोई राजकीय नलकूप एवं लघु डाल नहर स्थापित नहीं है।

शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009, दिनांक-10-01-2018 द्वारा ग्राम सभा-चांदपुर सराय भारत, मजरा-मत्तन का पुरा विकास खण्ड-होलागढ़ क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण राजकीय नलकूपों का निर्माण पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ब्लाक होलागढ़ के ग्राम सभाओं में नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**140-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ब्लाक होलागढ़ के ग्राम सभा हरीडीह मजरा इमाम कुलीपुर और सांगीपुर के बीच में नहर पर पुलिया न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल पर सोरांव राजवाहा के किमी0 10.501 पर वर्तमान में एक फुट ब्रिज (कदम पुलिया) विद्यमान है, अतः पुनः पुलिया के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा कमालपुर एवं ग्राम सभा खुटहना के वार्डर पर स्थित नाले पर पुल के निर्माण कराने विषयक**

**141-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में कमालपुर एवं खुटहना के बार्डर पर स्थित नाले पर पुल का निर्माण न होने से ग्रामवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी, हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी**

**142-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में कतिपय स्थानों पर नाबार्ड/हुडको परियोजना के अन्तर्गत पुल-पुलियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-187/नेता का0वी0म0द0, दिनांक 15-05-2018, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित कुल 06 पुल-पुलियों में 02 पुलिया क्रमशः झरही नाले के सिरसिया घाट पर 4x6 मी0 स्पान का लघु सेतु एवं अहिरौली दान-लोकनहा घाट पर 3x6 मी0 स्पान पुलिया हेतु राज्य योजना सामान्य के अन्तर्गत क्रमशः रु0 271.62 लाख एवं रु0 121.53 लाख अर्थात कुल रु0 393.15 लाख का गठित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 04 पुल-पुलियों में से क्रमशः शिवाघाट से सेवरही सम्पर्क मार्ग पर 1x6 मी0 स्पान का लघु सेतु एवं समउर से रकबा राजा सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त 1x3 मी0 स्पान पुलिया पर नाले की चौड़ाई कम होने के कारण ह्यूम पाइप लगाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। तमकुही समउर सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त 1x3 मी0 स्पान का पुलिया का निर्माण केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा चखनी ड्रेन पर 2x6 मी0 स्पान का लघु सेतु बिहार सीमा के अन्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद हापुड़ के ग्राम जोगीपुरा से ग्राम संरावा तक ग्राम जादोपुर से ग्राम मदापुर तक कच्चे मार्गों का नवनिर्माण कराये जाने की मांग**

**143-श्री असलम अली-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के ग्राम जोगीपुरा से ग्राम संरावा तक तथा ग्राम जादोपुर से ग्राम मदापुर तक के कच्चे सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

प्रश्न में वर्णित समस्त ग्राम अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी के बेतवा नदी पर निर्माणाधीन एरच बांध परियोजना को शीघ्र पूरा कराने एवं पत्र सं0-क-6 नं0 610146 पर कार्रवाई की जानकारी**

**144-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन एरच बांध परियोजना को पूरा कराने हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-6 न0-610146 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

एरच बांध परियोजना की हाईड्रोलॉजिकल स्टडी हेतु सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा एवं एन0आई0एच0, रुड़की के मध्य एम0ओ0यू0 दिनांक 07-02-2018 में गठित हुआ है। इसी प्रकार गुणवत्ता एवं व्यय के सापेक्ष कार्य का परीक्षण प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई, लखनऊ द्वारा की जा रही है, जिसके अन्तर्गत गुणवत्ता परीक्षण हेतु आई0आई0टी0, कानपुर के प्रोफेसर द्वारा दिनांक 14-11-2018 को प्रारम्भिक विजिट किया गया। प्रारम्भिक एवं विस्तृत विजिट के लिए मांगी गयी धनराशि रु0 65.00 लाख दिनांक 09-10-2018 को निर्गत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष रु0 54.575 लाख व्यय किया जा चुका है। परीक्षण प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के चीनी निगम में कुल कितने अभियन्ता ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर विगत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से हैं उनके स्थानान्तरण किये जाने की जानकारी**

**145-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चीनी निगम में कुल कितने अभियन्ता ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर विगत पांच वर्ष एवं उससे अधिक समय से तैनात हैं ? क्या सरकार शासकीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

वर्तमान में चीनी निगम में अभियंत्रण विभाग में कार्यरत 04 अभियन्ताओं में से 03 अभियन्ता एवं सिविल विभाग में कार्यरत 06 अभियन्ताओं में से 01 अभियन्ता, एक ही स्थान पर विगत पांच वर्ष एवं उससे अधिक समय से तैनात हैं।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की एक मात्र इकाई मोहिउद्दीन संचालित है जिसमें अभियंत्रण विभाग के 02 अभियन्ता तथा सिविल विभाग के 01 अभियन्ता 05 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात हैं।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की सहायक कम्पनी उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 की चीनी मिलों यथा पिपराइच (गोरखपुर), मुण्डेरवा (बस्ती) में 5000 टी0सी0डी0 क्षमता की नई चीनी मिल मयकोजन 27 मेगावॉट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिनके संचालित होने पर 05 वर्ष से अधिक अवधि से एक स्थान पर तैनात अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान के सम्बन्ध में**

**146-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गन्ना उत्पादक किसान हैं जिनके गन्ने के बकाये का भुगतान चीनी मिलों पर लम्बित है ? क्या सरकार उन किसानों के गन्ने के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश राणा-**

पेराई-सत्र के अन्तर्गत कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के सापेक्ष चीनी मिलों द्वारा क्रमिक रूप से कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाता है। इसी क्रम में पेराई-सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के अन्तर्गत प्रदेश के 499258 कृषकों का आंशिक रुप से गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है।

पेराई-सत्र 2016-17 में वर्तमान में निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य अवशेष है जिसमें चीनी मिल कप्तानगंज (3.24 करोड़) को छोड़कर शेष 02 चीनी मिलों यथा-वाल्टरगंज जिला बस्ती एवं चिलवरिया जिला बहराइच के विरुद्ध आर0सी0 निर्गत है।

पेराई-सत्र 2017-18 में अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 30-11-2017, दिनांक 02-02-2018, दिनांक 23-02-2018, दिनांक 13-04-2018 दिनांक 07-05-2018 एवं दिनांक 29-06-2018 को नोटिसें निर्गत की गई हैं तथा चीनी मिल मलकपुर-बागपत एवं मोदीनगर-गाजियाबाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 व आई0पी0सी0 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत तथा बृजनाथपुर व सिम्भावली-हापुड़ एवं चीनी मिल अगवानपुर-मुरादाबाद के विरुद्ध आई0पी0सी0 की विभिन्न धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त चीनी मिल, मलकपुर-बागपत एवं मोदीनगर-गाजियाबाद, बुलन्दशहर-बुलन्दशहर, बृजनाथपुर-हापुड़, गागलहेडी-सहानरपुर, बिसौली-बदायूं, गडौरा-महराजगंज एवं वाल्टरगंज-बस्ती के विरुद्ध अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त के स्तर से दिनांक 14-12-2018 को वसूली

प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के खरगापुर, लखनऊ के मुख्य मार्ग को जल निकासी पुनःनिर्माण कराये जाने की जानकारी**

**147-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के खरगापुर मुख्य मार्ग निकट हनुमान मन्दिर विकास खण्ड चिनहट से कामाख्या मंदिर जाने वाले मार्ग पर निर्माण खण्ड एक लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा मार्च, 2018 में बनवायी गयी नाली जगह-जगह टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का पुनर्निर्माण तथा अधोमानक निर्माण को मानक के अनुरूप कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

प्रश्नगत मार्ग की चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग के संकरा होने व भारी ट्रकों व ट्रैक्टर ट्राली का पहिया नाली की दीवार पर चढ़ने के कारण नाली का ऊपरी भाग कुछ स्थानों पर टूट गया था। जिसको पुनः बनवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद लखनऊ के पारा थाना से गोकुल ग्राम योजना को जाने वाले मार्ग पर अवैध कब्जे एवं चौड़ीकरण कराने का प्रकरण**

**148-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में पारा थाना से गोकुल ग्राम योजना को जाने वाले मार्ग की चौड़ाई 80 फीट स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क में हुए अवैध कब्जे को हटवाते हुए सड़क का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

पारा थाने से गोकुल ग्राम योजना स्थित मार्ग की कुल औसत चौड़ाई 42 फीट है, जिसमें से लेपित सतह की चौड़ाई लगभग 37 फिट है।

प्रश्नगत स्थल पर चौड़ीकरण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण मार्ग का चौड़ीकरण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को हटवाने हेतु नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है। प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी से रविदास नगर, इन्दिरा नगर, श्रीनगर आदि मोहल्लों को बाढ़ से बचाव के लिए स्थाई बन्धा बनवाये जाने की मांग**

**149-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में रविदास नगर, इन्दिरा नगर, श्रीनगर आदि मोहल्लों के हजारों मकान गंगा नदी की कटान की जद में आने से उनके मकान गंगा नदी में समाने की कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र की गंगा नदी पर स्थाई बन्धा बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर गंगा नदी के कटान को दृष्टिगत रखते हुये 4.450 कि0मी0 लम्बाई मार्जिनल बनाने की एक परियोजना लागत रु0 1360.10 लाख केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2017 में स्वीकृत की गयी थी, किन्तु गंगा नदी की धारा बायीं ओर मुड़ जाने से प्रस्तावित मार्जिनल बन्ध का संरेक्षण गंगा नदी में समा गया। ऐसी स्थिति में बांध का निर्माण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत सादाबाद-सहपऊ मार्ग से नगला ब्राह्मण तक मार्ग के मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**150-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत सादाबाद-सहपऊ मार्ग से नगला ब्राह्मण तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का पुनर्निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम जटोई से नगला शेखा मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग**

**151-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत ग्राम जटोई से नगला शेखा मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम जटोई, बल्देव मई खन्दौली मार्ग पर एवं ग्राम नगला शेखा, मई बिलारा-पचावरी-पटनौनी मार्ग पर स्थित है। उक्त दोनों ग्राम सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत, एकल सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं। एकल सम्पर्क मार्गों से संतृप्त ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण, लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के अन्तर्गत कुम्हरई से मई तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग**

**152-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत कुम्हरई से मई तक मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मई, बल्देव मई खन्दौली मार्ग पर स्थित है एवं ग्राम कुम्हरई, गढ़ी गुमानी से बासदत्ती से कुम्हरई सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। उक्त दोनों ग्राम, सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। एकल सम्पर्क मार्गों से संतृप्त ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद हाथरस के निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत कुरसण्डा राजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाने की जानकारी**

**153-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत कुरसण्डा राजवाहों में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जनपद हाथरस में कुरसण्डा राजवाहों में पानी रोस्टर के अनुसार दिनांक 29-12-2018 से चलाया जाना प्रस्तावित है। राजवाहो के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा के ग्राम मसूरी एन0एच0-9 से नहरी की पटरी पर बने मार्ग के मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की मांग**

**154-श्री असलम अली-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धौलाना, जनपद हापुड़ के ग्राम मसूरी एन0एच0-9 से नहरी की पटरी पर लगभग 10 से 15 गांवों को जोड़ने वाली सड़क जो

एन0एच0-58 मुरादनगर पर जाती है और संकरी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है। ग्रामीण श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण किया जाना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र के कस्बा डासना में खसरा नम्बर 1236 पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जे को मुक्त कराये जाने का प्रकरण**

**155-श्री असलम अली-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के कस्बा डासना में खसरा नम्बर 1236 पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर मार्किट बना रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध मार्किट पर हो रहे निर्माण को गिरवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

उप जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 30-10-2007 से पूर्व जनपद गाजियाबाद, कस्बा डासना, तहसील सदर में खसरा नं0 1236 की जमीन श्रीमती सत्यवती तथा प्रेमकुमार के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को यूपी लैन्ड रिवेन्यू ऐक्ट 1901 की धारा-33/39 के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 30-10-2007 को सड़क दर्ज किया गया था।

श्री प्रेम कुमार द्वारा उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30-10-2007 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रिट B No-2728/2018 श्री प्रेम कुमार बनाम राजस्व परिषद् व अन्य योजित की गयी, जिसमें दिनांक 13-03-2018 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण सम्प्रति मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

**विधान सभा क्षेत्र के कस्बा डासना में गन्दे नाले पर बने जर्जर पुल को पुनः निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**156-श्री असलम अली-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के कस्बा डासना में एन0एच0-9 से डासना मुख्य मार्ग पर बना पुल जर्जर एवं संकरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का चौड़ीकरण एवं नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

पुल की पैरापिट एवं स्लैब क्षतिग्रस्त है। जी हां जिलाधिकारी, गाजियाबाद को मा0 विधायक धौलाना की विधायक निधि से पुल के नव निर्माण व चौड़ा किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान कर दी गयी

है। जिलाधिकारी गाजियाबाद, द्वारा कार्यदायी संस्था के चयन की कार्रवाई की जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन में नाले का पुल के निर्माण हेतु**

**157-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा लखनपुर करन में नाले पर पुल न बनने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

जी हां।

ऐसे कार्य हेतु परियोजना प्राक्कलन तैयार कर विभिन्न समितियों से अनुमोदित कराया जाता है। परियोजना के साध्य पाये जाने पर सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के ब्लाक कौड़िहार में ग्राम बरईपुर में कचहना मोड़ से ब्रह्मकुमारी साधना कुंज तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग**

**158-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के ब्लाक कौड़िहार के ग्राम सभा बरईपुर में कचहना मोड़ से ब्रह्मकुमारी साधना कुंज जिसकी कुल लम्बाई 2 कि0मी0, सम्पर्क मार्ग (सड़क) जर्जर हो जाने के कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग (सड़क) का पुनः निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण/मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के ब्लाक कौड़िहार के ग्राम बरईपुर में नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग**

**159-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के ब्लाक कौड़िहार के ग्राम सभा बरईपुर में स्थित नाले पर पुलिया का निर्माण न होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य स्थल पर दोनों ओर सर्विस रोड नहीं है, जिस कारण से वांछित स्थल पर पुलिया के निर्माण का औचित्य नहीं है।

**जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे से निश्चित समयसीमा में ई-डस्ट हटाए जाने की योजना**

**160-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे लगे ई-डस्ट के ढेर हटाने का काम किसी निश्चित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी हां।

मुरादाबाद में राम गंगा नदी के तट पर निस्तारित ई-वेस्ट प्रोसेसिंग से जनित वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 26-09-2018 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रथम चरण में राम गंगा नदी के तट पर निस्तारित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण अस्थायी रूप से रामपुर रोड, मुरादाबाद स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रोटोकाल के अनुरूप व्यवस्थाओं के साथ किया जा रहा है तथा उक्त परिसंकटमय अपशिष्ट का स्थायी निस्तारण जनपद-अमरोहा में प्रस्तावित परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा का संचालन प्रारम्भ होने पर उक्त सुविधा में किया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 26-09-2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार राम गंगा नदी के तट पर निस्तारित परिसंकटमय अपशिष्ट का अन्तिम निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु कार्य योजना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष ओरिजनल एप्लीकेशन नं0-621/2018 महेन्द्र पाण्डेय बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में प्रस्तुत की गयी जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु दिनांक 08-02-2019 तक की समयावधि अनुमन्य की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के श्री डोरी लाल शर्मा की याचिका संख्या-54415/2017 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-16-01-2018 में क्रम संख्या-5 पर कार्रवाई**

**161-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि याचिका संख्या-54415/2017 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-16-01-2018 में क्रम संख्या-5 पर प्रकाश ईंट उद्योग को बन्दी माना था, किन्तु बन्दी आदेश के बावजूद भी भट्ठे पर निरन्तर कार्य जारी है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त भट्ठे को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री दारा सिंह चौहान-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा मेसर्स प्रकाश ईंट उद्योग, ग्राम-नसीरपुर, रसमई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस का निरीक्षण दिनांक 12-12-2018 में किया गया। निरीक्षण में प्रश्नगत ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया है एवं ईंट भट्ठे पर उत्पादन कार्य बन्द है। अग्रेत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 03-11-2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं0-54415/2017 में पारित आदेश दिनांक 16-01-2018 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा-21 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईंट उत्पादन कार्य संचालित नहीं किये जाने सम्बन्धित निर्देश दिये गये हैं।

**जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के अन्तर्गत सहपऊ एम0एल0 इण्टर कालेज से बघेल नगला तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग**

**162-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के अन्तर्गत सहपऊ एम0एल0 इण्टर कालेज से पीहुरा के बघेल नगला तक मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0एल0 इण्टर कालेज, सहपऊ रूरल मार्ग पर ग्राम पीहुरा, सादाबाद जलेसर मार्ग पर एवं ग्राम नगला बघेल, सादाबाद जलेसर मार्ग से नगला बघेल मार्ग पर स्थित है। अतः उक्त कालेज एवं दोनों ग्राम सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत लोधई बम्बा से रूदायल तक मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग**

**163-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सादाबाद के अन्तर्गत लोधई बम्बा से रुदायल तक बम्बा की पटरी पर मार्ग का निर्माण सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम लोधई, ग्राम सुल्तानपुर लोधई मार्ग पर एवं ग्राम रूदायल, महरारा से रूदायल मार्ग पर स्थित है। उक्त दोनों ग्राम सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत एकल सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं। एकल सम्पर्क मार्गों से संतृप्त ग्रामों हेतु अन्य मार्ग निर्माण, लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

**जनपद गाजीपुर में बाढ़ जैसी त्रासदी से निपटने की परियोजना**

**164-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में गंगा नदी की कटान से तटबन्ध टूट जाने के कारण ग्राम सभा सुकने, बढहरिया, पुरैना, रफीपुर, रसैइया, शिपुजनवां स्थान तथा बैयपुर गांवों की हजारों एकड़ जमीन तथा ग्रामवासियों के मकान नदी में समाहित हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में गंगा नदी पर उक्त क्षेत्र में बांध का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

गंगा नदी के प्रवाह से प्रश्नगत ग्रामों की जमीन कट कर नदी में समाहित हो रही है। चूंकि प्रश्नगत गांवों में कोई तटबन्ध नहीं है। अतः उक्त क्षेत्र में बांध के पुनः निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है, परन्तु गांवों की कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक परियोजना तैयार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**165-श्री मनोज कुमार पारस-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**लखनऊ के विकास नगर सेक्टर-1 के भवन सं0-1/180 से 1/184 में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को बन्द कराकर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी**

**166-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवासीय भू-उपयोग हेतु निर्मित भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां किया जाना प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासकीय नीति के विरुद्ध लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर-1 स्थित भवन संख्या-1/180 से लेकर भवन संख्या-1/184 पर लगभग 10 वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री योगी आदित्यनाथ-**

जी हां।

लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर-1 स्थित भवन संख्या-1/182 एवं भवन संख्या-1/184 पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। शेष भवन संख्या-1/180, 1/181 तथा 1/183 में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही हैं।

लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर-1 स्थित भवन संख्या-1/182 एवं भवन संख्या-1/184 पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0- 74 के रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की जानकारी**

**167-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में कस्बा नगीना में नेशनल हाई-वे-74 पर कस्बे के रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना कस्बा नगीना में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-74 के नगीना आबादी में रेलवे क्रासिंग स्थित है, जिसके सापेक्ष प्रस्तावित नगीना बाईपास पर कार्य प्रगति पर है, जिस पर पड़ने वाले रेलवे लाइन पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0, नजीबाबाद द्वारा किया जा रहा है। बाईपास निर्माण के उपरान्त नगीना कस्बे में यातायात कम हो जायेगा।

**जनपद लखनऊ के आर्यावर्त बैंक मोड़ खरगापुरा से मलेसियामऊ मार्ग पर पीली कालोनी तक के सड़क के किनारे नाली बनवाने की जानकारी**

**168-श्री अक्षयवर लाल गोंड-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्यावर्त बैंक मोड़ खरगापुर, लखनऊ से मलेसियामऊ मार्ग पर पीली कालोनी तक लम्बाई 500 मीटर लोक निर्माण विभाग की सड़क को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने हेतु सड़क के किनारे नाली का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जनपद-लखनऊ में आर्यावर्त बैंक मोड़ खरगापुर, लखनऊ से मलेसियामऊ मार्ग की लम्बाई 500 मी0 है प्रश्नगत 500 मी0 लम्बाई का मार्ग शहरी श्रेणी का मार्ग है जोकि वर्तमान में पूर्णतः गड्ढामुक्त है। आबादी भाग होने के कारण नाली निर्माण दोनों ओर किये जाने की अनुमानित लागत रु0 10.50 लाख आएगी, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश के नगर निगमों/नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में सोडियम लाइटों के स्थान पर एल0ई0डी0 लाइट लगाने विषयक**

**169-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में लगी कुल कितनी सोडियम लाइटों को उतार कर एल0ई0डी0 लाइटें लगायी जा रही हैं ? यदि हां, तो लखनऊ नगर निगम में उतारी गयी सोडियम लाइटों में कुल कितनी लाइटें चालू हालत में हैं ? क्या सरकार उक्त सोडियम लाइटों की नीलामी करेगी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि एल0ई0डी0 लाइटें अधोमानक पाये जाने के कारण नगर निगम लखनऊ द्वारा लाइटें लगाने का कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर मानकानुसार एल0ई0डी0 लाइटें लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

प्रदेश के 17 नगर निगम, 23 नगर पालिकाओं एवं 02 नगर पंचायतों में अब तक 6.98 लाख पुरानी परम्परागत सोडियम लाइटों की जगह एल0ई0डी0 लाइटें लगायी गई हैं, इस क्रम में मेसर्स ई0ई0एस0एल0 व नगर निगम के मध्य हुए अनुबन्ध के अनुसार नगर निगम, लखनऊ में परम्परागत सोडियम/ट्यूब लाइटों के स्थान पर कुल 1,36,995 एल0ई0डी0 लाइटें लगायी जा चुकी हैं।

परम्परागत सोडियम लाइटों के स्थान पर एल0ई0डी0 लाइटें लगाये जाने के क्रम में लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत उतारी गयी सोडियम/ट्यूब लाइटों में से 1,02,496 लाइटें चालू हालत में है।

हां, शासनादेश दिनांक 18-12-2017 द्वारा सोडियम लाइटों की नीलामी हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0ई0डी0 लाइट के अधोमानक पाये जाने की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के केन्द्रीय विद्यालय, गोमतीनगर के समीप अंग्रेजी शराब की दुकान को हटवाने के सम्बन्ध में**

**170-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के केन्द्रीय विद्यालय, गोमतीनगर के समीप ही अंग्रेजी शराब की दुकान स्थापित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शराब की दुकानों को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री जय प्रताप सिंह-**

जी हां।

केन्द्रीय विद्यालय से मॉडल शॉप पत्रकारपुरम् नं0-2 (निकट मनोज पाण्डेय चौराहा) 110 मीटर (पथिक मार्ग) की दूरी पर स्थित है, जो कि नियमों में दिये गये मानक के अनुरूप है।

जी नहीं।

मॉडल शॉप की अवस्थिति के सम्बन्ध में एक रिट याचिका संख्या-20868 (एस0बी0)/2018 मुर्तजा अली बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

## सिंचाई मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

**171-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के गुरसराय ब्रांच से निकलने वाले भसने व एरच राजबाहों तथा बेतवा ब्रांच से निकलने वाले मोंठ तथा हमीरपुर ब्रांच से निकलने वाले भुजौंद व खिल्ली माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

प्रश्नगत पत्र पर गुरसराय नहर प्रणाली की भसनेह एवं एरच राजवाहों में कुल 43 नहरों में से 30 नहरों के टेल तक तथा बेतवा मुख्य नहर से निकलने वाले मोंठ राजवाहा एवं हमीरपुर शाखा से निकलने वाली भुजौंद माइनर व खिल्ली माइनर में टेल तक पानी उपलब्ध कराकर कृषकों को समुचित सिंचाई उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एरच बांध परियोजना को शीघ्र पूरा कराये जाने एवं पत्र सं0 ख-6 नं0 142474 के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

**172-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एरच ब्रांच परियोजना को शीघ्र पूरा कराये जाने पिषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 नं0 142474 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

एरच बांध परियोजना की हाईड्रोलाजिकल स्टडी हेतु सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा एवं एन0आई0एच0, रुड़की के मध्य एम0ओ0यू0 दिनांक 07-02-2018 में गठित हुआ है। इसी प्रकार गुणवत्ता एवं व्यय के सापेक्ष कार्य का परीक्षण प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई, लखनऊ द्वारा की जा रही है, जिसके अन्तर्गत गुणवत्ता परीक्षण हेतु आई0आई0टी0, कानपुर के प्रोफेसर द्वारा दिनांक 14-11-2018 को प्रारम्भिक बिजिट किया गया। प्रारम्भिक एवं विस्तृत बिजिट के लिए मांगी गई धनराशि रु0 65.00 लाख दिनांक 09-10-2018 को निर्गत की जा चुकी है। परीक्षण प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा बादलपुर से ग्राम बिजलीपुर होते हुये देवरा राम बाग तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**173-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में ग्राम सभा बादलपुर प्राइमरी पाठशाला बिजलीपुर से होते हुए देवरा रामबाग लगभग 3 किमी0 मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग/सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी हां। दोनईया चौराहा (देवरा पुल) से लिलहट (नहर की पटरी) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य निर्माणाधीन है, जिसकी लम्बाई 16.500 किमी0 है। प्रश्नगत मार्ग उक्त स्वीकृत मार्ग का भाग है। कार्य प्रगति पर है, जिसको शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के एम0डी0 द्वारा की गई अनियमितता की जांच**

**174-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का वर्तमान एम0डी0 उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितता को बिन्दुवार जांच शासन स्तर से कराने विषयक लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 16-7-2018 जो आपको, मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव, सहकारिता को सम्बोधित है, पत्र दिनांक 29-5-2018 जो आपको व मुख्य मंत्री जी को तथा पत्र दिनांक 25-10-2018 जो आपको सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुकुट बिहारी वर्मा-**

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्रवाई की आख्या आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ से मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ में अनुबन्ध पर तैनात कर्मचारियों का प्रकरण**

**175-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में पूर्व से विभाग में तैनात अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त सहयोगी, क0 लिपिक, अवर अभियन्ताओं को हटा कर बड़े पैमाने पर वर्तमान एम0डी0 द्वारा सजातीय लोगों को रखे जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-10-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुकुट बिहारी वर्मा-**

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई की आख्या आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ से मांगी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में अनुबन्ध पर नियुक्त सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं का प्रकरण**

**176-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 उ0प्र0 में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कितने सहायक अभियन्ता व कितने अवर अभियन्ताओं के पद पर विभाग में संविदा/अनुबन्ध के आधार पर नियुक्तियां वर्तमान एम0डी0 द्वारा की गयी हैं ? उसमें से कितने एम0डी0 के सजातीय लोग तैनात हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री मुकुट बिहारी वर्मा-**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 73 सहायक अभियन्ता एवं 102 अवर अभियन्ता अनुबन्धित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 99 सहायक अभियन्ता एवं 105 अवर अभियन्ता अनुबन्धित किये गये हैं।

अनुबन्ध-पत्र में जाति का विवरण अंकित नहीं रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के दुबग्गा मण्डी, हरदोई रोड, हनुमान मन्दिर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने की जानकारी**

**177-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत दुबग्गा मण्डी हरदोई रोड हनुमान मंदिर से कांशीराम एल0डी0ए0 कालोनी तक लगभग 1.00 किमी0 सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग बसंत कुंज योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है। उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के सूखे तालाबों को भरने की नीति बनाने विषयक**

**178-श्री संजय गर्ग-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के सूखे तालाबों को भराने की कोई नीति सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले तालाबों को प्रति वर्ष खरीफ फसली में नहरों द्वारा भरा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस में बल्देव राजवाहो में टेल तक पानी पहुंचाने की जानकारी**

**179-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत बल्देव राजबाहों में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

बल्देव राजवाहो को दिनांक 23-11-2018 को टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर, मथुरा के अन्तर्गत शीशमल माइनर में टेल तक पानी पहुंचाने की जानकारी**

**180-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में खण्ड निचली मांट शाखा गंग नहर मथुरा के अन्तर्गत शीशमहल माइनर में टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री धर्मपाल सिंह-**

जी हां।

शीशमल माइनर में पानी रोस्टर के अनुसार दिनांक 29-12-2018 से चलाया जाना प्रस्तावित है। माइनर के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के अन्तर्गत महरारा से नगला डहर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**181-श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद के अन्तर्गत महरारा से नगला डहर तक तथा ब्लाक-मुरसान के अन्तर्गत गांव पैठगांव से गांव अस्तल तक सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री केशव प्रसाद मौर्य-**

जी नहीं। ब्लाक सहपऊ के अन्तर्गत महरारा से नगला चिमन तक लोक निर्माण विभाग का 1.50 किमी0 लम्बा मार्ग है। मार्ग की दशा संतोषजनक है। नगला चिमन से नगला डहर तक कोई रास्ता नहीं है। नगला डहर, भूतनगरिया मार्ग से जुड़ा है, जिसकी लम्बाई 300 मीटर है। इस प्रकार महरारा एवं नगला डहर दोनों ग्राम सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं।

ब्लाक मुरसान के अन्तर्गत ग्राम पैठगांव तथा ग्राम अस्तल सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। मार्ग की दशा संतोषजनक है।

वर्तमान में शासन की नीति के अनुसार किसी ग्राम को एकल सम्पर्क मार्ग से ही जोड़े जाने का प्राविधान है। लोक निर्माण विभाग में डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

**182-डा0 आर0के0 वर्मा-**

[1लें मंगलवार के अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**183-श्री सुखदेव राजभर-**

[1लें मंगलवार के अता0प्र0सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**बहराइच नगर पालिका के अन्तर्गत घसियारीपुरा नौवागढ़ी पूर्वी क्षेत्र स्थित कालोनी वार्ड नं0-9 से कोतवाली देहात तक जर्जर इण्टरलॉकिंग सड़क की मरम्मत कराये जाने की जानकारी**

**184-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगर पालिका के अन्तर्गत घसियारीपुरा नौवागढ़ी पूर्वी क्षेत्र स्थित ब्रम्हपुरी कालोनी वार्ड वं0-9 में गोंडा रेलवे क्रासिंग से कोतवाली देहात तक इण्टरलॉकिंग सड़क पूर्णतया जर्जर है तथा उक्त सड़क पर गोण्डा रेलवे क्रासिंग से एस0पी0 मिश्रा के मकान तक जल निकासी हेतु नाली भी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क तथा जर्जर नाली का पुनर्निमाण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

बहराइच नगर पालिका के अन्तर्गत घसियारीपुरा, नौवागढ़ी पूर्वी क्षेत्र स्थित ब्रम्हपुरी कालोनी वार्ड नं0-9 में गोण्डा रेलवे क्रासिंग से कोतवाली देहात तक इण्टरलॉकिंग सड़क पूर्णतया जर्जर थी, जिस पर नगर पालिका परिषद्, बहराइच द्वारा गोण्डा रेलवे क्रासिंग से श्री चेतराम द्विवेदी जी के मकान होते हुए मन्दिर के पास तक नाली, इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है। गोण्डा रेलवे क्रासिंग से मन्दिर तक जाने वाले मार्ग से एस0पी0 मिश्रा के मकान तक पूर्व निर्मित नाली जर्जर है, जहां पर जलभराव है, क्योंकि जल निकास हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है व उक्त स्थल लो लैण्ड एरिया में स्थित है।

मोहल्ला घसियारीपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थाई एवं समुचित जल निकासी की व्यवस्था हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोण्डा द्वारा तैयार की गई रु0 2989.98 लाख की कार्य योजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान नहीं की गयी थी। संशोधित कार्य योजना वर्तमान शिड्यूल दरों पर तैयार किये जाने के निर्देश परियोजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोण्डा को दिये गये हैं। परियोजना की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**(12 बज कर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)**

(विपक्षी दलों के अधिकांश सदस्य, हाथ में पोस्टर एवं तख्ती लेकर वेल में [x x x] नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान हो गया।)

**श्री अध्यक्ष-**

जो वेल ऑफ द हाउस से कहा जा रहा है या वहां से पोस्टर/बैनर दिखाया जा रहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**[12:22] वित्तीय वर्ष 2018-19 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण**

**वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

(प्रतियां बांटी गयीं)

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2018)†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2018)†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1760/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(132)-2018, दिनांक 06 सितम्बर, 2018††**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1760/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(132)-2018, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1761/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(133)-2018, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्नीसवां संशोधन), नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† नोट :-छापे नहीं गये।

†† नोट :-छापी नहीं गयी।

**[12:24] संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1826/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(134)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1826/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(134)- 2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1827/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(135)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1827/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(135)- 2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1828/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(136)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1828/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(136)- 2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[इसी बीच नेता सदन (मुख्य मंत्री) के सदन में आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।]

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1829/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(137)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1829/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(137) 2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† नोट :-छापी नहीं गये।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1879/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(138)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1879/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(138)- 2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1880/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(139)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1880/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(139)- 2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1883/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(142)-2018, दिनांक 19 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1883/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश-(142)- 2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1884/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(143)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1884/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017- आदेश (143)-2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1895/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(144)-2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1895/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (144)- 2018, दिनांक

† नोट :-छापी नहीं गये।

26 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाने पर सदन में घोर व्यवधान के मध्य)

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1897/ग्यारह-9 (47)- 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(145)-2008, दिनांक 27 सितम्बर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1897/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (145)-2008, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1944/ग्यारह-9 (1)-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(146)-2018, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1944/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश (146)-2018, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा-05 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2018**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1963/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (148)-2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-2027/ग्यारह-9 (47)- 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(150)-2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 †**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(150)-2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† नोट :-छापी नहीं गया।

**[12:30] उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016 (01-04-2015 से 31-03-2016)** †

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 (01-04-2015 से 31-03-2016) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017 (01-04-2016 से 31-03-2017)** †

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 (01-04-2016 से 31-03-2017) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016**†

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017**†

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन 2016-2017 को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2007 (लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)**†

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-6-2007 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**एक माननीय सदस्य-**

मान्यवर, मेरी नियम-311 की एक सूचना है।

**श्री अध्यक्ष-**

---

† नोट :-छापा नहीं गया।

आप लोग अगर कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते है तो अपनी सीट पर चलें। यहां से बात नहीं हो पायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**[12:35] किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधयेक, 2018†**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 31 अगस्त, 2018 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

**अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 अगस्त, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**[12:35] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 अगस्त, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 अगस्त,

---

† नोट :- छापी नहीं गयी।

2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 अगस्त, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों क लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 31 अगस्त, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पुनः पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

**उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का अनुपूरक) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2018-2019 का अनुपूरक) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 अगस्त, 2018 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का इकत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन)

विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशेधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का तैंत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का चौंत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का पैत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2018 के

उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का छत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का सैंत्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का अड़त्तीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का उनतालिसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 अगस्त, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का चालीसवां अधिनियम बन गया।

**डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से दिनांक 27 अगस्त, 2015 को वापस प्राप्त होने पर, राज्यपाल

की अनुमति के लिये भेजा गया था, राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस किये जाने के उपरान्त जिसे ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधनों सहित दिनांक 30 अगस्त, 2018 को पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 अगस्त, 2018 की बैठक में विधान सभा द्वारा कये गये संशोधनों सहित पुनः पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्राप्त हो गयी और सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का इक्तालिसवां अधिनियम बन गया।

**श्री अध्यक्ष-**

मद सं0-28 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-29।

**उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन**

**श्री महबूब अली-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, आबकारी विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

**उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन**

**श्री महबूब अली-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित युवा कल्याण विभाग तथा जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन**

**श्री महबूब अली-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

**उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन**

**श्री महबूब अली-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2006 को

समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष-**

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा हूं :-

(घोर व्यवधान जारी)

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें ध्यान से सुनी जाती हैं यह संसदीय शिष्टाचार अगर आप ध्यान में रखें तो इसे आपको सुनना चाहिए।

**नियम-311 की सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)**

**श्री इकबाल महमूद-**

अध्यक्ष महोदय, मेरी नियम-311 की सूचना है इसको आप पहले ले लें।

**श्री अध्यक्ष-**

वेल में जब तक लोग रहेंगे तब तक कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले आप इनको वापस करिए।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, हमारी बात को आप सुनेंगे तो यह वापस आ जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है, आपके लिए अशुभ है उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए अशुभ है, हर तरह से निन्दनीय है यह जो आप फोटो लेकर आए हैं यह पूरी तैयारी के साथ आए हैं यह बहुत निन्दनीय है आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा हूं।

**[12:46] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (क्रमागत)**

**श्री अध्यक्ष-**

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को नियम-103 के चर्चाधीन प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा एवं नियम-103 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण एवं उन पर चर्चा सम्बन्धी मदें ले ली जाये।

तद्नुसार दिनांक 18 दिसम्बर से दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाये :-

**दिसम्बर, 2018**

| | |
|---|---|
| 18 मंगलवार | निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। |
| 19 बुधवार | 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। |

**2-12:20 बजे अपराह्न**

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

20 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2018-2019 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

21 शुक्रवार

1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

3-श्री विनय शंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना करायी जाये।''

4-श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

5-श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरीघाट, गोलाघाट, धोकरहाघाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराया जाये।''

6-श्री देवमणि द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-सुल्तानपुर का नाम बदल कर 'कुश भवनपुर' कर दिया जाये।''

7-श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(क) ''प्रदेश में खाद्यान्न एवं सब्जी उत्पादन में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जन स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्राकृतिक खेती किए जाने की कार्य योजना बनाई जाये।''

(ख) ''जनपद-झांसी की ब्लाक-मोंठ के ग्राम-लोहागढ़, ब्लाक-गुरसराय के ग्राम-एवनी तथा ब्लाक-बामौर के ग्राम-ककरवई में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाये।''

(ग) ''जनपद-झांसी के पारीछा बांध से निकलने वाली गुरसराय मुख्य नहर एवं उसके गढ़वई, भसनेह तथा एरच राज बहों में टेल तक पानी पहुंचाया जाये।''

8-श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना एवं उन पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

(क) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विनियमित करने, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता बढ़ाये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(ख) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी का वेतन बढ़ा कर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के समान/बराबर वेतन किये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(ग) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के ग्राम सभाओं में तैनात चौकीदारों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति उन्हें वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(घ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में तैनात पुलिस कार्मिकों की वेतन विसंगति दूर किये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(ङ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात लेखपालों का वेतन बढ़ाये जाने एवं प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन, भत्ता प्रदान किये जाने तथा अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(च) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात आशाकर्मियों को विनियमित करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(छ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात रोजगार सेवकों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(ज) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में तैनात होमगार्डों का विनियमितीकरण करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान कर उन्हें राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ता एवं अन्य समस्त सुविधायें अविलम्ब दिये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

(झ) ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर की नगर पंचायत सेवरही को जिला बनाये जाने की कार्रवाई शीघ्र की जाये।''

9-श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधा घण्टा की चर्चा :-

''यह सदन जनपद-शाहजहांपुर के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में बस स्टैण्ड अति जर्जर होने के कारण कटरा बस स्टैण्ड का नवनिर्माण कराया जाये।''

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है सहमत है।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**नियम-311 की सूचना को सुने जाने की पुनः मांग (क्रमागत)**

**श्री इकबाल महमूद-**

अध्यक्ष जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरी सूचना पर सुन लें।

**श्री अध्यक्ष-**

यह तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों के साथ गम्भीर विचार-विमर्श हुआ उसके बाद भी इस तरह से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**श्री अध्यक्ष-**

मद 35 में कुछ नहीं है।

**श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। नियम-311 के अन्तर्गत अगर आप हमें सुन लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी।

**श्री अध्यक्ष-**

आप पहले अपने सभी मा0 सदस्यों को वापस बुलाईये, उसके बाद अपनी बात कहिये। अपनी बात कहने का यह तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों के साथ गम्भीर विचार-विमर्श हुआ है।

**श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रहसन और अनुरोध दोनों साथ नहीं चलते। आप अपने मा0 सदस्यों को वापस बुलाइये उसके बाद अपनी बात कहिये और अपने विषय पर बोलिये।

**श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा करने का काम किया गया है।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 वर्मा जी, यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। पहले वेल आफ द हाउस से मा0 सदस्य वापस जाएं उसके बाद आप बोलिये। मैं पूरी छूट दे रहा हूं कि आप बोलिये, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते, बल्कि प्लेकार्ड दिखाना चाहते हैं। अच्छा तो यह रहता कि आप चौराहे पर यह दिखाते। आप लोग बहुत आदरणीय है, बहुत माननीय है, बहुत श्रद्धेय हैं, लेकिन इस प्रहसन में कोई आनन्द नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और रंगत दीजिये।

**श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रहसन नहीं है, बल्कि आपसे हमारा अनुरोध है। आप हमारा अनुरोध स्वीकार कर लीजिये और नियम-311 के अन्तर्गत हमारी सूचना पर सुन लें।

**श्री अध्यक्ष-**

मैं आपका अनुरोध स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन पहले आप लोग अपनी सीट पर तो जाईये।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत अगर आप हमारी सूचना को स्वीकार कर लेंगे तो हम अपनी सीट पर वापस आ जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

यह नियम-311 किस मर्ज की दवा है। आपने तो 302 के बारे में लगाया है।

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इनके जमाने से कानून-व्यवस्था वर्तमान में एक हजार गुना बेहतर हो गयी है।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदहाल है।

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यह सब सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं। इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई तर्क नहीं है। जिन लोगों के पास तर्क नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है वह इसी प्रकार की हरकत करते हैं। सदन का समय खराब करने का काम समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर कर रहे हैं। यह तीनों मिलकर सदन का समय खराब कर रहे हैं।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, इस सरकार ने पूरे प्रदेश को बरबाद करके रख दिया है।

**श्री अध्यक्ष-**

अब हम मद संख्या-36 लेते हैं।

**[12:36] उत्तर प्रदेश, शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018†**

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

**श्री अध्यक्ष-**

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

**श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

**कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

**श्री अध्यक्ष-**

आज दिनांक 19-12-2018 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री रामअचल राजभर, श्री उमाशंकर सिंह आदि तथा श्री अजय कुमार 'लल्लू' व इनकी पार्टी के मा0 सदस्यों की है। मैं एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि कार्य-स्थगन की मद है, अगर आप लोग अपने स्थान पर वापस चले जाएं तो मा0 वर्मा जी बोलें, मा0 नेता समाजवादी पार्टी बोलें, मा0 लल्लू जी बोलें। यदि आप लोग अपने स्थान पर चले जाएं तो आप लोगों को नियम-56 में सुना जा सकता है।

**नियम-311 की सूचना पुनः सुने जाने का अनुरोध (क्रमागत)**

**श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बुलन्दशहर की घटना के बारे में बोलना चाहता हूं। यह बहुत ज्वलनशील मुद्दा है इसलिये आप इसे नियम-311 में सुन लें।

**श्री अध्यक्ष-**

यही बात आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, आप इसे नियम-311 में स्वीकार कर लीजिये, हम वापस चले जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष-**

हम आपकी तरह इस प्रहसन से जुड़े नहीं हैं।

**श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही ज्वलंत समस्या है। बुलन्दशहर का मामला बहुत ही ज्वलंत है।

**श्री इकबाल महमूद-**

हमारा आपसे अनुरोध है। हम आपके मित्र हैं।

**श्री अध्यक्ष-**

हम आपके मित्र है, लेकिन मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, सभी नियमों को शिथिल करते हुए आप नियम-311 में हमें सुन लें।

**श्री अध्यक्ष-**

आप लोगों ने सारे नियम शिथिल ही नहीं कर दिये, बल्कि पूरी नियमावली के साथ अत्याचार कर दिया है। सारे नियम तो हम शिथिल करते, लेकिन आपने तो उनके साथ अत्याचार कर दिया। बड़ी कृपा होगी अगर आप लोग अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

**श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, यह सरकार अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है।

**श्री अध्यक्ष-**

मा0 वर्मा जी, कार्य-स्थगन पर बोलने के लिये मैं आपको बुला रहा हूं जो आपने नोटिस दिया है। उस पर आप बोलिये।

**श्री इकबाल महमूद-**

मान्यवर, नियम-311 में हमारी सूचना स्वीकार कर लें, हम उस पर बोलेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-311 में मैं कुछ कहना चाहता हूं उसको आप सुन लीजिए।

**श्री अध्यक्ष-**

हम कैसे सुन लें, पहले आप अपने लोगों को सीट पर वापस बुलाईये।

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह दोनों बातें कैसे सम्भव हैं, पहले हाउस व्यवस्थित करवायें उसके बाद बोलें।

(वेल में उपस्थित सदस्य ''बुलन्दशहर के हत्यारों को [xxx] सरकार बदलनी है'' आदि नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान जारी रहा।)

मा0 अध्यक्ष जी, जिन लोगों के पास कोई विषय नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है वह लोग इसी प्रकार शोर-शराबा करके सदन का समय खराब करते हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

**श्री अध्यक्ष-**

ठीक है, आप लोग नारे लगा रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं ऐसी स्थिति में मैं नियम-56 की सूचनायें निरस्त करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

**[12:57] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें**

---

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

**श्री अध्यक्ष-**

अब मैं नियम-51 की सूचनायें ले रहा हूं। जो मा0 सदस्य वेल में हैं, वे अपनी-अपनी सीट पर चले जायें अन्यथा उनकी सूचना अस्वीकार कर दी जाएंगी। हमारा कार्यालय इसे देख लेगा। कृपया आप लोग अपने-अपने आसनों पर जाएं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी उनका विवरण निम्नवत् है :-

पहली सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसान फसल बीमा का लाभ कृषकों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की चिकित्सा विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेशों का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद अलीगढ़ में कटपुला रसलगंज जीटी रोड व लल्लामल बगीची शाहजमाल के मध्य प्राईवेट बसों के संचालन रोके जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री विनोद सरोज की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय भू-खण्ड पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की विभिन्न जनपदों में छुट्टा जानवरों की वजह से बर्बाद हो रही फसलों के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की मेरठ-अलीगढ़ रोड पर तहसील बुलन्दशहर परिसर से बुलन्दशहर बाई-पास रोड नेशनल हाई-वे 34 तक लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के सोनौरा कैनाल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द द्विवेदी की जनपद बुलन्दशहर सहित पूरे प्रदेश में आवारा गौ-वंश को संरक्षित करके भरण-पोषण करने वाले गौ-पालकों को गौ-सेवा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री रोशनलाल वर्मा, श्री मानवेन्द्र सिंह एवं प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में दुर्घटना बीमा का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधायें सुधारे जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गंगा नदी के बायें किनारे पर स्थित हसनपुर तटबन्ध का घटिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद आयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के ग्राम पंचायत कैथी मांझा के बाढ़ पीड़ित 78 परिवारों को भूमि दिलाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेरहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव खमरिया में अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौदहवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज में गडौरा चीनी मिल को तुरन्त चालू कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पंद्रहवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत औरास में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सोलहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के निर्वाचन क्षेत्र सफीपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सत्रहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह में कतिपय

मार्गों पर परिवहन विभाग द्वारा बस संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अठारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की, जनपद कानपुर के उर्सला अस्पताल की एम0आर0आई0 मशीन खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उन्नीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी कालोनी के विकास तथा हस्तान्तरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, इक्कीसवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युत की समस्या के सम्बन्ध में हैं, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बाईसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में किसान के खेतों तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेईसवीं सूचना श्रीमती वन्दना सिंह की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में क्षेत्रीय विधायक व सांसद का नाम शिलापट पर अंकित किए जाने की घोषणा की अवहेलना किए जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत तथा चौबीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की, जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की भूमि पर एन0टी0पी0सी0 द्वारा किसानों को बिना मुआवजा दिए उनकी भूमि पर नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :--

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, श्री बहोरन लाल मौर्य, डा0 श्याम बिहारी लाल, श्री नागेन्द्र सिंह राठौर, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री संजय गर्ग, श्री ब्रजभूषण राजपूत, श्री देवेन्द्र सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मनोज कुमार पारस, श्री मसूद अखतर, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री शरदवीर सिंह, श्री दलवीर सिंह, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री पारस नाथ यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री प्रमोद उटवाल, श्री पंकज गुप्ता, श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री सोबरन सिंह यादव, श्री अबरार अहमद, श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, श्री उमा शंकर सिंह, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री नरेश सैनी, श्री राम अचल राजभर, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री मो0 मुजतबा सिद्दकी, श्री संजय प्रताप जायसवाल, डा0 अनीता लोधी राजपूत, श्री हरीराम, श्री संगम लाल गुप्ता, श्री असलम अली, श्री रामवीर उपाध्याय और श्रीमती जयदेवी।

## [12:58] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

**श्री अध्यक्ष-**

अब मैं नियम-301 की सूचनायें लेता हूं।

## नियम-311 की सूचना लिये जाने की मांग (क्रमागत)

**श्री इकबाल महमूद-**

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-311 में हमारी सूचना स्वीकार कर लीजिए।

**श्री अध्यक्ष-**

आज सारे नियम तो आप लोगों ने ले लिए हैं। आज आदरणीय मित्रों ने पूरी विद्वता पूर्वक, पूरा ज्ञान लगाते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली को चौपट कर दिया है।

**संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं इनके जमाने की सरकार से हमारी सरकार, मा0 योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था एक हजार गुना बेहतर है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

**नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)**

**श्री अध्यक्ष-**

आज दिनांक 19-12-2018 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें 20 मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क से फतेहगंज पश्चिमी हाई-वे मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय की जनपद चित्रकूट की कतिपय निर्माणाधीन पुलियों के निर्माण के दौरान उखाड़े गये हैण्डपम्प को पुनः स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर स्थित बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा महानगर के अन्तर्गत सिकन्द्रा की श्रीराधाकृष्ण धाम स्थित जर्जर सड़कों व नालियों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर की ग्राम सभा वेलावां में पेयजल की समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के कतिपय स्थानों पर पेयजल हेतु ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के कतिपय क्षेत्रों में लगने वाले जाम एवं उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ स्थित क्षतिग्रस्त सपेरा भानपुर मार्ग का मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के एन0टी0पी0सी0, टाण्डा में विस्तारीकरण के अन्तर्गत कतिपय ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ में लक्ष्मण टीला-हरदोई के बन्धा मार्ग के अवशेष हिस्से के निर्माण में आ रहे गतिरोध को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेघा खेड़ी से गांव बागोवाली के मध्य रजबहे का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में जंगली जानवर एवं आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के खादर क्षेत्र में राजकीय विद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अठ्ठारहवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ को जोड़ने वाले कतिपय मार्गों के पुनः निर्माण, मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज को नगर पालिका/परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना डा0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में नीम नदी के क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :--

प्रिंस वीर विक्रम सिंह, श्री बहोरन लाल मौर्य, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री नरेश सैनी, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मसूद अखतर, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री नफीस अहमद, श्री सुशील कुमार शाक्य, श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री जटा शंकर त्रिपाठी, श्री उमा शंकर सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री आजाद अरिर्मदन, श्री संजय गर्ग, श्री रितेश पाण्डेय और श्री संगम लाल गुप्ता।

**श्री अध्यक्ष-**

हम सामान्यतः नियम-301 की 15 सूचनायें लेते थे किन्तु आज हमने 20 सूचनायें स्वीकार की हैं।

## जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क से फतेहगंज पश्चिमी हाई-वे मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**डा0 डी0सी0 वर्मा-**

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 119-मीरगंज जनपद बरेली के अन्तर्गत बनने वाले टेक्सटाइल पार्क से फतेहगंज पश्चिमी हाई-वे तक (लगभग 4 कि0मी0) रोड चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है, जिससे बनने वाले टेस्ट्टाइल पार्क की बाधा दूर की जा सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद चित्रकूट की कतिपय निर्माणाधीन पुलियों के निर्माण के दौरान उखाड़े गये हैण्डपम्प को पुनः स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट के अन्तर्गत निर्माणाधीन बेड़ी पुलिया-सीतापुर, सीतापुर-शिवरामपुर सम्पर्क मार्ग, शिवरामपुर-खोही सम्पर्क मार्ग पर हैण्डपम्प लगे हुए थे, परन्तु सड़क चौड़ीकरण के दौरान दो वर्ष पूर्व हैण्डपम्पों को उखाड़ दिये गये है। जिनको अभी तक पुनः स्थापित नहीं किया गया है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से शिकायत की गयी, तो उन्होंने कहा कि हमने जल निगम को उक्त हैण्डपम्प रि-बोर हेतु बजट दे दिया है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम से कहा गया, तो उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग से उक्त हैण्डपम्प के रि-बोर हेतु कोई बजट नहीं प्राप्त हुआ। इन दोनों विभागों के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण जनता को कठिनाई एवं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

**जनपद सहारनपुर स्थित बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री देवेन्द्र कुमार निम-**

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल प्रा0लि0, गांगनौली, जनपद सहारनपुर पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। गन्ना किसानों द्वारा अपने गन्ने का भुगतान किये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है, परन्तु इस मिल द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे किसान आत्म हत्या करने को मजबूर हो रहे हैं जबकि सरकार द्वारा गन्ना का भुगतान सही समय पर कराने के निर्देश दिये गये है, परन्तु इस मिल के मनमानी रवैये से किसान परेशान और आन्दोलित है। यदि समय पर गन्ना का भुगतान नहीं कराया गया तो किसानों के उग्र रूप को देखते हुये कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। किसानों के गन्ने का भुगतान अविलम्ब कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र गन्ना भुगतान कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

**जनपद आगरा महानगर के अन्तर्गत सिकन्दरा की श्री राधाकृष्ण धाम स्थित जर्जर सड़कों व नालियों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री जगन प्रसाद गर्ग-**

[मान्यवर, आगरा महानगर सिकन्दरा के श्री राधाकृष्ण धाम कालोनी की सड़क व नाले जर्जर हैं। जिससे यहां के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यहां की जनता में भारी रोष है। जनहित में इस सड़क व नाली का बनाना अति आवश्यक है।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अवलम्बनीय विषय पर सिकन्दरा के श्री राधाकृष्ण धाम कालोनी की जर्जर सड़क व नाली का निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

**जनपद जौनपुर की ग्राम सभा वेलावां में पेयजल की समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रमेश चन्द्र मिश्र-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर के ग्राम सभा वेलावां विकास खण्ड-बक्शा की आबादी लगभग 6000 के करीब है। उक्त गांव गोमती नदी के किनारे स्थित है तथा यहां की भूमि काफी ऊंची-नीची है तथा पीने का पानी पूर्णतः खारा है। इण्डिया मार्का हैण्डपम्प में भी पानी खारा आता है। जिससे ग्रामसभा में पेयजल की समस्या रहती है। जनहित में उक्त समस्या का समाधान आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त ग्राम में राज्य पेयजल योजना के द्वारा पानी की टंकी लगाये जाने हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

**जनपद बरेली के कतिपय स्थानों पर पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डॉ0 श्याम बिहारी लाल-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के निम्नलिखित स्थानों पर पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

1-नगर पालिका परिषद फरीदपुर में रोड के उत्तरी तरफ।

2-नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी।

(पुरानी पेयजल व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है)

3-ग्राम पंचायत भुता।

4-ग्राम पंचायत रजऊ।

5-ग्राम पंचायत मगरासा।

6-ग्राम पंचायत रधौली कला।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थानों पर पेयजल हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अगयश रामसरन वर्मा-**

[मान्यवर, दिनांक मई, 2018 को पत्र सं0-100/प0सं0-14 शिक्षा/2018, दिनांक 28 अगस्त, 2018 को पत्रांक-60/प0सं0-14 शिक्षा/2018 एवं दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 को पत्रांक-212/प0सं0-14 शिक्षा/2018 के द्वारा पत्राचार करते हुए विशेष आग्रह किया गया कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130 बीसलपुर के अन्तर्गत दियोरिया कला एवं ईटगांव परिक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा से वंचित है। राजस्व गांव ईटगांव में तो महिला छात्रावास भी बना हुआ है लेकिन माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण छात्रावास सफेद हाथी बना धूल चाट रहा है। इस प्रकार एक माध्यमिक विद्यालय राजस्व गांव ईटगांव हेतु तथा दियोरिया कला परिक्षेत्र में भी एक माध्यमिक विद्यालय व उच्च शिक्षा की दृष्टि से एक महाविद्यालय अधिष्ठापित किया जाये। आंशिक स्वीकृति कर आश्वासन दिया भी जा चुका है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये उपरोक्त शिक्षण संस्थाओं की अधिष्ठापना हेतु कार्रवाई भी की जाये।]

## जनपद बुलन्दशहर के कतिपय क्षेत्रों में लगने वाले जाम एवं उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिकन्द्राबाद नगर, जनपद बुलन्दशहर में नोएडा की तरफ से आकर दिल्ली व बुलन्दशहर की तरफ जाने वाले तथा गाजियाबाद की तरफ से आकर नोएडा व ककोड की तरफ जाने वाले वाहनों के कारण नगर के मुख्य मार्ग पर अकसर जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे भारी प्रदूषण के अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थों की भी बर्बादी होती है। उक्त ट्रैफिक जाम से मुक्ति पाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद के पास स्थित ग्राम रजपुरा से निजामपुर होकर सिकन्द्राबाद ककोड मार्ग तक के सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

## जनपद अलीगढ़ स्थित क्षतिग्रस्त सपेरा भानपुर मार्ग की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री दलवीर सिंह-**

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ में तालानगरी से सपेरा भानपुर मार्ग का लगभग 600 मीटर मार्ग अति क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग की मरम्मत के लिए समय-समय पर मांग की जाती रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग की वर्षा पूर्व मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद अम्बेडकरनगर के एन0टी0पी0सी0 टाण्डा में विस्तारीकरण के अन्तर्गत कतिपय ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री लाल जी वर्मा-**

[मान्यवर, जिला-अम्बेडकरनगर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 टाण्डा, अम्बेडकरनगर विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम सलाहपुर रज्जौर, हासिमापुर, हुसैनपुर सुधाना ग्राम की आबादी को हटाया जा रहा है, परन्तु उक्त ग्रामवासियों को कहीं अन्यत्र बसाया नहीं जा रहा है। जिसके कारण उक्त ग्राम वासियों को सड़क पर टेन्ट में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उक्त ग्राम वासियों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त ग्राम वासियों को आवास हेतु भूमि आवंटन किये जाने की मांग करता हूं।]

## जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री रोशन लाल वर्मा-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनहित में कच्चे जर्जर एवं गड्ढा युक्त मार्गों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में मार्ग निम्नवत् है :-

1-ग्राम वगडेर से कलन्दरगंज तक डामरीकरण ल0 लगभग 1 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

2-ग्राम कुइंया कीरतपुर से कलन्दरगंज तक डामरीकरण ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

3-ग्राम खिरिया पाठक चौराहे से वगडेर तक डामरीकरण ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

4-पुवायां शाहजहांपुर रोड पर बड़ागांव से बीरमपुर तक डामरीकरण ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड पुवायां।

5-ग्राम सकुलिया से जमालपुर तक डामरीकरण ल0 लगभग 1 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

6-ग्राम पिपरियादास से नहर पटरी पर जलालाबाद तक डामरीकरण ल0 लगभग 1 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

7-ग्राम जलालाबाद से बबौरी तक डामरीकरण ल0 लगभग 1.5 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

8-ग्राम कंजा से पिपरिया प्रहलाद तक डामरीकरण ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-ग्राम रहदेवा से कुइंया तक डामरीकरण ल0 लगभग 2.5 कि0मी0, विकास खण्ड सिंधौली।

10-ग्राम वीरमपुर से इस्माइलपुर नवादा तक डामरीकरण ल0 लगभग 2 कि0मी0, विकास खण्ड तिलहर।

11-ग्राम बाजपुर कुमिरखा से सैजना तक डामरीकरण ल0 लगभग 3 कि0मी0, विकास खण्ड खुदागंज।

उपरोक्त मार्गों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। जनहित में उपरोक्त मार्गों का बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।]

**जनपद लखनऊ में लक्ष्मण टीला-हरदोई के बन्धा मार्ग के अवशेष हिस्से के निर्माण में आ रहे गतिरोध को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डा0 नीरज बोरा-**

[मान्यवर, लखनऊ जनपद में बाढ़ से रक्षा तथा सुगम यातायात की दृष्टि से लक्ष्मण टीला-हरदोई बाइपास तटबन्ध व सम्पर्क मार्ग निर्मित है। तटबन्ध मार्ग के बीच में थोड़े हिस्से का निर्माण छूट गया है। इस हिस्से में झुग्गी-झोपड़ियां हैं। कैटिल कालोनी जैसी स्थिति है। तटबन्ध निर्माण के समय इस हिस्से को छोड़ दिया गया था फलतः मार्ग निर्माण पूरा नहीं हो पाया। मार्ग अधूरा होने से इसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा चौक से हरदोई रोड पर वाहनों की लम्बी कतार से प्रायः जाम लगा रहता है। सुगम यातायात की दृष्टि से उक्त मार्ग के अवशेष हिस्से का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। झुग्गी-झोपड़ियों के लोगों को कहीं अन्यत्र विस्थापित कराकर इस कार्य को निर्बाध पूर्ण कराया जा सकता है।

अतः व्यापक लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लखनऊ जनपद में लक्ष्मण टीले से हरदोई बाईपास बंधा मार्ग के अवशेष हिस्से के निर्माण में आ रहे गतिरोध को दूर कराकर अधूरे तटबन्ध व सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग करता हूं।]

**जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्रीमती जयदेवी-**

[मान्यवर, महोदय सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद का विकास खण्ड, माल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, क्योंकि यहां पर कोई राजकीय विद्यालय नहीं है। विज्ञान और वाणिज्य के छात्र और छात्राओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। विकास खण्ड में

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण इन छात्र तथा छात्राओं को विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा से वंचित होकर कला के विषय को मजबूरी में लेना पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में उनको शहर आने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गरीब, पिछ़ड़े, दलित, मजदूर किसान के लड़के, लड़की आर्थिक विपन्नता के कारण अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। शिक्षा का खर्च उठा पाने में अक्षम माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य अन्धकार में देखते हैं क्षेत्र में जिसके कारण निराशाजनक स्थिति उत्पन्न है। माल क्षेत्र में लड़के और लड़कियों का भविष्य बेहतर हो, विज्ञान और वाणिज्य की शिक्षा मिले इसलिए सदन के माध्यम से माननीय से अनुरोध करना है कि विकास खण्ड, माल में एक राजकीय विद्यालय विज्ञान वाणिज्य और कला वर्ग के साथ बनवाने का कष्ट करें।]

**जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मेघाखेड़ी से गांव बागोवाली के मध्य रजवाहे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री प्रमोद उटवाल-**

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत गांव मेघाखेड़ी से गांव बागोवाली की ओर रजवाहे के पटरी का निर्माण अति आवश्यक है। उक्त पटरी के रास्ते से अनेकों गांव जुड़ते हैं जिससे क्षेत्र के किसानों को पटरी के निर्माण के पश्चात् अधिक लाभ मिलेगा। उक्त पटरी का निर्माण न होने के कारण क्षेत्र के किसानों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और किसानों को 10-12 कि0मी0 घूम कर जाना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

**जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रामचन्द्र यादव-**

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों की सं0-1638 है। सभी पीड़ित परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पीड़ित परिवारों के पास रहने के लिए मकान न होने के कारण सभी लोग तिरपाल तान कर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी एवं जिलाधिकारी, अयोध्या को इस समस्या के समाधान हेतु मुख्य मंत्री आवास/प्रधान मंत्री आवास की मांग की गयी है, परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। सभी अग्निकाण्ड एवं अतिवृष्टि से गिरे मकानों के प्रभावित परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में जंगली जानवर एवं आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

[मान्यवर, हमारे जनपद-महाराजगंज में हमारी विधान सभा क्षेत्र-नौतनवां चारों तरफ से जंगलों से आच्छादित है। हमारे यहां का किसान परेशान है, आवारा पशुओं से जंगली जानवरों से। आज अगर जंगली जानवर और आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था न की गयी तो हमारे यहां पैदावार बुरी तरह से प्रभावित होगी। रात भर किसान जागने के लिए मजबूर है। अपने खेतों और खलिहान के लिए रातभर लुक्का, डंडा लाठी लेकर खेतों की रखवाली करते हैं। मान्यवर आवारा पशुओं पर एक प्रभावी नियम और एक प्रभावी तौर तरीका बनाया जाये। जिससे हमारे क्षेत्र की स्थिति सुधर सके।]

## जनपद अमरोहा के खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री राजीव तरारा-**

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा के खादर क्षेत्र में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण खादर क्षेत्र के गरीब एवं निर्बल तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रही हैं। काफी समय से इस खादर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्र की जनता में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अवलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

## जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ को जोड़ने वाले कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद मथुर एवं जनपद अलीगढ़ को जोड़ने वाले मार्गों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्तमान में लगभग 25 लाख की आबादी वाला जनपद मथुरा अपने धार्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है एवं अलीगढ़ प्रदेश की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने मथुरा आते हैं जिसमें से अधिकांश विदेशी पर्यटक होते हैं जो मथुरा के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हैं। मान्यवर, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या एवं उद्योगों की उसी अनुरूप बढ़ोत्तरी के कारण जनपद मथुरा, अलीगढ़ की सड़कों पर दबाव भी अत्यधिक बढ़ रहा है। विगत सरकार में भी जनपद की सड़कों की उपेक्षा के फलस्वरूप वर्तमान समय में जनपद मथुरा की सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। जहां एक ओर जनपद मथुरा का पौराणिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्व है वहीं दूसरी ओर सरकार की गड्ढामुक्त सड़कों के घोषणा के बाद भी सड़कों की दयनीय स्थिति है जिसकी वजह से विदेशी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा होती है तथा विदेशियों के सामने देश के पिछड़े होने का सन्देश जाता है।

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा आने वाले देशी/विदेशी सैलानी, श्रद्धालुओं को सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण आवागमन में असुविधा होती है। भारत वर्ष की विकसित तस्वीर समग्र विश्व में फैले, इस आशय के साथ सदन के माध्यम से जनहित में जनपद मथुरा के निम्नलिखित सड़कों के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण कराना आवश्यक है।

1-गौमत चौराहा से बाजना, नौहझील, टेटीगांव, मांट रोड तक सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना,

2-मीरपुर-मथुरा, खैर-अलीगढ़ अन्तर्जनपदीय सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत/चौड़ीकरण कराया जाना,

3-राया से नीम गांव तक चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण/मरम्मत कराया जाना,

4-शेरगढ़ से कांच रोड तथा बहेता से छटीकरा तक सड़क का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/मरम्मत कराया जाना,

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से उक्त मार्गों के पुनर्निर्माण/मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

**जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज को नगर पालिका/परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री सुखदेव राजभर-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज की तहसील मार्टिनगंज है। जहां पर विकास खण्ड भी मार्टिनगंज के नाम है तथा पुलिस चौकी भी है। इस तहसील मुख्यालय के पास कई महाविद्यालय एवं परिषदीय विद्यालय तथा अन्य तमाम छोटे बड़े विद्यालय हैं। यह मार्टिनगंज आजादी के लम्बे अर्से गुजर जाने के बाद भी विकसित नहीं हो पाया है तथा पूरे दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में एक भी नगर पालिका नहीं है। क्षेत्र की जनता की मांग है कि तहसील मुख्यालय मार्टिनगंज को नगर पालिका/परिषद् बनाया जाय। इस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन भी जनता ने किया तथा जन आक्रोश बढ़ रहा है। किसी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करते हुए तहसील मुख्यालय तथा मार्टिनगंज, आजमगढ़ को नगर पालिका/परिषद् बनाने की मांग करता हूं।]

**जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई में नीम नदी के क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

**डा0 अनीता लोधी राजपूत-**

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर के डिबाई विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नगला भूड़ माजरा, डिबाई देहात, विकास खण्ड दानपुर, तहसील डिबाई के मुख्य मार्ग के मध्य बने नीम नदी का पुल अति क्षतिग्रस्त है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं और आम रास्ता भी बन्द हो

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया है। जिस कारण स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ग्राम नगला भूड़ माजरा के नीम नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

**श्री अध्यक्ष-**

हम खड़े होकर अन्तिम रूप से आपसे सादर अनुरोध कर रहे हैं कि वेल से आप लोग अपने-अपने आसन पे चलें।

(वेल में उपस्थित सदस्यों के अपने आसन पर वापस ना जाने पर)

आप लोग नहीं जा रहे, आपका यहीं काम करने का मन है, तो अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

**प्रदीप कुमार दुबे,**

**प्रमुख सचिव, विधान सभा,**

**उत्तर प्रदेश।**

## नत्थी (क)

(देखिये अता0प्र0सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-17 पर)

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत टैप किए गए व किए जा रहे गंगा में गिरने वाले नालों की सूची

| क्र0 | नगर का नाम | नालों का नाम | नदी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | गढ़मुक्तेश्वर | गढ़ नाला | गंगा |
| 2. | अनूपशहर | अनूपशहर एस0टी0पी0 नाला-1 | गंगा |
| 3. | अनूपशहर | अनूपशहर एस0टी0पी0 नाला-2 | गंगा |
| 4. | फतेहगढ़ | हाथीखाना नाला | गंगा |
| 5. | फतेहगढ़ | कैण्ट नाला | गंगा |
| 6. | कानपुर | परमिया नाला | गंगा |
| 7. | कानपुर | रानीघाट नाला | गंगा |
| 8. | कानपुर | सीसामऊ नाला | गंगा |
| 9. | कानपुर | टैफको नाला | गंगा |
| 10. | कानपुर | परमथ नाला | गंगा |
| 11. | कानपुर | मुंगेर नाला | गंगा |
| 12. | कानपुर | पुलिस लाइन नाला | गंगा |
| 13. | कानपुर | जेल नाला | गंगा |
| 14. | कानपुर | भगवतदाश (गुप्तारघाट) | गंगा |
| 15. | कानपुर | डबका नाला | गंगा |
| 16. | कानपुर | सितला बाजार (बंगालीघाट) | गंगा |
| 17. | कानपुर | बुढिया घाट नाला | गंगा |
| 18. | कानपुर | वाजिदपुर नाला | गंगा |
| 19. | इलाहाबाद | मोरीगेट नाला सहित गमफोर्टगंज नाला | गंगा |
| 20. | इलाहाबाद | दारागंज एरिया नाला | गंगा |
| 21. | इलाहाबाद | जोंधावल नाला | गंगा |
| 22. | इलाहाबाद | शंकरघाट पक्का नाला | गंगा |
| 23. | इलाहाबाद | रसूलाबाद नाला-1 | गंगा |
| 24. | इलाहाबाद | ए0डी0ए0 कालोनी नाला | गंगा |
| 25. | इलाहाबाद | जोंधवाल रसूलाबाद नाला (मुरदाघाट) | गंगा |

| क्र0 | नगर का नाम | नालों का नाम | नदी का नाम |
|---|---|---|---|
| 26. | इलाहाबाद | शंकरघाट कालोनी नाला | गंगा |
| 27. | इलाहाबाद | जोंधवाल घाट नाला-2 | गंगा |
| 28. | इलाहाबाद | राजापुर नाला | गंगा |
| 29. | इलाहाबाद | टी0वी0 टावर नाला | गंगा |
| 30. | इलाहाबाद | सदर बाजार नाला | गंगा |
| 31. | इलाहाबाद | ऊंचावधरी नाला नं0-1 | गंगा |
| 32. | इलाहाबाद | ऊंचावधरी नाला नं0-2 | गंगा |
| 33. | इलाहाबाद | बीलीगांव नाला | गंगा |
| 34. | इलाहाबाद | मम्फोर्डगंज नाला | गंगा |
| 35. | इलाहाबाद | मयुराबाद (गनेश नगर) नाला | गंगा |
| 36. | इलाहाबाद | नयापुरवा नाला | गंगा |
| 37. | इलाहाबाद | महेदऊरी गांव नाला | गंगा |
| 38. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-1 | गंगा |
| 39. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-2 | गंगा |
| 40. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-3 | गंगा |
| 41. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-4 | गंगा |
| 42. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-5 | गंगा |
| 43. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-6 | गंगा |
| 44. | इलाहाबाद | शिवकुटी नाला नं0-7 | गंगा |
| 45. | इलाहाबाद | चिल्ला नाला | गंगा |
| 46. | इलाहाबाद | गोविन्द कालोनी नाला | गंगा |
| 47. | इलाहाबाद | गोविन्द कालोनी नाला-1 | गंगा |
| 48. | इलाहाबाद | गोविन्द कालोनी नाला-2 | गंगा |
| 49. | इलाहाबाद | गोविन्द कालोनी नाला-3 | गंगा |
| 50. | इलाहाबाद | गोविन्द कालोनी नाला-4 | गंगा |
| 51. | इलाहाबाद | एलेनगंज नाला/बक्शी बांध नाला | गंगा |
| 52. | इलाहाबाद | सलोरी नाला | गंगा |
| 53. | इलाहाबाद | पोंघट नाला | गंगा |

| क्र0 | नगर का नाम | नालों का नाम | नदी का नाम |
|---|---|---|---|
| 54. | इलाहाबाद | कोडरा नाला | गंगा |
| 55. | इलाहाबाद | नेहरु पार्क नाला | गंगा |
| 56. | मिर्जापुर | कचेहरी नाला | गंगा |
| 57. | मिर्जापुर | ओलियार | गंगा |
| 58. | मिर्जापुर | सुंदर | गंगा |
| 59. | मिर्जापुर | बदाली | गंगा |
| 60. | मिर्जापुर | नरघट | गंगा |
| 61. | मिर्जापुर | खंदवा | गंगा |
| 62. | मिर्जापुर | दिवानघाट पुराना नाला | गंगा |
| 63. | मिर्जापुर | बालूघाट पक्का नाला | गंगा |
| 64. | मिर्जापुर | परशुराम नाला | गंगा |
| 65. | मिर्जापुर | गुदार नाला | गंगा |
| 66. | वाराणसी | शिवाला नाला | गंगा |
| 67. | वाराणसी | हरिशचन्द्र घाट नाला | गंगा |
| 68. | वाराणसी | मानसरोवर घाट नाला | गंगा |
| 69. | वाराणसी | पाण्डेयघाट नाला | गंगा |
| 70. | वाराणसी | डा0 आर0पी0 घाट नाला | गंगा |
| 71. | वाराणसी | मीराघाट नाला | गंगा |
| 72. | वाराणसी | ललीताघाट नाला | गंगा |
| 73. | वाराणसी | जलेशनघाट | गंगा |
| 74. | वाराणसी | मणिकर्णिका घाट | गंगा |
| 75. | वाराणसी | संकठाघाट नाला | गंगा |
| 76. | वाराणसी | मेहताघाट नाला | गंगा |
| 77. | वाराणसी | रामघाट नाला | गंगा |
| 78. | वाराणसी | पंचगंगाघाट नाला | गंगा |
| 79. | वाराणसी | ब्रहमघाट नाला | गंगा |
| 80. | वाराणसी | लालघाट नाला | गंगा |
| 81. | वाराणसी | त्रिलोचनघाट नाला | गंगा |

| क्र0 | नगर का नाम | नालों का नाम | | नदी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 82. | वाराणसी | तेलिया नाला | | गंगा |
| 83. | वाराणसी | भैंसासुर नाला | | गंगा |
| 84. | वाराणसी | राजघाट नाला | | गंगा |
| | SUB TOTAL | | | |

मुख्य अभियन्ता (गंगा)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 के 1ले बुधवार हेतु निर्धारित श्री उज्जवल रमण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर का संलग्नक-II

**एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनायें**

| क्र0 सं0 | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | सीवरेज एण्ड नान सीवरेज योजना, इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट-बी0ई0 |
| 2 | सीवरेज एण्ड नान सीवरेज योजना, इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट-ए |
| 3 | सीवरेज योजना, डिस्ट्रिक्ट-ई, इलाहाबाद |
| 4 | 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 सलोरी, इलाहाबाद |
| 5 | सीवरेज नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट-ई, इलाहाबाद (अति0 कार्य) |
| 6 | सीवरेज योजना, कन्नौज |
| 7 | सीवरेज योजना, नरोरा, बुलन्दशहर |
| 8 | सीवरेज योजना, गढ़मुक्तेश्वर |
| 9 | सीवरेज योजन, डिस्ट्रिक्ट-सी, इलाहाबाद |
| 10 | सीवरेज अपग्रेडेशन का कार्य, अनूपशहर, बुलन्दशहर |
| 11 | जायका सहायतित सीवरेज योजना, वाराणसी |
| 12 | सीवरेज योजना, डिस्ट्रिक्ट-ए, इलाहाबाद |
| 13 | इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन नाला, सीसामऊ, कानपुर |
| 14 | सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट-बी, इलाहाबाद |
| 15 | सीवरेज योजना सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1, कानपुर |
| 16 | रमना वाराणसी में 50 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 का निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य |
| 17 | बिठूर नगर कानपुर में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 18 | शुक्लागंज, उन्नाव में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 19 | उन्नाव नगर में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 20 | कानपुर नगर में निर्मित एस0टी0पी0 के पुनरोद्धार, पनखा में आई0 एण्ड डी0 एस0 टी0 पी0 का निर्माण तथा 15 वर्षों का रख-रखाव |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 21 | नैनी, फामामऊ एवं झूंसी क्षेत्र इलाहाबाद में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 22 | इलाहाबाद नगर के निर्मित एस0टी0पी0 के पुनरोद्धार एवं 15 वर्ष का रखरखाव |
| 23 | रामनगर, वाराणसी में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 24 | फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 25 | गाजीपुर में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 26 | मिर्जापुर में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |
| 27 | चुनार नगर, जनपद मिर्जापुर में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 के कार्य |

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 के 1ले बुधवार हेतु निर्धारित श्री उज्जवल रमण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर का संलग्नक-III

**15 दिसम्बर, 2018 से शोधन किए जाने वाले नालों की सूची**

| क्र0-सं0 | शहर का नाम | नाले का नाम | नदी का नाम | अनुमानित डिस्चार्ज (एम0एल0डी0) | तकनीकी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नजीबाबाद | छोइया नाला | गंगा | 4.65 | बायो-रेमेडिएशन |
| 2. | फर्रुखाबाद | धीमारपुर नाला | गंगा | 1 | बायो-रेमेडिएशन |
| 3. | फतेहगढ़ | बरगदिया घाट नाला | गंगा | 1.31 | बायो-रेमेडिएशन |
| 4. | कानपुर | गोला घाट नाला | गंगा | 1.44 | बायो-रेमेडिएशन |
| 5. | कानपुर | सत्ती चौरा | गंगा | 2 | बायो-रेमेडिएशन |
| 6. | बिठूर | सात छोटा नाला | गंगा | 2.5 | बायो-रेमेडिएशन |
| 7. | उन्नाव | सिटी जेल नाला (डक्करी) | गंगा | 9.33 | बायो-रेमेडिएशन |
| 8. | गंगाघाट | गंगा विश्नु नाला | गंगा | 2 | बायो-रेमेडिएशन |
| 9. | | इन्दिरा नगर नाला | गंगा | 2 | बायो-रेमेडिएशन |
| 10. | | पडवा नाला मुरीबाग-शंकरनगर | गंगा | 1.203 | बायो-रेमेडिएशन |
| 11. | | बड़ा मठ व छोटा मठ के बीच नाला | गंगा | 0.051 | बायो-रेमेडिएशन |
| 12. | | बुस्ड़ा घाट का नाला (शेरनदाजपुर) | गंगा | 0.153 | बायो-रेमेडिएशन |
| 13. | | शुक्ला घाट का नाला (शेरनदाजपुर) | गंगा | 0.048 | बायो-रेमेडिएशन |
| 14. | | पत्थवरी घाट का नाला (टिकैतगंज) | गंगा | 0.234 | बायो-रेमेडिएशन |
| 15. | | सोरख घाट मुरुप नाला (टिकैतगंज) | गंगा | 0.231 | बायो-रेमेडिएशन |
| 16. | | मुस्तकपाल नाला | गंगा | 0.025 | बायो-रेमेडिएशन |
| 17. | | शिवाला घाट नाला | गंगा | 0.026 | बायो-रेमेडिएशन |
| 18. | | राजा तिलोई घाट नाला (गरोरा घाट) | गंगा | 0.148 | बायो-रेमेडिएशन |
| 19. | कुण्डा | दुआर नाला | गंगा | 1.10 | बायो-रेमेडिएशन |

| क्र0-सं0 | शहर का नाम | नाले का नाम | नदी का नाम | अनुमानित डिस्चार्ज (एम0एल0डी0) | तकनीकी |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | मानिकपुर | प्राथमिक विद्यालय | गंगा | 0.086 | बायो-रेमेडिएशन |
| 21. | | मल्लहन टोला | गंगा | 0.086 | बायो-रेमेडिएशन |
| 22. | प्रयागराज | बलुआ घाट जेसीसी बैंक साईड | गंगा | 0.27 | बायो-रेमेडिएशन |
| 23. | | बसना नाला | गंगा | 2.55 | बायो-रेमेडिएशन |
| 24. | | अरैल रोड ब्रिज नाला | गंगा | | माडयूलर |
| 25. | झूंसी | लोटे हरन नाला | गंगा | 4.45 | माडयूलर |
| 26. | | शास्त्री ब्रिज नाला (12 छोटे नाला-मनसहीताग | गंगा | 6.10 | बायो-रेमेडिएशन |
| 27. | | ओल्ड जीटी रोड नाला | गंगा | 3 | नैचुरल एट्नेशन बेस्ड शोधन तकनीक |
| 28. | | सावित्री नगर बाजार (नई झूंसी) | गंगा | 3.5 | |
| 29. | | सावित्री नगर (नई झूंसी) | गंगा | 3 | |
| 30. | | क्रिया योग आश्रम | गंगा | 2.5 | |
| 31. | | प्राइमरी स्कूल-उल्टा किला नाला | गंगा | 2 | |
| 32. | | लकड़िया नाला | गंगा | 4.5 | |
| 33. | | नेहरु पार्क नाला | गंगा | 2.65 | बायो-रेमेडिएशन |
| 34. | मिर्जापुर | बिशुनदरपुर नाला | गंगा | 1.580 | बायो-रेमेडिएशन |
| 35. | | हनुमान घाटनाला | गंगा | 0.680 | बायो-रेमेडिएशन |
| 36. | | पब्लिक क्लब नाला | गंगा | 0.600 | बायो-रेमेडिएशन |
| 37. | | वरहमिलिह नाला | गंगा | 0.390 | बायो-रेमेडिएशन |
| 38. | | डिसटिक्ट जज नाला | गंगा | 0.400 | बायो-रेमेडिएशन |
| 39. | | लिफ्ट कैनाल नाला | गंगा | 0.400 | बायो-रेमेडिएशन |
| 40. | | सिंचाई कालोनी नाला | गंगा | 0.030 | बायो-रेमेडिएशन |

| क्र0-सं0 | शहर का नाम | नाले का नाम | नदी का नाम | अनुमानित डिस्चार्ज (एम0एल0डी0) | तकनीकी |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | | मोरचाघर नाला | गंगा | 1.640 | बायो-रेमेडिएशन |
| 42. | | गोरेशहीद नाला | गंगा | 49.300 | बायो-रेमेडिएशन |
| 43. | | कोनिया | गंगा | 0.020 | बायो-रेमेडिएशन |
| 44. | | बालाजी मन्दिर | गंगा | 2.200 | बायो-रेमेडिएशन |
| 45. | | चोरवा | गंगा | 0.250 | बायो-रेमेडिएशन |
| 46. | | बस्बरिया नाला | गंगा | 1.130 | बायो-रेमेडिएशन |
| 47. | | दीवान घाट नया नाला | गंगा | 0.020 | बायो-रेमेडिएशन |
| 48. | | बलुआ घाट कच्चा नाला | गंगा | 0.010 | बायो-रेमेडिएशन |
| 49. | | मलहैया नाला | गंगा | 0.270 | बायो-रेमेडिएशन |
| 50. | | पतेगंरा (मानसरोवर नाला) | गंगा | 0.740 | बायो-रेमेडिएशन |
| 51. | चुनार | दरगाहशरीफ नाला | गंगा | 0.319 | बायो-रेमेडिएशन |
| 52. | | भैरमगंज पूर्वी नाला | गंगा | 0.081 | बायो-रेमेडिएशन |
| 53. | | भैरमगंज पश्चिमी नाला | गंगा | 0.062 | बायो-रेमेडिएशन |
| 54. | | टेकुर बस्ती उत्तरी | गंगा | 0.099 | बायो-रेमेडिएशन |
| 55. | | टेकुर बस्ती दक्षिणी | गंगा | 0.098 | बायो-रेमेडिएशन |
| 56. | | संतोसी माता मन्दिर नाला | गंगा | 0.125 | बायो-रेमेडिएशन |
| 57. | | पोस्ट आफिस दक्षिणी नाला | गंगा | 0.393 | बायो-रेमेडिएशन |
| 58. | | पोस्ट आफिस उत्तरी नाला | गंगा | 0.335 | बायो-रेमेडिएशन |
| 59. | | गंगेश्वर निशाद पार्क नाला | गंगा | 0.088 | बायो-रेमेडिएशन |
| 60. | | बलुआ घाट नाला | गंगा | 0.085 | बायो-रेमेडिएशन |
| 61. | | बलबीर घाटनाला | गंगा | 0.042 | बायो-रेमेडिएशन |
| 62. | | चौरा माता नाला | गंगा | 0.125 | बायो-रेमेडिएशन |

| क्र0-सं0 | शहर का नाम | नाले का नाम | नदी का नाम | अनुमानित डिस्चार्ज (एम0एल0डी0) | तकनीकी |
|---|---|---|---|---|---|
| 63. | रामनगर | रामबाग घाट नाला | गंगा | 8.20 | बायो-रेमेडिएशन |
| 64. | | बलुआ घाट नाला | गंगा | 0.13 | बायो-रेमेडिएशन |
| 65. | | शक्ति घाट नाला | गंगा | 0.40 | बायो-रेमेडिएशन |
| 66. | | सलोतरी घाट नाला | गंगा | 0.34 | बायो-रेमेडिएशन |
| 67. | | हनुमान घाट नाला | गंगा | 0.09 | बायो-रेमेडिएशन |
| 68. | वाराणसी | नक्खी नाला | गंगा | 1.860 | बायो-रेमेडिएशन |
| 69. | | सामनेघाट नाला | गंगा | 1.170 | बायो-रेमेडिएशन |
| 70. | | अस्सी नाला | गंगा | 147.000 | बायो-रेमेडिएशन |
| 71. | मुगलसराय | रेलवे नाला | गंगा | 9.00 | बायो-रेमेडिएशन |
| 72. | | गन्दा नाला | गंगा | 3.00 | बायो-रेमेडिएशन |
| 73. | गाजीपुर | हरीजन बस्ती | गंगा | 0.020 | बायो-रेमेडिएशन |
| 74. | | शमशान घाट | गंगा | 0.103 | बायो-रेमेडिएशन |
| 75. | | रुई मण्डी | गंगा | 0.018 | बायो-रेमेडिएशन |
| 76. | | बुधावा महादेवा | गंगा | 0.049 | बायो-रेमेडिएशन |
| 77. | | मुगलपुरा | गंगा | 0.027 | बायो-रेमेडिएशन |
| 78. | | पोस्ता घाट | गंगा | 0.027 | बायो-रेमेडिएशन |
| 79. | | खिड़की घाट | गंगा | 0.025 | बायो-रेमेडिएशन |
| 80. | | थेरी बाजार | गंगा | 0.025 | बायो-रेमेडिएशन |
| 81. | | आइपी घाट | गंगा | 3.910 | बायो-रेमेडिएशन |
| 82. | | चेतनत घाट | गंगा | 0.686 | बायो-रेमेडिएशन |
| 83. | | सतीमर घाट | गंगा | 3.241 | बायो-रेमेडिएशन |
| 84. | | गोला घाट | गंगा | 0.102 | बायो-रेमेडिएशन |
| 85. | | मकसूद घाट | गंगा | 0.018 | बायो-रेमेडिएशन |
| 86. | | क्लैक्टर घाट | गंगा | 3.141 | बायो-रेमेडिएशन |
| 87. | | दादरी घाट | गंगा | 3.233 | बायो-रेमेडिएशन |
| 88. | | साईं मन्दिर | गंगा | 3.119 | बायो-रेमेडिएशन |

| क्र0-सं0 | शहर का नाम | नाले का नाम | नदी का नाम | अनुमानित डिस्चार्ज (एम0एल0डी0) | तकनीकी |
|---|---|---|---|---|---|
| 89. | | नउपुरा | गंगा | 0.018 | बायो-रेमेडिएशन |
| 90. | | अफीम फैक्ट्री कालोनी | गंगा | 0.018 | बायो-रेमेडिएशन |
| 91. | | महला बस्ती (सिकन्दरपुर) | गंगा | 0.020 | बायो-रेमेडिएशन |
| 92. | | डी0एम0 बंगला | गंगा | 3.141 | बायो-रेमेडिएशन |
| 93. | | पीर नगर | गंगा | 0.027 | बायो-रेमेडिएशन |
| 94. | | बड़ा महादेव (गौरा बाजार) | गंगा | 3.910 | बायो-रेमेडिएशन |
| 95. | | बड़ा महादेव (आदर्श बाजार) | गंगा | 1.270 | बायो-रेमेडिएशन |
| 96. | सैदपुर | जौहरगंज नाला | गंगा | 0.80 | बायो-रेमेडिएशन |
| 97. | | रंगमहल घाट नाला | गंगा | 0.20 | बायो-रेमेडिएशन |
| 98. | | वार्ड नं0-15 मलहिया बस्ती नाला | गंगा | 1.00 | बायो-रेमेडिएशन |
| 99. | | महावीर घाट नाला | गंगा | 0.60 | बायो-रेमेडिएशन |
| 100. | | संगत घाट नाला | गंगा | 0.50 | बायो-रेमेडिएशन |
| 101. | | पक्वा घाट नाला | गंगा | 0.50 | बायो-रेमेडिएशन |
| 102. | | बूड़ेनाथ महादेव घाट नाला | गंगा | 0.80 | बायो-रेमेडिएशन |
| 103. | | कोट घाट | गंगा | 0.90 | बायो-रेमेडिएशन |
| 104. | जमानियां | गोरावा नाला | गंगा | 0.60 | बायो-रेमेडिएशन |
| 105. | | कनकरवा नाला | गंगा | 1.01 | बायो-रेमेडिएशन |
| 106. | | करपूरीमई घाट नाला | गंगा | 2.80 | बायो-रेमेडिएशन |
| 107. | बलिया | कटहर नाला | गंगा | 19.6 | बायो-रेमेडिएशन |

**नत्थी (ख)**

(देखिये अता0प्र0सं0-37 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-35 पर)

**विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में वर्ष 2013-2018 तक करायी गयी नहरों की सिल्ट सफाई का विवरण :-**

| क्र0 सं0 | नहर का नाम | वित्तीय वर्ष 2013-14 | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 | वित्तीय वर्ष 2016-17 | वित्तीय वर्ष 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़** | | | | | |
| 1. 1 | प्रतापगढ़ राजबहा | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 2. 1 | जेठवारा राजबहा | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 3. | रंगौली राजबहा | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 4. | बाबूगंज राजबहा | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 5. | सगरा राजबहा | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- | -- | -- |
| 6. | विश्वनाथगंज राजबहा | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। |
| 7. | हीरागंज राजबहा | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 8. | मिश्रपुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 9. | जगदीशपुर माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 0. | चमरुपुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 1. | राजापुर माइनर | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- |
| 2. | धनीपुर माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 3. | लिलौली माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 4. | हरखपुर माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 5. | सुजहा माइनर | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- |
| 6. | चौबेपुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- | -- |
| 7. | गाजीपुर माइनर | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- |
| 8. | बेलखरी माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- | -- |
| 9. | अजीतपुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 0. | भदोही माइनर | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- |
| 1. | दौलतपुर माइनर | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 2. | उमरौरा माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- |

| क्र0 सं0 | नहर का नाम | वित्तीय वर्ष 2013-14 | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 | वित्तीय वर्ष 2016-17 | वित्तीय वर्ष 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | आशापुर माइनर | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 24. | पर्वतपुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- |
| 25. | सिरसा माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- | -- |
| 26. | नेवादा माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- |
| 27. | दुल्हीपुर माइनर | -- | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 28. | गजराही माइनर | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 29. | घूरीपुर माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 30. | सण्डवा माइनर | -- | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 31. | अमरौना माइनर | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 32. | पूरनपुर माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 33. | अजगरा माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- |
| 34. | हरिहरपुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 35. | घरौरा माइनर | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | -- |
| 36. | मोहनगंज माइनर | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- |
| 37. | डाडी माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 38. | परसुपुर माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 39. | पतुलकी माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 40. | गुलाबराय माइनर | -- | -- | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| 41. | पहाड़पुर माइनर | -- | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | -- |
| | **सिंचाई खण्ड, प्रयागराज** | | | | | |
| 42. | देवेनी माइनर | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |
| 43. | मझगवां माइनर | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | खालिसपुर माइनर | सफाई हुयी है। | -- | सफाई हुयी है। | -- | -- |
| 45. | भगवानपुर माइनर | सफाई हुयी है। | -- | -- | -- | -- |
| 46. | कलानी माइनर | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। | सफाई हुयी है। |

## नत्थी (ग)

(देखिये अता0प्र0सं0 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-77 पर)

## सूची

गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत (लम्बाई कि0मी0 व लागत रु0 लाख में)

| क्रम | मार्ग का नाम | लम्बाई | स्वीकृत | प्राप्त | व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आवा दुगईया सम्पर्क मार्ग | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 2. | रामनगर सम्पर्क मार्ग | 0.200 | 0.120 | 0.120 | 0.120 |
| 3. | पुवायां नाहिल मार्ग से मरैना | 3.000 | 0.720 | 0.720 | 0.720 |
| 4. | उदियापुर कैनाल पटरी मार्ग | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5. | बण्डा खुटार किमी0-3 से सुनासरनाथ होते हुए पीलीभीत बस्ती मार्ग | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | बण्डा देवकली नवीची मार्ग | 5.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 7. | नवीची से नवीनगर मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 8. | बण्डा देवकली से बौठा जमालपुर मार्ग | 1.500 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
| 9. | बण्डा देवकली से खरगापुर मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 10. | बण्डा नवीची रोड से लक्ष्मनपुर गौटिया तक मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 11. | बलरामपुर से रायटांडा सम्पर्क मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 12. | डुडुआ पिपरिया सम्पर्क मार्ग | 2.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 13. | नरेन्द्रापुर सम्पर्क मार्ग | 1.170 | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
| 14. | बण्डा पूरनपुर मार्ग से इन्दलपुर सम्पर्क मार्ग | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15. | बण्डा पूरनपुर मार्ग से कृष्णानन्द स्कूल के सामने से ब्रतपाल नगर होते हुए | 1.000 | 0.660 | 0.660 | 0.660 |
| 16. | कृष्णा महाविद्यालय के सामने होते हुए लालपुर आजादपुर तिराहे तक मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 17. | बण्डा देवकली मार्ग से पट्टी छज्जूपुर मार्ग | 1.600 | 0.960 | 0.960 | 0.960 |
| 18. | ररुआ रोड से तिहार इंजनपुर मार्ग | 3.100 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| 19. | खुटार सेहरामऊ मैलानी मार्ग | 5.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | पीलीभीत बस्ती मार्ग से बेला जोगराजपुर होते हुए हरनाई मार्ग | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 21. | बण्डा खुटार मार्ग के किमी0 13 से पिपरिया बीरसिंहपुर सम्पर्क मार्ग | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| क्रम | मार्ग का नाम | लम्बाई | स्वीकृत | प्राप्त | व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | टाहखुर्द कलां से महोलिया गुरुद्वारा होते हुए खमरिया बण्डा खुटार मार्ग | 3.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 23. | रसवां कलां सम्पर्क मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 24. | बण्डा-खुटार किमी0-10 से रुरा मार्ग | 1.400 | 0.840 | 0.840 | 0.840 |
| 25. | गढ़िया सरेली सम्पर्क मार्ग | 0.650 | 0.390 | 0.390 | 0.390 |
| 26. | गढ़िया सरेली के मजरा बनकटा सम्पर्क मार्ग | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 27. | महुआ मैनिया सम्पर्क मार्ग | 2.700 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 28. | लालपुर सम्पर्क मार्ग | 0.800 | 0.480 | 0.480 | 0.480 |
| 29. | रामकला से माधोपुर सम्पर्क मार्ग | 1.200 | 0.720 | 0.720 | 0.720 |
| 30. | महेश बाबा स्थान से चांदपुर कोल्हूगाढ़ा होते हुए बेला तक सम्पर्क मार्ग | 3.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31. | पीलीभीत बस्ती मार्ग किमी0-64 से कजरा मार्ग | 3.150 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 32. | पी0एस0एच0एल0 मार्ग कि0मी0-39 से जसवन्त नगर | 1.000 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 33. | पुरविया कालोनी द्वितीय सम्पर्क मार्ग | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 34. | मोहनपुर से सुजानपुर सम्पर्क मार्ग | 2.200 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 35. | चकभिटारा रझौआ कलां स0 मार्ग | 2.400 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| | योग : | 76.570 | 42.040 | 42.040 | 42.040 |

## सूची

(लम्बाई कि0मी0 व लागत रु0 लाख में)

आर0आई0डी0एफ0-23

| क्रम संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई | स्वीकृत लागत | प्राप्त आवंटन | व्यय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बण्डा खुटार मार्ग किमी0 15 से घीमरपुरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य। | 1.00 | 75.98 | 74.60 | 37.98 | कार्य पूर्ण। |
| 2. | खजुरिया मार्ग किमी0 1 से बुझिया सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य। | 1.15 | 65.00 | 64.14 | 64.12 | कार्य पूर्ण। |
| 3. | एन0एच0-730 से पुवांया मोहम्मदी मार्ग किमी0 5 से डूडां सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य। | 1.50 | 86.46 | 85.31 | 83.88 | कार्य पूर्ण। |
| 4. | बीसलपुर बण्डा मार्ग कि0मी0 22 से कुईया महोलिया सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य। | 2.30 | 156.68 | 154.60 | 97.50 | कार्य प्रगति में। |
| | योग : | 5.95 | 384.12 | 378.65 | 283.48 | |

## सूची

(लम्बाई कि0मी0 व लागत रु0 लाख में)

अनजुड़ी बसावटों

| क्रम संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई | स्वीकृत लागत | प्राप्त आवंटन | व्यय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | खानपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 1.00 | 78.70 | 63.03 | 63.03 | कार्य पूर्ण। |
| 2. | भैसता सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.50 | 30.51 | 24.44 | 24.44 | कार्य पूर्ण। |
| 3. | जमालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.50 | 33.34 | 26.71 | 26.71 | कार्य पूर्ण। |
| 4. | बंस क्रियाओं सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.43 | 26.19 | 20.97 | 20.97 | कार्य पूर्ण। |
| 5. | पटई मार्ग से गौटिया दुगरौची सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 1.00 | 75.78 | 60.70 | 60.70 | कार्य पूर्ण। |
| 6. | चकझाऊ पिलखना मार्ग से सुन्दरपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.20 | 13.85 | 11.10 | 11.10 | कार्य पूर्ण। |
| 7. | बिजौरा बिजौरी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 2.50 | 175.95 | 101.50 | 101.50 | कार्य पूर्ण। |
| 8. | कर्रा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 1.00 | 76.48 | 61.26 | 48.72 | कार्य पूर्ण। |
| 9. | फगुनिहाई सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 2.50 | 188.75 | 108.83 | 108.83 | कार्य पूर्ण। |
| 10. | खजुरिया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.95 | 75.79 | 60.71 | 53.75 | कार्य पूर्ण। |
| 11. | हरीपुर मु0 भटनौसा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.96 | 78.76 | 63.09 | 62.84 | कार्य पूर्ण। |
| 12. | बरौरा जा0 भटिउरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.40 | 38.71 | 31.00 | 31.00 | कार्य पूर्ण। |
| 13. | डिमरई सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 1.80 | 138.04 | 79.68 | 79.68 | कार्य पूर्ण। |
| 14. | पटनी सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.20 | 11.95 | 9.57 | 9.57 | कार्य पूर्ण। |
| 15. | कमालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.20 | 15.56 | 12.46 | 12.46 | कार्य पूर्ण। |

| क्रम संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई | स्वीकृत लागत | प्राप्त आवंटन | व्यय | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | रायपुर सतवां सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.95 | 76.31 | 61.13 | 61.13 | कार्य पूर्ण। |
| 17. | नगरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.90 | 50.87 | 40.75 | 30.65 | कार्य पूर्ण। |
| 18. | बढ़ारा उदयपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 4.70 | 316.19 | 316.19 | 208.78 | कार्य पूर्ण। |
| 19. | नबलपुर जा0 नाहिल सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.50 | 30.56 | 24.48 | 8.72 | कार्य प्रगति में |
| 20. | नवलपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 2.00 | 123.87 | 71.29 | 59.65 | कार्य प्रगति में |
| 21. | टोण्डरपुर ता0 खुटार सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 2.80 | 176.17 | 101.57 | 88.58 | कार्य प्रगति में |
| 22. | नगला शाहजहां सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 0.15 | 8.95 | 7.17 | 6.15 | कार्य प्रगति में |
| 23. | सडिया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। | 1.20 | 71.34 | 57.15 | 36.09 | कार्य प्रगति में |
| | योग | 27.34 | 1912.62 | 1414.78 | 1215.05 | |

**नत्थी (घ)**

(देखिये अता0प्र0सं0 120 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-77 पर)

**किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 पुवायां-शाहजहांपुर**

संक्षिप्त विवरण बजट 2018-19 (मशीनरी मरम्मत एवं रख-रखाव मद में) धनराशि लाख रु0 में

| वित्तीय वर्ष- | स्वीकृति बजट- | व्यय धनराशि- | ओवर रन- |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 226.46 | 224.37 | 0 |

(ह0)
प्रधान प्रबन्धक

KISHAN SAHAKARI CHINI MILLS LTD. POWAYAN

| PARTICULARS | BUDGET 2017-18 | ACTUAL 2017-18 | | | | MODVAT. & Insurance | Net Exp. 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APR. 17 to JUN. 17 | JUL. 17 to MAR. 18 | TOTAL | | | |
| A. Normal Repairs | | | | | | | |
| Bearings | 7.00 | 0.40 | 7.98 | 8.38 | | 1.28 | 7.10 |
| Mechanical Goods/ Spares | 4.00 | 0.30 | 4.62 | 4.92 | | 0.82 | 4.10 |
| Electrical Goods/ Spares | 8.50 | 0.15 | 10.23 | 10.38 | | 1.73 | 8.65 |
| Hardware | 7.80 | 0.20 | 9.16 | 9.36 | | 1.56 | 7.80 |
| Rubber Goods & V Belts | 1.50 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | | 0.41 | 1.70 |
| Pipe and Pipe Fittings | 0.50 | 0.05 | 0.60 | 0.65 | | 0.10 | 0.55 |
| Welding Material | | | | | | | |
| (a) Electrodes | 4.25 | 0.25 | 5.28 | 5.53 | | 1.03 | 4.50 |
| (b) Gas/ LPG | 3.50 | 0.20 | 3.93 | 4.13 | | 0.63 | 3.50 |
| (c) Other Material | 0.75 | 0.05 | 0.84 | 0.89 | | 0.14 | 0.75 |
| TOTAL (a+b+c) | 8.50 | 0.50 | 10.05 | 10.55 | | 1.80 | 8.75 |
| Iron and steel (Excl. civil) | 0.50 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | | 0.09 | 0.50 |
| Packing and jointing | 1.70 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | | 0.49 | 1.70 |
| Non Ferrous Material | 2.50 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | | 0.38 | 2.10 |
| Paint and Varnish | 0.50 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | | 0.05 | 0.30 |
| Others | 0.50 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | | 0.09 | 0.50 |
| Fabrication, job Contracts & others | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (R & M) | 44.00 | 1.60 | 50.95 | 52.55 | | 8.80 | 43.75 |
| B-(a) Major Job (As Per Attach Sheet) | 182.46 | | 225.03 | 225.03 | | 44.41 | 180.62 |
| Additional | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total- | 182.46 | | 225.03 | 225.03 | | 44.41 | 180.62 |
| (b) Special Normal | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Grand Total | 226.46 | 1.60 | 275.98 | 277.58 | | 53.21 | 224.37 |

KISHAN SAHKARI CHINI MILLS LTD. POWAYAN (SPN)

| Sl. No. | PARTICULARS | 2017-18 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| | | sanction | Actual |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Major jobs | | |
| 1 | Repair of cane unloaders (gantry new) | | |
| | a) New Gear Box/Internals | 1.60 | 2.25 |
| | b) New Motor | 1.75 | 2.45 |
| | c) Squar Bar/Rail | 2.60 | 1.50 |
| | d) New Coupling/Gear Pinion | 0.60 | 0.55 |
| | e) New Thurster | 0.32 | 0.25 |
| | Sub Total | 6.87 | 7.00 |
| 2 | Repair of Cane Carriers/Auxiliary Carrier | | |
| | a) New Dyno Drive/VVVFD | 0.50 | 0.40 |
| | b) New Complete Chain | 3.50 | 3.45 |
| | c) Head/Rear and Shaft pulley | | |
| | d) New Sproket | 0.40 | 0.40 |
| | e) Chain Spares-Roller | | |
| | Pin | | |
| | Bush | 1.20 | 1.35 |
| | Side link | | |
| | Slates | | |
| | f) New Side Plate | 1.00 | 0.90 |
| | Sub Total | 6.60 | 6.50 |
| | | | |
| 3 | SRC/IRC Chain | | |
| | a) New complete chain | 2.95 | 2.90 |
| | b) Chain Spares | | |
| | i) Roller | | |
| | ii) Bush | 1.45 | 1.50 |
| | iii) Pin | | |
| | iv) Rack | | |
| | v) Side Link | | |
| | c) New Sprocket/Shaft | | |
| | d) New Dynodrive | 0.22 | 0.27 |
| | e) New R Gear Box/internals | 0.15 | 0.15 |
| | f) New trough | 0.50 | 0.45 |
| | Sub-Total | 5.27 | 5.27 |
| | | | |
| 4 | Cane Chopper/ Kicker/ Leveler/ Cutter/ Fibrizer (mod.) | | |
| | a) Fibrizer Hammer /Tips /Hubs | 3.50 | 3.20 |
| | b) Knives | 2.10 | 2.00 |
| | c) Anvil Plate | | |
| | d) New Bearing/plumber block | 1.10 | 1.50 |
| | e) New Gear Coupling | 0.70 | 0.70 |
| | f) New Starter/Slip resistance | | |
| | Sub Total | 7.40 | 7.40 |
| 5 | Mills | | |
| | a) Roller Reshelling | 13.90 | 13.50 |
| | b) Roller Arcing | 1.90 | 1.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | c) New Roller Shaft | 4.50 | 4.25 |
| | d) New C.S. coupling | | |
| | e) New Tail Bar/Trash Beam | 0.52 | 0.50 |
| | f) New Transmission Gear/Pinion | | |
| | f) New Trans.Gear/Pinion/ Shaft/ P.Block | 13.00 | 13.00 |
| | g) New mill bearing | 2.00 | 2.00 |
| | h) New Enclos R.G. Box/Internals | | |
| | i) Turbine/D.C. Motor/Pancl/ACFC | | |
| | i) Spares | 2.30 | 2.30 |
| | ii) Servicing | | |
| | iii) Instrument | 0.30 | 0.30 |
| | j) New Pipe | 0.50 | 0.50 |
| | k) New Pumps | 2.20 | 2.25 |
| | l) New Valves | 0.45 | 0.5 |
| | m) New ACFC/Auto imbibition system | | |
| | n) New gear coupling | 0.35 | 0.35 |
| | o) New DSM Screen/Rotary Screen | 0.75 | 0.70 |
| | p) New Juice Tray/Gutter/Tank | 1.70 | 1.85 |
| | q) New khus khus Conveyor | | |
| | r) New Hydraulic Accumulaator/blader | 1.85 | 1.85 |
| | Sub Total | 46.22 | 45.75 |
| 6 | Boiler | | |
| | a) New Boiler Tube | 2.20 | 1.90 |
| | b) New Economiser Tube | | |
| | c) New Air Heater Tube | 1.50 | 0.95 |
| | d) New Super Heater Coil | | |
| | e) New ID Fan/FD Fan Impeller/SA fan | | |
| | f) New Motor for F.D. For Boiler No. 3 | | |
| | g) Boiler Valves | 0.50 | 0.50 |
| | h) New Feed Pump/spares | 0.25 | 0.40 |
| | i) New Feed/Steamline/Steam Headr | 1.10 | 1.10 |
| | j) New Ducting/Chimney | 1.50 | 1.50 |
| | k) New Starter/Resistance/switches | 1.00 | 1.10 |
| | l) Boiler Refractory | 2.50 | 2.50 |
| | m) New Boiler inst./spares/servicing | 3.00 | 3.00 |
| | n) Soot blower system | | |
| | Sub Total | 13.55 | 12.95 |
| | | | |
| 7 | Bagasse Elevator/Baggasse Carrier Chain | | |
| | a) New Head/Tail End Shaft | | |
| | b) New Sproket | 0.20 | 0.20 |
| | c) New Reduction Gear Box/Internals | | |
| | d) New Complete Chain | 2.85 | 2.80 |
| | e) New Motor | | |
| | f) New Trough | 0.50 | 0.50 |
| | g) New Conveyor Belt | | |
| | h) Chain Spares | | |
| | Roller | | |
| | Pin | | |
| | Bush | 2.00 | 2.00 |
| | Rack | | |
| | Side Link | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | i) Bagassillo Blower/Pipe line/Casing | | |
| | Sub Total | 5.55 | 5.50 |
| 8 | Power House | | |
| | a-Power Turbine | | |
| | i) Spares | 5.50 | 5.40 |
| | ii) Servicing | | |
| | b-Alternator/Main Panel/AVR/Relay | | |
| | i) Servicing | | |
| | ii) Spares | 2.20 | 2.20 |
| | Instruments | 1.00 | 1.00 |
| | c-New ACB/Jaw & credal contact | 3.00 | 3.41 |
| | d-New Switches/MCB | 2.50 | 2.25 |
| | e-New Cable | 1.90 | 1.65 |
| | f-Major Over Hauling of D.G. Sets | | |
| | i) Spares | 1.50 | 1.35 |
| | ii) Servicing | | |
| | g-New Capacitor/APFC panel | 1.50 | 1.25 |
| | Sub Total | 19.10 | 18.51 |
| | | | |
| 9 | Juice & Water Weighing Scale | | |
| | a-New Motor | | |
| | b-New Pump | 1.00 | 0.95 |
| | c-New Pipe Line | 0.40 | 0.40 |
| | d-New Tank/Shell | 1.00 | 0.90 |
| | e-New valve | 0.40 | 0.35 |
| | f-New VDF | | |
| | Sub Total | 2.80 | 2.60 |
| | | | |
| 10 | Juice Heater | | |
| | a-New Juice Heater- | | |
| | b-New Cover/Partition Plate | 0.20 | 0.20 |
| | c-New Brass Tube/SS Tubes | 0.60 | 0.50 |
| | d-New Valve | 0.50 | 0.50 |
| | e-New motor (s) | | |
| | f-New Pump (s) | 0.20 | 0.20 |
| | g-New Pipe Line | | |
| | Sub Total | 1.50 | 1.40 |
| | | | |
| 11 | Juice Sulphiter/Syrup Sulphiter | | |
| | a-New Pipe line | 1.50 | 1.40 |
| | b-New Pump | 1.00 | 0.90 |
| | c-New Shell/Recovery Tower | 1.50 | 1.45 |
| | d-New Valve | | |
| | e-New Motor | | |
| | f-New R.G. Box/Internal | | |
| | g-New VFD | | |
| | Sub Total | 4.00 | 3.75 |
| | | | |
| 12 | Sulphu Furance | | |
| | a-New Sulphu Furance | | |
| | b-Air Compressor | 0.80 | 0.85 |
| | c-New Shell/Cooler/Melter | 1.30 | 1.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | d-New Valve | 0.25 | 0.20 |
| | e-MS/FRP Pipe | 1.45 | 1.40 |
| | f-Air Drying system | | |
| | Sub Total | 3.80 | 3.75 |
| | | | |
| 13 | Juice Clarfier | | |
| | a-Central Shaft | | |
| | b-New Pump | 0.40 | 0.45 |
| | c-New Motor | | |
| | d-New Gear Box/Internal | | |
| | e-New Shell/Compartment/Tray | 3.00 | 3.05 |
| | f-New Valves | 0.40 | 0.40 |
| | g-New V Pipe Line | 1.00 | 0.85 |
| | Sub Total | 4.80 | 4.75 |
| | | | |
| 14 | Vacuum Filter | | |
| | a-New Vacuum Filter | | |
| | b-New Condenseor/catcher | 0.50 | 0.55 |
| | c-New Motor | | |
| | d-New Valves | 0.25 | 0.20 |
| | e-New Pump | 1.45 | 1.45 |
| | f-New S S Screen | 0.50 | 0.50 |
| | g-New Pipe Line | 1.00 | 1.00 |
| | h-New Conveyor Belt | | |
| | i-New Reduction gear Box/Internal | 0.30 | 0.30 |
| | j-New Tray Agitator/Mixer | | |
| | Sub Total | 4.00 | 4.00 |
| | | | |
| 15 | Lime House | | |
| | a-New Pump | | |
| | b-New Motor | | |
| | c-New Reduction Gear Box | | |
| | d-New Vibro Screen | | |
| | Sub Total | | |
| | | | |
| 16 | Semi Kestner/Vapourcell/Evaporator | | |
| | a-New Calendria | | |
| | b-Brass Tubes/SS Tubes | 8.00 | 7.95 |
| | c-New Pump | | |
| | d-New Motor | 0.30 | 0.30 |
| | e-New Condensor | | |
| | f-New Vapour Pipe | 1.00 | 1.05 |
| | g-New Pipe Line | 1.50 | 1.45 |
| | h-New Valve | | |
| | i) New Saveall/Shell/Umberella/Catcher | 1.20 | 1.20 |
| | Sub Total | 12.00 | 11.95 |
| | | | |
| 17 | Pan Station | | |
| | a-Brass Tubes/SS Tube | 0.60 | 0.65 |
| | b-New Condenser/Tail Pipe | | |
| | c-New Vapour Pipe | 1.30 | 1.25 |
| | d-New Shell/Saveall/Taper cone/catcher/umbrella | 4.00 | 3.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | e-New Pipe Line | 1.30 | 1.30 |
| | f-New Pump | 0.40 | 0.40 |
| | g-New Motor | | |
| | h-Mech. Circulator/RG Box/Internals | | |
| | i-New Valve | | |
| | j-New Molassess conditioner | | |
| | k-Syrup/molasses storage tank | 0.50 | 0.40 |
| | Sub Total | 8.10 | 7.90 |
| | | | |
| 18 | Vacum Cryslizer/Cryslizers | | |
| | a-New Motor | 0.20 | 0.20 |
| | b-New Reduction Gear Box/Internals | 0.80 | 0.80 |
| | c-New Worm & Worm Wheel | 0.8 | |
| | d-New Pipe Lines | 0.25 | 0.20 |
| | e-New Shell/Gutter | 0.25 | 0.30 |
| | Sub Total | 2.30 | 1.50 |
| | | | |
| 19 | Centrifugal Machine (A Fore/After Worker M/C Continious M/C / Pug Mill | | |
| | a-New Bearing Housing | 1.20 | 1.20 |
| | b-New Shaft | 0.40 | 0.40 |
| | c-New Motor | | |
| | d-New Pump | 1.75 | 1.50 |
| | e-New Pipe Line | 0.75 | 0.75 |
| | f-New Transient Heater | | |
| | g-New Reduction Gear Box/Internals | 0.50 | 0.50 |
| | h-New Basket | 0.75 | 0.75 |
| | i-Solonoid/New gate valve | | |
| | j-New support liner/ SS Ring/Mon casing | 0.80 | 0.80 |
| | k-New Bearing | 1.70 | 1.70 |
| | l-S.H. wash water column/pump | 0.50 | 0.20 |
| | m-New Air compressor | | |
| | n-New Vapour Extraction blower | | |
| | o-PLC Cont. Panel/Cont. Sys./Switches | 1.00 | 0.90 |
| | p-Molasses seperator/Gutter | | |
| | SubTotal | 9.35 | 8.70 |
| | | | |
| 20 | Pug Mill/Magma Mixture/Melter | | |
| | a-New Motor | | |
| | b-New Pump | 0.65 | 0.50 |
| | c-New Shaft/Stirrer | | |
| | d-New Reduction gear/Internals | 0.20 | 0.25 |
| | Sub Total | 0.85 | 0.75 |
| | | | |
| 21 | Hopper/Elevator/Grader/Sugar Bin | | |
| | a-New Shaft | 0.50 | 0.48 |
| | b-New Motor | 0.70 | 0.70 |
| | c-New trough | 0.15 | 0.12 |
| | d-New Reduction Gear Box/Internals | 0.10 | 0.10 |
| | e-Chain & Bucket | | |
| | f-New Bearing | 1.00 | 1.10 |
| | g-New Hot/Cold Air Blower | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | h-Sugar Weighing Machine | 0.15 | 0.15 |
| | i-Stitching machine | 0.20 | 0.25 |
| | j-Sugar bin | | |
| | Sub Total | 2.80 | 2.90 |
| | | | |
| 22 | Injection/Spray Station | | |
| | a-New pump/Impeller/Suction cone | 4.80 | 4.90 |
| | b-New motor | | |
| | c-New Pipe Line | 2.10 | 2.00 |
| | d-New Cluster | | |
| | e-New Header | 4.50 | 4.50 |
| | f-New Valve | 0.75 | 0.75 |
| | Sub Total | 12.15 | 12.15 |
| | | | |
| 23 | General | | |
| | a-DC Machine/Motor | | |
| | i) Spares | 1.00 | 0.95 |
| | ii) Servicing | | |
| | b-LRB Lagging/Cladding | | |
| | i) Boiler | | |
| | ii) H.P. Line | 1.00 | 1.00 |
| | iii) L.P. Line | | |
| | iv) Clarifier/Pipe Line | | |
| | v) Evaporator/Plan | | |
| | vi) Juice Heater/Pipe line | | |
| | c-New Tubewell Pump/motor | 1.25 | 1.25 |
| | d-Boiling House Instruments | 0.20 | 0.25 |
| | e-Workshop Machinery | | |
| | f-ETP | | |
| | i) Pumper | | |
| | ii) Valve | | |
| | iii) Pipe Line | | |
| | iv) New R G box | | |
| | v) New Motor | | |
| | g-Fly Ash Arrester | | |
| | i) Pumper | | |
| | ii) Valve | | |
| | iii) Pipe Line | | |
| | iv) New R G box | | |
| | v) New Motor | | |
| | h-Sugar Stacker/Belt Conveyor | | |
| | Sub Total | 3.45 | 3.45 |
| | Total | 182.46 | 180.62 |

General Manager,
Kishan Sahakari Chini Mills Ltd.,
Powayan, Distt. Shahjahanpur.

पी0एस0यू0पी0-एल0 47 विधान सभा (66)-11-06-2019-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)